रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 10, 2007/अग्रहायण 19, 1929

No. 231] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 10, 2007/AGRAHAYANA 19, 1929

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2007

संख्या फा. 51-1/2007 एनसीटीई (मा तथा मा).—विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानक और मानदंड सहित मान्यता की मंजूरी के लिए क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा 13 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित किए गए थे। विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानदंड और मानक बाद में संशोधित और अधिसूचित किए गए। स्पष्टता की खातिर तथा बेहतर समझ के प्रयोजन से इन विनियमों को समेकित करने और एक ही अधिसूचना के तहत जारी करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि ये विनियम मूलभूत रूप से एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

अब इन विनियमों के पैरा 12 में सूचीबद्ध विनियमों को प्रतिस्थापित करते हुए तथा राअशिप अधिनियम, 1993 की धारा 32 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है, यथा:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन**

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं**

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग की दृष्टि से अन्यथा अभिप्रेत न हो यहां प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. **प्रयोज्यता**

ये विनियम संस्थानों की मान्यता, नए कार्यक्रम शुरू करने और मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि के लिए मानदंडों और मानकों तथा क्रियाविधियों को कवर करने वाले अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों और अन्य संबद्ध मामलों में लागू होंगे।

4. **पात्रता**

निम्न श्रेणियों के संस्थान इन विनियमों के अधीन अपने आवेदन-पत्रों पर विचार कराए जाने के लिए पात्र हैं :

(1) केंद्रीय/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान;

(2) केंद्रीय/राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित संस्थान;

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(3) सभी विश्वविद्यालय जिनमें सम-विश्वविद्यालय के रूप में समझे गए और यूजीसी अधिनियम 1956 के अधीन इस प्रकार मान्यता प्रदत्त संस्थान शामिल हैं;

(4) उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों और न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित स्व-वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान।

5. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का तरीका और समय सीमा

(1) विनियम 4, के अधीन पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक संस्थान मान्यता के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में (तीन प्रतियां) प्रक्रिया शुल्क और आवश्यक कागजात सहित राओशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति को भेज सकता है।

(2) यह प्रपत्र निःशुल्क रूप से परिषद की वेबसाइट www.ncte-in-org से डाउनलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रपत्र सदस्य सचिव, राओशिप के नाम में बनाए गए और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उसमें देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 1000 रुपए का भुगतान करके संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(3) आवेदन-पत्र परंपरागत विधि से या इलेक्ट्रानिक रूप से आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। इलेक्ट्रानिक रूप से आनलाइन प्रस्तुत किए जाने के मामले में प्रक्रिया शुल्क सहित आवश्यक कागजात (तीन प्रतियों में) संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे। आनलाइन आवेदन करने वालों को प्रपत्र के लिए भुगतान नहीं करना होगा।

(4) संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जाने की तयशुदा तारीख, जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उसके पिछले वर्ष की 31 अक्तूबर होगी।

(5) 31 अक्तूबर को या इससे पूर्व प्राप्त सभी पूर्ण आवेदन-पत्रों पर आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी और मान्यता प्रदान किए जाने या मना किए जाने संबंधी अंतिम निर्णय आगामी वर्ष की 15 मई तक सूचित कर दिया जाएगा।

6. प्रक्रिया शुल्क

कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मान्यता की मंजूरी अथवा कार्यक्रम में कोई वृद्धि करने अथवा किसी मौजूदा कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सदस्य सचिव, राओशिप के नाम से बनाए गए और क्षेत्रीय समिति का कार्यालय जिस शहर में स्थित है उसमें देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए 40000 रुपए का एक-समान शुल्क होगा। समय-समय पर यथासंशोधित राओशिप नियमावली, 1997 के संगत प्रावधानों के अधीन सरकारी संस्थानों को प्रक्रिया शुल्क की अदायगी करने से छूट प्राप्त है।

7. आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करना

(1) आवेदक संस्थान सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन-पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करेंगे। तथापि, दस्तावेजों में अनजाने में रह गई चूकों अथवा कमियों को कवर करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय समिति का कार्यालय आवेदन-पत्रों की तारीख की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कमियों के बारे में बताएगा जोकि आवेदक संस्थान 90 दिनों के भीतर दूर कर देंगे। 40000 रुपए के प्रक्रिया शुल्क के बिना किसी भी आवेदन-पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ऐसे आवेदन-पत्र आवेदक संस्थानों को लौटा दिए जाएंगे।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

752

(2) इसके साथ-साथ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर क्षेत्रीय समितियों का कार्यालय संस्थान/संस्थानों द्वारा जमा किए गए आवेदन-पत्र की एक प्रति सहित एक लिखित पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन को भेजेगा।

(3) पत्र प्राप्त होने के बाद संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन आवेदन-पत्रों पर उनकी प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को भेजेगा। यदि सिफारिश नकारात्मक है तो राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन आवश्यक आंकड़ों सहित उसके विस्तृत कारण/आधार उपलब्ध कराएगा जिन पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन-पत्र जिन पर निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा। यदि राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(4) कमियों को दूर करने के बाद और संबंधित क्षेत्रीय समिति के संतुष्टि उपरांत विशेषज्ञों के दल, जिसे निरीक्षण दल (वी.टी.) कहा जाता है, द्वारा संस्थान में आधारिक-सुविधाओं, उपकरणों, अनुदेशात्मक सुविधाओं आदि का निरीक्षण किया जाएगा जिससे कि पाठ्यक्रम शुरू करने की संस्थान की तत्परता के स्तर का जायजा लिया जा सके। यह निरीक्षण संस्थान की सहमति और भवन निर्माण के समापन प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अध्यधीन होगा। जहां तक प्रशासनिक और संभारतंत्रीय दृष्टि से संभव है ऐसा निरीक्षण संस्थान की सहमति की प्राप्ति की तारीख के कालक्रमानुसार होगा। यदि एक से अधिक संस्थानों की सहमति एक ही दिन प्राप्त होती है तो वर्णक्रम का पालन किया जाएगा। निरीक्षण, संस्थान की सहमति की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

(5) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के निरीक्षण के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण की इस ढंग से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा कि सभी महत्वपूर्ण आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं तथा प्रबंधक वर्ग और स्टाफ (यदि उपलब्ध हो तो) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान वीडियोग्राफ किया जाए। जहां तक संभव हो, निरीक्षण दल उसी दिन वीडियोटेपों सहित अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और उन्हें कूरियर कर देगा।

(6) आवेदन-पत्र और निरीक्षण दल की वीडियोटेपों/सीडी आदि सहित रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

(7) क्षेत्रीय समिति इस संबंध में तसल्ली कर लेने के पश्चात ही संस्थान राअशिप अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन सभी शर्तों की, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड और मानक शामिल हैं पूर्ति करता है, उसे मान्यता या अनुमति प्रदान करने के बारे में निर्णय लेगी।

(8) मान्यता प्रदान करने के मामले में क्षेत्रीय समितियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 तथा राअशिप अधिनियम, 1993 के अधीन बनाए गए विनियमों जिनमें विभिन्न शिक्षा अध्यापक कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं, की सीमा के भीतर कठोरता से कार्रवाई करेगी और उनके संबंध में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी। क्षेत्रीय निदेशक,

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

753

जोकि क्षेत्रीय समितियों के संयोजक होते हैं, क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि राअशिप अधिनियम, नियमावली और विनियमों में, जिनमें विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और मानक शामिल हैं संगत प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में ला दिए जाएं जिससे कि क्षेत्रीय समिति उपयुक्त निर्णय ले सके।

(9) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू किए जाने से पहले अर्हताप्राप्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति के अध्यधीन एक पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा। इस खंड के अधीन जारी किया गया पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा। संकाय की नियुक्ति, राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी अथवा संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। आवेदक संस्थान निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र दायर करेगा कि चयन समिति का गठन ऊपर बताए अनुसार किया गया है। ब्यौरों सहित एक अलग स्टाफ सूची निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय समिति औपचारिक मान्यता मंजूर करने के लिए मामले पर कार्रवाई करने से पूर्व उक्त शपथ-पत्र और स्टाफ की सूची पर भरोसा करेगी।

(10) सभी आवेदक संस्थान क्षेत्रीय समिति से विनियम 7(9) के अधीन पत्र प्राप्त होने के बाद स्वयं अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान के ब्यौरे, इसका स्थान, आवेदित पाठ्यक्रम का नाम और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, भौतिक आधारिक-सुविधाओं (भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूम तथा अन्य सुविधाएं/सेवाएं) अनुदेशात्मक सुविधाओं (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) की उपलब्धता और सभी की जानकारी के लिए फोटो सहित उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा शिक्षणेतर स्टाफ आदि के विवरण दिए गए हों।

(11) उपर्युक्त विनियम 7(9) के अनुसार अपेक्षित संकाय/स्टाफ की नियुक्ति कर लेने और उपर्युक्त विनियम 7(10) के तहत शर्तों की पूर्ति कर लेने के बाद संस्थान अपेक्षित शपथ-पत्र तथा स्टाफ सूची सहित संबंधित क्षेत्रीय समिति को औपचारिक रूप से सूचित करेगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति एक औपचारिक मान्यता आदेश जारी करेगी जिसे राअशिप के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(12) जिन मामलों में क्षेत्रीय समिति निरीक्षण दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस मत की हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू/आयोजित करने अथवा दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के संवर्द्धन के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता तो ऐसे संस्थान को कमियों को दूर करने के लिए एक और मौका प्रदान किया जाएगा। यदि क्षेत्रीय समिति द्वारा एक और निरीक्षण वांछनीय समझा जाता है तो संबंधित संस्थान सदस्य सचिव, राअशिप के पक्ष में उस शहर में देय जहां क्षेत्रीय समिति स्थित है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय समिति के पास 40000 रुपए का शुल्क फिर से जमा कराएगा। तथापि, यदि सूचित की गई कमियां प्रकृति से मामूली हैं जिनमें सिविल निर्माण कार्य या इसी तरह का कार्य शामिल नहीं हैं तथा किए गए संशोधन भौतिक निरीक्षण के बिना सत्यापन योग्य हैं तो किसी शुल्क की जरूरत नहीं होगी।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

754

(13) निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्टें उनके ऊपर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद उन्हें संबंधित क्षेत्रीय समिति की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

8. मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें

(1) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को राअशिप द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिकों सहित अर्हताप्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित स्थितियां शामिल होंगी।

(2) शुरू में संस्थान के मामले पर विशेष अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित बुनियादी इकाई के लिए केवल एक पाठ्यक्रम के संबंध में मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। संस्थान आगामी शैक्षणिक सत्र से एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम की एक बुनियादी इकाई के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, एक वर्ष में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम से अधिक के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।

(3) संस्थान को पहले से अनुमोदित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में संबंधित पाठ्यक्रम का आयोजन तीन शैक्षणिक सत्रों को पूरा कर लेने के बाद दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में पाठ्यक्रम-वार संवर्द्धन के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।

(4) संस्थान को माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम - बी.एड. तथा बी.पी.एड. कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी यदि इसने अपने आपको राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के साथ एनएएसी द्वारा तैयार किए गए लेटर ग्रेड बी सहित प्रत्यायित करा लिया है।

(5) जिस संस्थान को विनियम, 2005 अर्थात 13.1.2006 के प्रख्यापन के बाद बी.एंड. तथा बी.पी.एड. अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों में वृद्धि मंजूर की गई है, उन्हें अपने आपको राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के साथ 1 अप्रैल, 2010 को या इससे पहले एनएएसी द्वारा तैयार की गई नई क्रम-निर्धारण प्रणाली के अधीन लेटर ग्रेड बी सहित प्रत्यायन कराना होगा अन्यथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में जो वृद्धि मंजूर की गई है वह शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से समाप्त कर दी जाएगी।

(6) बी.एड. तथा बी.पी.एड. में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के बारे में भारत के राजपत्र की इस अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले प्राप्त हुए सभी आवेदन-पत्रों पर 13.1.06 को अधिसूचित विनियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त विनियम 8(5) के प्रावधान उनके मामले में भी लागू होंगे।

(7) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास आवेदन-पत्र की तारीख को आवश्यक भूमि का कब्जा न हो। सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त इस तरह की भूमि या तो मालिकाना आधार पर या किसी सरकार/सरकारी संस्थानों से कम से कम 30 वर्ष के पट्टे पर होनी चाहिए। जिन मामलों में

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

755

संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र विधियों के अधीन पट्टे की अधिकतम अनुमत्य अवधि 30 वर्षों से कम है उनमें राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन की विधि लागू होगी। तथापि, कोई भी भवन किसी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए पट्टे पर नहीं लिया जा सकता।।

(8) संस्थान/सोसायटी ओथ कमिश्नर/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के पक्के कागज पर निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें इन बातों का वर्णन होगाः भूमि का वास्तविक स्थान (गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में कुल क्षेत्र और भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे की विधि अर्थात मालिकाना या पट्टा। सरकारी संस्थानों के मामले में इस तरह का शपथ-पत्र संस्थान के प्रिंसीपल अथवा अध्यक्ष या किसी अन्य उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस तरह के शपथ-पत्र के साथ भूमि के स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी।

(9) क्षेत्रीय समिति इस शपथ-पत्र को एक अधिकृत स्वघोषणा के रूप में मानेगी। संस्थान द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति उसकी औपचारिक वेबसाइट पर प्रस्तुत की जाएगी जिससे कि स्वघोषणा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाए। यदि शपथ-पत्र की सामग्री गलत या झूठी पाई जाती है तो सोसायटी/ट्रस्ट अथवा संबंधित संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत विधियों के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी।

(10) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन विनियम 8(7) के अर्थों में संस्थान के कब्जे में भूमि पर एक स्थायी ढांचे के रूप में पूर्ण होगा जोकि सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होगा और मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। निरीक्षण के समय आवेदक संस्थान भवन निर्माण का समापन तथा निर्मित क्षेत्र के प्रमाण के रूप में मंजूर किए गए भवन के नक्शे के साथ समापन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करेगा।

(11) स्थान परिवर्तन के मामले में क्षेत्रीय समिति की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी जोकि नए स्थान पर संस्थान का बाकायदा निरीक्षण करने के बाद प्रदान की जा सकती है। ऐसे स्थान पर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए शुरू में आवेदन किया गया हो और ऐसा परिवर्तन राअशिप के यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार एक संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने के लिए योग्य हो। इसके बाद इस तरह के बदलाव को वेबसाइट पर दर्शाया जाना चाहिए। परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र के साथ सदस्य सचिव, राअशिप के नाम बनाया गया और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उस शहर में देय 40000 रुपए का राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। प्रबंधकवर्ग/सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकृत उपनियमों के अनुसार प्रबंध समिति के बदलाव को छोड़कर प्रबंधकवर्ग/सोसायटी/ट्रस्ट आदि के बदलाव के मामले में भी इसी प्रकार की क्रियाविधि लागू होगी।

(12) संस्थान, केवल संबंधित क्षेत्रीय समिति से विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही दाखिले करेगा।

(13) जहां कहीं अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए मानदंडों और मानकों में बदलाव हो वहां संस्थान संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं की, तत्काल

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

756

लेकिन अगले शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पहले संशोधित मानदंडों में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन पूर्ति करेगा।

(14) संस्थान में राअशिप, केंद्रीय और राज्य/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों तथा अन्य केंद्रीय/राज्य संघशासित क्षेत्र प्राधिकारियों के ऐसे सभी संगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों की प्रतियां उपलब्ध रहेंगी जोकि संप्रति किसी शैक्षिक संस्थान को चलाने के लिए प्रासंगिक हों। संस्थान, सभी उपलब्ध जानकारी/कागजात राअशिप को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उनके द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा। इस तरह के कागजात को प्रस्तुत या दिखाने में असफल होने को मान्यता के लिए शर्त के उल्लंघन के रूप में समझा जाएगा।

(15) संस्थान ऐसे रिकार्ड/रजिस्टर तथा अन्य कागजात आदि रखेगा जोकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जरूरी हों, विशेष रूप से जो केंद्रीय/राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकारों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों के संगत मानदंडों और मानकों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों/नियमावली आदि में निर्धारित किए गए हों।

(16) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन तथा अपने सरकारी वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करने का पालन करेगा।

9. विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे मानदंड और मानक जिन्हें उपर्युक्त पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान द्वारा पालन किया जाना जरूरी है नीचे परिशिष्ट 1 से 13 तक में वर्णित किए गए हैं।

(i)	शिक्षा में प्रमाण-पत्र (सी.एड.) प्राप्त कराने वाले स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-1
(ii)	शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-2
(iii)	प्रारंभिक शिक्षा मे स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-3
(iv)	शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-4
(v)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-5
(vi)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम (अंशकालिक) के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-6
(vii)	शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र (सी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-7
(viii)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-8

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

757

(ix)	शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-9
(x)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) (एकीकृत) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में चार वर्षीय स्नातक बी.पी.एड कार्यक्रम (एकीकृत) के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-10
(xi)	शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) प्राप्त कराने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति दोनों के माध्यम से प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-11
(xii)	शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति दोनों के माध्यम से माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-12
(xiii)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति दोनों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-13

10. वित्तीय प्रबंध

(1) स्ववित्तपोषण आधार पर पाठ्यक्रम चलाने वाले सरकारी/सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए 5.00 लाख रुपए की स्थायी निधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सावधि जमा के रूप में 3.00 लाख रुपए की आरक्षित निधि उपलब्ध रहेगी। स्थायी निधि प्रबंधक वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय समिति के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाएगी।

(2) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को आदाता के नाम देय चेक के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार संबंधित सरकार/बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित वेतन दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण रखे जाएंगे और वर्ष के 30 सितंबर तक अपने औचारिक वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।

(i) वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र।

(ii) वित्तीय वर्श का लाभ और हानि लेखा।

(iii) वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

11. ढील देने का अधिकार

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर और केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य/संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी। अपवादात्मक मामलों में अथवा कारणों को लिखित रूप में निर्दिष्ट करने पर अध्यक्ष को किसी सरकारी संस्थान के मामले में विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार प्राप्त है।

12. विनियमों का निरसन

(1) निम्न विनयम उपर्युक्त नए विनियन के लागू होने की तारीख से निरस्त माने जाएंगे:

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम का नाम
1.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 13.01.2006 को 8 के रूप में प्रकाशित दिनांक 27.12.2005 की अधिसूचना संख्या फ.49-42/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 27.12.05 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) विनियम, 2006
2.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 21.07.2006 को 112 के रूप में प्रकाशित दिनांक 20.7.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-42/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 20.7.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) (संशोधन) विनियम, 2006
3.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 21.7.2006 को 112 के रूप में प्रकाशित दिनांक 20.7.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-4/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 20.7.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) (संशोधन) विनियम, 2006
4.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 15.11.2006 को 168 के रूप में प्रकाशित दिनांक 13.11.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-4/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 13.11.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006
5.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 11.12.2006 को 181	दिनांक 13.11.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) (तीसरा संशोधन) विनियम,

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

	के रूप में प्रकाशित दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-4/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	2006
6.	भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, खंड 4 में 2.01.2007 को 03 के रूप में प्रकाशित दिनांक 22.12.2006 की अधिसूचना संख्या फ.49-42/2005/एनसीटीई/मा तथा मा	दिनांक 13.11.06 के राअशिप (मान्यता के लिए मानदंड और क्रियाविधियां) (चौथे संशोधन) विनियम, 2006

(2) उपर्युक्त विनियमों का निरसन, इस प्रकार निरस्त किए गए किसी विनियम के पूर्व प्रचालन अथवा उसके अधीन विधिवत रूप से किए गए किसी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा।

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2007/असा.]

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

760

परिशिष्ट - 1

शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.एड.) के लिए स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदण्ड और मानक

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा-ईसीई (0-6 वर्ष) विशेष रूप से बच्चे की भाषा, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। साथ ही यह शिक्षा बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अन्तिम वर्षों में एक सशक्त अवलम्ब भी प्रदान करती है। ईसीई का उद्देश्य आनन्दपूर्ण, बालकेन्द्रित, खेल और क्रियाकलाप आधारित अधिगम वातावरण में समग्र बाल विकास करना है। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इस अवस्था में तीन आर बच्चों पर थोपे न जाएं और यह भी कि कोई पाठ्यपुस्तकें, परीक्षाएं, इन्टरव्यू, गृहकार्य, प्रतियोगी खेल तथा अन्य नेमी स्कूली-प्रकृति के अन्य क्रियाकलाप न हों।

1.1.2 ईसीई प्रदान करने वाली मौजूदा व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों में आईसीडीएस, ईसीई केन्द्र, बालवाडियों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित दिवा-देखभाल केन्द्र, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित पूर्व-प्राथमिक स्कूल (मोंटसरी, किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बहुविध क्रियाकलाप शामिल हैं। ये प्रावधान सरकारी, निजी और एनजीओ क्षेत्रों के बीच बंटे हैं जबकि सरकारी हस्तक्षेपणीय उपाय अधिकांशतः आईसीडीएस तक सीमित हैं।

1.2 प्रयोज्यता

आगे दिए गए मानदण्ड और मानक नितान्ततः पूर्व प्राथमिक अथवा स्कूल-पूर्व अथवा नर्सरी (जिस रूप में आमतौर पर विख्यात है) स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों के मामले में लागू होंगे।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस.

2.1 अवधि

स्कूल-पूर्व/नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 180 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ पूर्व-स्कूलों में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए होंगे।

(ख) छः दिनों के सप्ताह के दौरान कार्यदिवस छः घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और छात्र-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है ताकि आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

761

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

3.2.1 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित पूरी कर ली है, वे दाखिले के लिए पात्र हैं।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो, उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क)(i) संख्या (50 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल	1
लेक्चरर	4

4.1.1 (क)(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जो कि 50 छात्रों के गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.1 (क)(iii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव, संगीत, ललित कलाओं, भाण्डकर्म, नाटक, नृत्य, विज्ञान (पर्यावरण) के अधीन क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में एक-एक अंशकालिक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी।

4.1.1. (ख) अर्हताएं

(i) प्रिंसीपलः

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित अर्हताओं जैसी होंगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

762

(ख) किसी नर्सरी/स्कूल-पूर्व/पूर्व-प्राथमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में 5 वर्ष का अध्यापक अनुभव।

(ii) **लेक्चरर/अध्यापकः**

स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा (प्रमाणपत्र) सहित स्नातक।

अथवा

बी.एड. (नर्सरी)

अथवा

मनोविज्ञान के साथ स्नातक/बाल विकास में विशेषज्ञता के साथ बी.एससी. (गृह विज्ञान)।

टिप्पणीः दो वर्ष की अवधि के बी.एड. (नर्सरी) डिग्रीधारक उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (पूर्णकालिक)
कला (ललित कलाएं/ निष्पादन कला/संगीत)	एक (अंशकालिक)
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालिक)

(ख) अर्हता

सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i)	यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक	1 (नियमित)
(ii)	कम्प्यूटर प्रचालक एवं स्टोरकीपर	1 (नियमित)
(iii)	परिचर	2 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/यूटी प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.2 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

763

IndiaCode

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक सुविधाएं

5.1.1 संस्थान के पास कम से कम 1000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 500 वर्गमीटर होगा। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट का स्थान होगा।

5.1.2 दो क्लासरूमों, एक बड़े बहुद्देशीय हाल, एक विशाल अधिगम संसाधन केन्द्र, सेमीनार/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासिनक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होगी। संगीत, कला, नाटक, हस्तशिल्प, सामग्री उत्पादन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी क्रियाकलाप बहुद्देशीय हाल में किए जा सकते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट का शिक्षणात्मक स्थान होगा। प्रत्येक क्लासरूप का आकार ऐसा होगा कि उसमें 50 प्रशिक्षणार्थी-अध्यापक सुविधापूर्वक बैठ सकें। बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था रखी जाएगी।

5.1.3 शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और ऐथेलेटिक्स के लिए समुचित आकार के बाहरी स्थान के अलावा इन्डोर खेलों के लिए भी सुविधाएं होनी चाहिए। खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। विकल्प के तौर पर सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

5.1.4 आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

Published
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

764

IndiaCode

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा-रहित होने चाहिए।

5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए निकटस्थ स्कूल-पूर्व/ईसीई केन्द्रों के संकुल की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध नर्सरी स्कूल हो।

5.2.2 संस्थान एक संयुक्त अधिगम संसाधन केन्द्र का गठन करेगा जिससे कि एक ऐसा वातावरण मुहैया कराया जा सके जिसमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया की सहायता और संवर्धन के लिए अध्यापकों और छात्रों के वास्ते बहुविध सामग्री और संसाधन उपलब्ध हो सकें। इनमें निम्न शामिल हो सकते हैं -

- पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं
- बच्चों की पुस्तकें
- श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, वीसीआर, टेपरिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर
- श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में
- अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें
- विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन
- कम्प्यूटर, जीरोक्स मशीन

5.2.3 विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री

5.2.3.1 **अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री**

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां

5.2.3.2 **सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्ची सामग्री**

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट; माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए

18/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

765

अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

5.2.3.3 श्रव्य दृश्य उपकरण

5.2.2 में यथानिर्दिष्ट। प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रव्य वीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रव्य टेपों, स्लाइडों, फिल्में, चार्टों, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफटवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

5.2.3.4 संगीत और लय

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

5.2.3.5 पुस्तकें, जर्नल तथा पत्रिकाएं

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, बच्चों पर तथा उनके वास्ते पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं (प्रहसनों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/ऐल्बमों, कविताओं सहित), संस्थान को कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगानी चाहिए जिनमें से कम से एक एक व्यावसायिक शिक्षा से सम्बद्ध होनी चाहिए।

5.2.3.6 खेल और खेल-कूद

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल-कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

5.3 सुविधाएं

5.3.1 शिक्षण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

5.3.2 संस्थान को महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी- अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

5.3.4 वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

766

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5.3.6 परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फ़र्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

पाठ्यचर्या संचालन में भूमिका निर्वाह - खेल, प्रश्नोत्तरी, सामग्री निर्माण, परियोजना कार्य, बाल मेला आदि जैसे दृष्टिकोणों और तरीकों पर बल दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा भावी अध्यापकों को एक आनंदपूर्ण वातावरण बनाने में प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कि 4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के भीतर स्कूली शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

767

परिशिष्ट -2

शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) के लिए प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के मानदण्ड और मानक

1.0 प्रस्तावना

1.1.1 देश के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा (6-14 वर्ष) प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है। प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लैंगिक अन्तरालों को पाटने वाले एक समावेशी स्कूल वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी अधिगम जरूरतों को पूरा करना है।

1.1.2 प्रारम्भिक शिक्षा के उद्देश्य ये हैं कि बच्चे को साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, सम्प्रेषण और समस्या समाधान के कौशल विकसित करने और आसपास के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण तथा उत्पादकता और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी अभिवृत्तियों और कौशलों का ज्ञान और समझ विकसित करने योग्य बनाया जा सके।

1.1.3 शिक्षा का प्रारम्भिक स्तर बच्चे को तीन आर (पढ़ना, लिखना और गणित) के साथ औपचारिक रूप से परिचित करने की शुरूआत है जो धीरे-धीरे विषय क्षेत्रों के अध्ययन की ओर बढ़ता है। इसे बच्चे के लिए एक ऐसा अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए जो कि आनन्दपूर्ण, क्रियाकलाप आधारित तथा सहभागितापूर्ण अध्यापन एवं अधिगम को बढ़ावा देता हो।

1.1.4 प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कई नामों से जाना जाता है जैसेकि बीटीसी, शिक्षा में डिप्लोमा, टीटीसी तथा इसी तरह के अन्य नाम। प्रशिक्षण की अवधि और प्रवेश की अर्हताएं अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। यह पाठ्यक्रम प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा डाइटों में चलाया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के (I से VIIIवें) स्तर के लिए अध्यापक तैयार करना है।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष है।

2.2 कार्य दिवस

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 180 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ प्रारम्भिक स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन/कौशल विकास के निमित्त होंगे।

(ख) एक कार्यदिवस छः दिन के सप्ताह में कम से कम छः घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों तथा प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

768

होगी ताकि जब कभी जरूरत हो वैयक्तिक सलाह, मार्गदर्शन, संवाद और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा। तथापि अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन स्वीकृत जिला शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थानों (डाइट)/जिला संसाधन केंद्रों को अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन अधिक से अधिक 200 छात्र दाखिल करने की मंजूरी दी जा सकती है।

3.2 पात्रता

3.2.1 उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क)(i) संख्या (दाखिल किए जाने वाले 50 और दो वर्षों के लिए 100 छात्रों की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रिंसीपल	1
लेक्चरर	5

4.1.1 (क)(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जो कि 50 छात्रों के गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में तीन की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.1 (क)(iii) अध्यापकों की नियुक्ति ऐसे की जाएगी कि सभी प्रविधि पाठ्यक्रमों और आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

769

4.1.1 (ख) अर्हताएं

(i) प्रिंसीपल

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं, तथा

(ख) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापक का पांच वर्ष का अनुभव

(ii) लेक्चरर

एम.एड.

अथवा

बी.एड. अथवा बी.एल.एड. सहित 55% अंकों के साथ एम.ए. (शिक्षा)

अथवा

डी.एड. अथवा बी.एल.एड. सहित किसी भी विषय में 55% अंकों सहित मास्टर डिग्री

टिप्पणी: दो वर्ष की अवधि वाली बी.एड. डिग्रीधारकों को विशेष भारिता प्रदान की जाएगी।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

• पुस्तकालयाध्यक्ष	एक (पूर्णकालिक)
• कला (ललित कलाएं/ निष्पादन कला/संगीत)	एक (अंशकालिक)
• स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालिक)
• कार्य अनुभव	एक (अंशकालिक)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं।

4.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i)	यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक (नियमित)	- 1
(ii)	कम्प्यूटर प्रचालक-एवं-स्टोरकीपर	- 1 (नियमित)
(iii)	सहायक	- 2 (नियमित)

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

770

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 1500 वर्गमीटर होगा जिसमें क्लासरूमों आदि के रूप में निर्मित क्षेत्र 1000 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट का स्थान होगा।

डी.एड. कार्यक्रम के साथ अन्य पाठ्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

केवल डी.एड.	- 1000 वर्गमीटर
डी.एड. सहित बी.एड.	- 2500 वर्गमीटर
डी.एड. तथा एम.एड. सहित बी.एड.	- 3000 वर्गमीटर

5.1.2 दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, एक बहुद्देशीय प्रयोगशाला, सेमीनार/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांगों की शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों, कार्यालय, प्रशासनिक स्टाफ के लिए स्वतंत्र कमरों तथा एक स्टोर की व्यवस्था होगी। संगीत, कला, नाटक, कार्यानुभव

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

क्रियाकलापों के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के वास्ते कम से कम 10 वर्गफुट स्थान होगा। बहुउद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था रखी जायेगी।

5.1.3 खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

5.1.4 आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा रहित होने चाहिए।

5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

5.2 शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त स्कूल होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन के लिए स्कूल, मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूलों के 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर होना चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध प्रारम्भिक स्कूल हो।

(ख) मनोविज्ञान और विज्ञान सेक्शनों सहित एक बहुद्देशीय शैक्षिक प्रयोगशाला और उसके साथ सम्बद्ध एक कार्यशाला होगी।

(ग) विज्ञान सेक्शन में प्रारम्भिक स्कूलों के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रयोगों का निदर्शन करने के लिए अपेक्षित उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

(घ) मनोविज्ञान सेक्शन में बच्चों के प्रेक्षण, परामर्श तथा मार्गदर्शन, व्यक्तित्व और रुचि सूचियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

(ङ) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर और साफ्टवेयर सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

(च) एक ऐसी शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला होगी जिसमें प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी कैमरा सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर उपलब्ध रहेगा।

(छ) रोट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह इन्टरलिंकिंग टर्मिनल) वांछनीय होगा।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

772

(ज) एक पुस्तकालय होगा जिसमें अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोषों, शब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडा रोम) सहित कम से कम 2000 पुस्तकें और प्रारम्भिक शिक्षा तथा सम्बद्ध विषयों पर पांच शैक्षिक पत्रिकाएं उपलब्ध रहेंगी। इस संग्रह में प्रतिवर्ष 200 पुस्तकें जोड़ी जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा के साथ-साथ इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर उपलब्ध रहेंगे।

(झ) एक कला और संगीत सेक्शन होगा जिसमें दृश्य कला के लिए आर्ट पेपर, साथ ही बोर्ड, ब्रश, रंग आदि उपलब्ध रहेंगे। हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंग तथा अन्य स्थानीय लोकप्रिय वाद्ययंत्र, मंचन, नृत्य और नाटक निस्पादन के लिए वेशभूषाएं तथा अन्य साज-सामान उपलब्ध रहेगा।

5.3 सुविधाएं

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.2 संस्थान को पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध कराये जाएंगे।

5.3.4 वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5.3.6 जब कभी जरूरत हो फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए और परिसर, पानी तथा टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई के लिए कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

आधारिक विषयों को पढ़ाने के अलावा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या अर्थात क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान तथा पर्यावरणात्मक शिक्षा जैसी विधियों विषयों के पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था होगी।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की अनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

परिशिष्ट - 3

प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानक और मानदंड

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पास अब यह सांविधिक प्राधिकार प्रदान किया गया है कि वह अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों के लिए तैयारी सहित अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और उन्हें बनाए रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में वह जो भी उचित समझे, कदम उठाए। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक एवं अध्यापक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना अनेक कारणों से अनिवार्य हो गया है। ये मानक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले वर्तमान संस्थानों के लिए इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे कि इनके आधार पर वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों से अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना कर सकेंगे और यदि उनमें कोई खामियां हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। इन मानदंडों से अध्यापक शिक्षा के लिए नए संस्थानों, कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

यहां मानकों एवं मानदंडों में उन 'शर्तों' का निदेश किया गया है जिनकी पूर्ति मान्यता, अनुमति तथा प्रवेश के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक है।

इस दस्तावेज में आमने-सामने के माध्यम से चार वर्ष का पूर्णकालिक एकीकृत प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक और मानदंड स्पष्ट किए गए हैं।

आशा है कि इस दस्तावेज का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के योजनाकारों तथा प्रशासकों और अध्यापक शिक्षा से जुड़े सरकारी स्वायत्त एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधकों द्वारा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनका आयोजन और उनकी मान्यता के लिए उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन मानदंडों का प्रयोग, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा (बी.एल.एड.) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की व्यावसायिक मान्यता के लिए करेगी। इन मानदंडों का प्रयोग वर्तमान कार्यक्रमों और संस्थानों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सरकारी, स्वायत्त तथा निजी प्रबंधकों को सलाह देने के लिए भी किया जा सकेगा।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

1. **पाठ्यक्रम की अवधि**

(क) एकीकृत प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा डिग्री कार्यक्रम, जिसे इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कहा जाएगा, अध्ययन के चौथे वर्ष/अंतिम वर्ष में स्थानबद्ध अध्यापन (इंटर्नशिप) की अवधि सहित, जो कम से कम 16 कार्य-सप्ताहों की होगी, कम से कम चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा।

(ख) इस कार्यक्रम में जिन प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें दाखिले के वर्ष से छः वर्ष के भीतर अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा कर लेना होगा।

2. **प्रवेश के मानदंड**

(क) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में चार वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों को, प्रत्याशी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई केंद्रीकृत निर्धारित प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी।

सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% ढील दी जाएगी।

(ख) प्रवेश के लिए योग्यताएं

(i) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेश के लिए कम से कम 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसने विद्यालय के कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिन या उसके पहले आयु के 17 वर्ष पूरे कर लिए हों।

3. **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और स्थानांतरण**

(क) एक यूनिट में एक कक्षा में 35 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) संस्थानों द्वारा पहले वर्ष के अंत में केवल एक बार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमति लेकर विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति दी जाएगी किंतु शर्त यह है कि प्रत्याशियों की संख्या दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमत्य अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

4. **पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की अवधि**

मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करनी होगी। अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में हरेक संस्थान को क्षेत्रीय दौरों तथा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में नवाचारी क्रियाकलापों वाले केंद्रों के दौरों की व्यवस्था करनी होगी। संस्थानों को पाठ्यक्रमों की निम्नलिखित योजना के अनुसार शिक्षा देने का प्रबंध करना होगाः

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

775

(क) *प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) की पाठ्यक्रम योजना*

बी.एल.एड. कार्यक्रम की रूपरेखा इस ढंग से बनी होनी चाहिए कि उसमें विषय ज्ञान, मानवीय विकास, शिक्षाशास्त्र तथा संप्रेषण-कौशल - इन सभी का समेकन हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य एवं वैकल्पिक - दोनों सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों, अनिवार्य अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा अनिवार्य स्थानबद्ध स्कूल अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेशन अनिवार्य है:

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

- *आधारिक पाठ्यक्रम*
- *कोर पाठ्यक्रम*
- *शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम*
- *उदारीकृत पाठ्यक्रम*
- *शिक्षा में अन्य विकल्प*

अभ्यासक्रम

- ***निष्पादन कलाएं एवं ललित कलाएं, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा***
- *सहभागितापूर्ण कार्य*
- *बच्चों का अवलोकन*
- *आत्म-विकास कार्यशाला*
- *विद्यालय संपर्क कार्यक्रम*
- *विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन कार्य*
- *परियोजना कार्य*
- *ट्यूटोरियल्स एवं गोष्ठीक्रम*
- *शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप*

(ख) *सैद्धांतिक एवं अभ्यासक्रम का वर्गीकरण तालिका 1क तथा 1ख में सुझाए अनुसार ज्ञान के क्षेत्रों के आधार पर किया जाए।*

तालिका 1क : व्यावसायिक शिक्षा के लिए आधारिक आधार

अध्ययन का क्षेत्र	बी.एल.एड. पाठ्यक्रम
विषय के ज्ञान का आधार	**कोर पाठ्यक्रमः** सी.1.1 भाषा का स्वरूप सी.1.2 कोर गणित सी.1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान सी.1.4 कोर सामाजिक विज्ञान **द्वि-स्तरीय उदारीकृत विषय विशेष वैकल्पिक पाठ्यक्रमः** 02. किसी भी चुनिंदा विषय क्षेत्र में एक्स और 03.एक्स **आधारिक पाठ्यक्रम (बहु-विषय क्षेत्रीय)** एफ 1.2 समकालीन भारत

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

776

IndiaCode

शिक्षा	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 3.6 शिक्षा की मूल अवधारणाएं एफ 3.7 विद्यालय नियोजन तथा प्रबंधन एफ 4.8 पाठ्यचर्या अध्ययन एफ 4.9 लिंग एवं विद्यालय शिक्षा
बाल अध्ययन	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 1.1 बाल विकास एफ 2.3 संज्ञान तथा सीखना एफ 2.4 भाषा अर्जन

तालिका 1ख : व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम

अध्ययन का क्षेत्र	बी.एल.एड. पाठ्यक्रम
बाल अध्ययन	**अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमः** पीआर 1.2 (क) विद्यालय संपर्क कार्यक्रम (ख) शिल्प **पीआर 2.3 बच्चों का अवलोकन** पी.2.1 समूचे पाठ्यक्रम में भाषाज्ञान पी.3.2 तर्कपरक गणित शिक्षा पी.3.3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षाशास्त्र **कोई एक वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमः** ओपी.4.1 भाषा ओपी.4.2 गणित ओपी.4.3 प्राकृतिक विज्ञान ओपी.4.4 सामाजिक विज्ञान अथवा **शिक्षा से संबंधित कोई एक वैकल्पिक उदारीकृत पाठ्यक्रम** ओएल.4.1 कंप्यूटर शिक्षा ओसी.4.2 विशेष शिक्षा **विद्यालय संपर्क कार्यक्रमः** एससी.3.1 कक्षा प्रबंधन एससी.3.2 सामग्री विकास तथा मूल्यांकन
अध्यापकों का विकास एवं कौशल प्रशिक्षण	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण **अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम** पीआर 1.1 रंगमंच पीआर 1.2 शिल्प पीआर 2.4 आत्म-विकास

ImageCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

777

	पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा गोष्ठीक्रम/ट्यूटोरियल्स शैक्षणिक संवर्द्धन, क्षेत्र-आधारिक परियोजनाएं/एसाइनमेंट्स
विद्यालय अनुभव	एसआई विद्यालय में स्थानबद्ध परियोजना

टिप्पणी: अनुशंसात्मक/निदर्शी विवरण अनुबंध 'ए' में दिए गए हैं:

(ग) विद्यार्थी संपर्क के घंटे

विद्यार्थी संपर्क के वर्ष-वार न्यूनतम घंटों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका 2 : वर्ष-वार विद्यार्थी संपर्क कार्यक्रम के कम से कम घंटे

अध्ययन का वर्ष	प्रतिदिन विद्यार्थी संपर्क के घंटे	प्रति सप्ताह विद्यार्थी संपर्क के घंटे	संपर्क के कुल घंटे
I	6.7	33.5	837.5
II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
योग	23.2	116.0	2900.0

विद्यार्थी संपर्क घंटों को संपर्क पीरियडों के रूप में पढ़ा जाए। एक पीरियड आमतौर पर 50 मिनट का होता है। औसत विद्यार्थी संपर्क घंटों की गणना प्रति सप्ताह पांच कार्य दिवस मानकर की गई है।

5. प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कार्यक्रम का आयोजन

संस्थानों को व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित निम्निलिखत विशेष मांगों को पूरा करना होगा:

(क) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक के विद्यार्थियों को संस्थानों के अन्य क्रियाकलापों में शैक्षणिक, साथ ही सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में सम्मिलित करना होगा और उन्हें कंप्यूटर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाएगा।

(ख) संस्थानों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच अंतःविषय क्षेत्रीय शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना होगा।

(ग) विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए संगोष्ठियों, भाषणों तथा सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा की शुरूआत की जाएगी।

(घ) कार्यक्रम संबंधी विशेष क्रियाकलापों के संचालन के लिए (अर्थात रंगमंच, शिल्प, आत्मविकास कार्यशालाएं) विश्वविद्यालय/संस्थान के भीतर/बाहर उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों से सहायता अवश्य ली जाएगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

778

(ङ.) संस्थान को कम से कम छः प्रारंभिक विद्यालयों के समूह के बीच विचारों और क्रियाकलापों का आदान-प्रदान प्रारंभ करना और बनाए रखना आवश्यक है। ये विद्यालय अध्ययन कार्यक्रम की समूची अवधि में सभी अभ्यासक्रम क्रियाकलापों एवं उनसे संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु बने रहेंगे।

(च) संस्थान को विद्यालयों के स्नताकों की नियुक्ति की दिशा में भी कदम उठाना होगा।

6. परीक्षा, मानक और परीक्षकों की योग्यताएं

संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त अध्यादेशों में निम्नलिखित को यथास्थान सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, जो अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से जब भी उचित समझा जाए, इनकी समीक्षा के लिए प्रावधान बनाएंगे।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन आंतरिक रूप से हो सकता है।

(ग) सभी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा स्थानबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में संस्थानों के बीच गुणवत्ता एवं समानता से संबंधित प्रश्नों पर निगरानी रखने का काम संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित एक मॉडरेशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(घ) आंतरिक स्तर पर हुए मूल्यांकन के आधार पर सैद्धांतिक विषयों के सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 30 प्रतिशत की और अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 100 प्रतिशत की भारिता प्रदान की जाएगी।

(ङ.) प्रतिवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में कम से कम 40%, आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 45%, अभ्यासक्रम में 50% और कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) केवल उन्हीं प्रत्याशियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे।

(छ) यदि किसी प्रत्याशी ने कुल मिलाकर 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, किंतु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है और उस विषय में यदि उसके अंक 25% से कम नहीं है, तो उसे अस्थायी रूप से आगामी वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी, किंतु शर्त यह है कि उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क की अदायगी करके आयोजित होने वाली सहायक (कंपार्टमेंटल) परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा। यदि प्रत्याशी उस सहायक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है या वह सहायक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती तो उसे पिछले वर्ष में वापस भेज दिया जाएगा।

(ज) परीक्षा के किसी भी विषय का परीक्षक होने के लिए परीक्षक के पास अपने अध्ययन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

778

7. कर्मचारी वर्ग, उपकरण तथा प्रशिक्षण

(क) *शैक्षणिक संकाय*

- *पूर्णकालिक संकाय-सदस्यों की संख्या - 14*
- *संकाय-विद्यार्थी अनुपात - 1:10*
- *विद्यार्थियों की संख्या - 35x4 = 140*
- *अंशकालिक संकाय सदस्यों की संख्या - 3*

(ख) *संस्थानों द्वारा संकाय-सदस्यों को शोधकार्य सहित व्यावसायिक अभ्यास संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।*

(ग) *संस्थानों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम में संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।*

(घ) *प्रशासनिक स्टाफ*

- *पाठ्यचर्या प्रयोगशाला परिचर : 1*
- *संसाधन प्रयोगशाला परिचर : 1*
- *स्टेनो टाइपिस्ट : 2*

(ङ.) *कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप*

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सभी पदों के लिए चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रहेगा।

(च) *संकाय सदस्यों का चयन*

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों के पास शिक्षा विषय में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री, अथवा शिक्षा* में शोधकार्य में डिग्री अथवा शिक्षा* के क्षेत्र में प्रमाणित अनुभव/शोधकार्य सहित बहुविध विशेषज्ञताएं (तालिका 3 के विवरण के अनुसार) होनी चाहिए।*

*अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा

तालिका 3 : प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों का अपेक्षित प्रोफाइल

विशेषज्ञता	पदों की संख्या	अनिवार्य अर्हताएं	विशेष रुचि तथा प्रमाणित अनुभव	पढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित प्रारंभिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम
मनोविज्ञान/बाल विकास	एक तथा	एम.एम. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (बाल विकास में विशेषज्ञता सहित)/एम.एससी. बाल विकास तथा शिक्षा में शोध कार्य में डिग्री	बच्चों के साथ कार्य/बच्चे किस तरह सीखते हैं इन प्रश्नों पर बच्चों के साथ रहकर किया गया कार्य।	बाल विकास संज्ञान तथा सीखना संबंधित शिक्षण-अभ्यास

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

780

IndiaCode

	एक	एम.ए. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/(नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/एमएसडब्ल्यू (व्यक्तित्व विकास तथा काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य	नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग	संबंधित अभ्यासक्रम मानव संबंध/और संप्रेषण संबंधित अभ्यासक्रम
गणित	एक	एम.एम. गणित/एम.एससी. गणित तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावासयिक डिग्री	रचनात्मक अध्यापन पद्धति	कोर गणित तर्कपरक गणित शिक्षा विद्यालय संपर्क गणित शिक्षाशास्त्र
विज्ञान जीव-विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान	एक तथा एक	एम.एएसम. जीवविज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री एम.एससी. भौतिक विज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा ग्रहण मनोविज्ञान, पाठ्यचर्यात्मक मुद्दे, विज्ञान शिक्षण -वही-	कोर प्राकृतिक विज्ञान पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र विद्यालय संपर्क प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
सामाजिक विज्ञान	एक तथा एक	एम.ए. राजनीतिशास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/ राजनैतिक अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता सहित)/एम.ए. समाजशास्त्र, (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों में विशेषज्ञता सहित)/ एम.ए. इतिहास (सामाजिक विज्ञान के दर्शनशास्त्र के विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य एम.ए. सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	समकालीन भारतीय मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणात्मक शिक्षा के बहुविषय क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों के समेकित अनुप्रयोग शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, रचनात्मक अध्यापन विधि सामाजिक विज्ञान में	कोर सामाजिक विज्ञान समकालीन भारतवर्ष पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र समाज विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
भाषा विज्ञान	एक	एम.एं. भाषा विज्ञान/भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित एम.ए. अंग्रेजी/ हिंदी भाषा विज्ञान में डिप्लोमा. सहित तथा बच्चों में भाषा विकास विषय पर शोधकार्य/शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा पर	बच्चों में भाषा विकास, रचनात्मक भाषा अध्यापन	भाषा का स्वरूप भाषा अर्जन

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

		शोध कार्य		
भाषा : हिंदी अथवा अंग्रेजी	एक	अंग्रेजी/हिंदी में एम.ए. साथ ही शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	पाठ्यचर्या सामग्री का विकास; नवीन विधियों से भाषा-शिक्षण, भाषा का शिक्षाशास्त्र	समूची पाठ्यचर्या में भाषा संबंधित अभ्यासक्रम भाषा का शिक्षाशास्त्र
शिक्षा	एक तथा एक	दर्शनशास्त्र में एम.ए. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में व्यावसायिक डिग्री सामाजिक विज्ञान में एम.ए. विज्ञान में एम.एससी. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा-सिद्धांत, दर्शन तथा नीति पाठ्यचर्या विषयक मुद्दे, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य	शिक्षा में मूल अवधारणाएं बाल विकास पाठ्यचर्या अध्ययन अन्य पाठ्यक्रमों की संगत इकाइयां विद्यालय आयोजना तथा प्रबंध
उदार विकल्प (कम से कम 4)	तीन*	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री	अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य.	लिए गए उदार विकल्प
अंशकालिक संकाय रंगमंच	तीन**	संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रमाणित अनुभव शिक्षा में रंगमंच	शिक्षा में आत्मविकास के लिए रंगमंच के उपयोग की क्षमता	निष्पादन तथा ललित कलाएं
शिल्प आत्म-विकास शारीरिक शिक्षा		शिल्प-निर्माण/प्रशिक्षण नैदानिक/काउंसलिंग अभ्यास/ सामूहिक प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास	शिल्प निर्माण में कुशलता तथा दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता वैयक्तिक विकास/ काउंसलिंग में कार्यशालाएं संचालित करने की क्षमता शिक्षा के साथ शारीरिक संचलन के विभिन्न रूपों का समेकन करने की क्षमता	शिल्प, सहभागितापूर्ण कार्य आत्म-विकास कार्यशालाएं शारीरिक शिक्षा

* ये सेवाएं संस्थान के किसी सहयोगी विभाग से ली जाएंगी

** एक पूर्णकालिक संकाय के बराबर (ये विशेष योग्यताप्राप्त संसाधन व्यक्ति होंगे जो संस्थान के बाहर रहकर अपनी सेवाएं देंगे)।

8. **अन्य सुविधाएं**

संस्थान को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगी:

भौतिक सुविधाएं

प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान में जिन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी होगी उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है (i) शैक्षणिक क्षेत्र, (ii) प्रशासनिक क्षेत्र तथा (iii) सुविधा क्षेत्र।

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

782

- शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, संसाधन प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, कार्यशाला, प्रेक्षागृह, कंप्यूटर कक्ष तथा पुस्तकालय होंगे।
- *प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिंसीपल का कमरा, संकाय के लिए कमरे, केंद्रीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, अभिलेखागार, कंप्यूटर कक्ष तथा स्वागत कक्ष होंगे।*
- *सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए कामन रूम, स्टाफ रूम, हाल, खेलकूद/मनोरंजन केंद्र, जलपानगृह, सहकारी भंडार, औषधालय तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी।*

9. स्थान के लिए मानदंड

जहां अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था किसी ऐसे विभाग/महाविद्यालय के माध्यम से की जाती है जो कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान का एक अभिन्न अंग है जिसमें अनेक संकाय और अध्ययन के विभाग हैं, वहां केंद्र में उपलब्ध सभी केंद्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग मिलकर करेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का प्रश्न है, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी ताकि प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) पाठ्यक्रम के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्वयं विभाग का अलग से एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाना चाहिए जिससे प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षाशास्त्र-आधारित अभ्यासक्रम तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के साथ ही संसाधन प्रयोगशाला में पढ़ने की पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध रहनी चाहिए। प्रेक्षागृह, हाल, सम्मेलन कक्ष आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा सकता है।

10. प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के विद्यार्थियों के लिए विशेष आधारिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला : एक

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होगी, जहां व्यवहारिक अनुभव ग्रहण करने के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे। इस प्रयोगशाला का उपयोग पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों जैसे कि शिल्प, कोर गणित, कोर विज्ञान तथा आंशिक रूप से कोर सामाजिक विज्ञान तथा तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में तर्कपरक गणित शिक्षा, पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र तथा सामग्री-विकास संबंधी अभ्यासक्रम के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

प्रयोगशाला में विज्ञान तथा गणित में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा साज-सामान जैसे कि उपस्कर, रसायन, किटें, नक्शे, ग्लोब, उपकरण तथा हथौड़ी, प्लास, कैंची और तार जैसे औजार उपलब्ध रहने चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में काम करने के प्रयोग में आने वाली मेजें भी रहनी चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ताकि फर्श पर काम करने की जगह भी मिल सके। प्रयोगशाला में एक ओवरहैड प्रोजेक्टर के प्रयोग, सूचनापट्ट तथा कक्षाएं चलाने के वास्ते ब्लैकबोर्ड के लिए भी स्थान रहना चाहिए।

(ख) संसाधन प्रयोगशाला : एक

संसाधन प्रयोगशाला का प्रयोग एक प्रयोगशाला-एवं-विभागीय पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। इसमें एक भंडार कक्ष रहना चाहिए, साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें, पाठ्यचर्या

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

783

सामग्री, बाल साहित्स, पाठ्यपुस्तकें, रिपोर्ट तथा दस्तावेज उपलब्ध रहने चाहिए। यह सामग्री वह होगी, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रांरभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) से संबंधित पाठ्यक्रमों में होता है। इन सभी वस्तुओं की संख्या इतनी रहनी चाहिए जिससे इनका उपयोग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी कर सकें। संसाधन प्रयोगशाला में संकाय तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक कंप्यूटर सुविधा भी सुलभ होनी चाहिए। प्रयोगशाला में स्थान भी काफी रहना चाहिए जिससे इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की बैठकों, कक्षाओं तथा सामूहिक परिचर्चा एवं पढ़ने के लिए भी किया जा सके।

(ग) कार्यशाला के लिए स्थान : दो

संस्थान को रंगमंच कार्यशालाओं, आत्म-विकास कार्यशालाओं तथा शारीरिक शिक्षा कार्यशालाओं जैसी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी। यह स्थान इतना होना चाहिए कि उसमें 35-40 विद्यार्थियों के बैच के लिए आसानी से आने-जाने की जगह रहे।

11. शुल्क संरचना एवं छात्रवृत्तियां

अनिवार्य

शुल्क की संरचना राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होनी चाहिए। किंतु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से लिया गया शुल्क और दूसरे खर्च की कुल राशि संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी पर हुए आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वांछनीय

गरीब वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त निःशुल्क शिक्षावत्ति दी जा सकती है। योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी रहना चाहिए।

कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए। सभी पदों के लिए चयन उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार के मानदंडों के अनुसार रहेगा।

चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.) की योजना

अनुबंध 'ए'

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को +2 के बाद प्रवेश दिया जाएगा

सिद्धांत			अभ्यासक्रम			गोष्ठीक्रम/परियोजना			संवर्द्धन		
	परीक्षा अवधि	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रथम वर्ष											
एफ 1.1 बाल विकास	3	100	पीआर 1.1 फारमैटिंग तथा ललित कलाएं	4	75						
एफ 1.2 समकालीन भारत	3	100									
सी-1.1 भाषा का स्वरूप	2	50	पीआर 1.2 शिल्प,	3	25	गोष्ठीक्रम ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन	1	

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

784

			सहभागितापूर्ण कार्य						क्रियाकलाप		
सी-1.2 कोर गणित	2	50									
सी-1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान	2	50									
सी-1.4 कोर सामाजिक विज्ञान	2	50									
		400		7	100		1	50		1	550
द्वितीय वर्ष											
एफ-2.3 संज्ञान और सीखना	3	100	पीआर 2.3 बाल अवलोकन	2	75						
एफ-2.4 भाषा अर्जन	2	50									
एफ-2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण	2	50									
पी 2.1 समूची पाठ्यचर्या में भाषा	2	50	पीआर 2.4 आत्म विकास कार्यशाला	3	50	कोलोकिया ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप		
			पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा	2	25						
उदार पाठ्यक्रम (वैकल्पिक 1)	3	100									
02.1 अंग्रेजी-1											
02.2 हिंदी-1											
02.3 गणित-1											
02.4 भौतिक विज्ञान-1											
02.5 रसायन विज्ञान-1											
02.6 जीवविज्ञान-1											
02.7 इतिहास-1											
02.8 राजनीतिशास्त्र-1											
02.9 भूगोल-1											
02.10 अर्थशास्त्र-1		350		7	150		1	50			550

एफः आधारिक पाठ्यक्रम; सीः कोर पाठ्यक्रम; पीः शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओः वैकल्पिक उदार पाठ्यक्रम; ओ.पी.ः वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओ.एल.ः वैकल्पिक पाठ्यक्रम; पीआरः अभ्यासक्रम; एससीः विद्यालय संपर्क कार्यक्रम; एसआईः विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन।

पाठ्यक्रम के नाम के अक्षरों (एफ, सी, पी, आदि) के तुरंत बाद दी गई संख्या कार्यक्रम के उस वर्ष की परिचायक है जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। दूसरी संख्या विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम के क्रमांक की परिचायक है। उदाहरण के लिए एफ 2.5 से यह पता चलता है कि मानव संबंध एवं संप्रेषण 5वां आधारिक पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम के अध्ययन काल के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाना है।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

785

IndiaCode

परिशिष्ट - 4

शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) से संबंधित माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक तत्परता पाठ्यक्रम जिसे आमतौर पर बी.एड. के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो कि उच्च प्राथमिक/मिडिल (कक्षाएं VI-VIII), माध्यमिक (कक्षाएं IX-X) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षाएं XI-XII) स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि के अलावा कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 10 स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन के लिए होंगे।

(ख) छः दिवसीय सप्ताह में एक कार्य दिवस कम से कम छः घंटे का होगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और छात्र-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी है ताकि जब कभी आवश्यक हो, वैयक्तिक सलाह, मार्गदर्शन, संवाद और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

सहभागितापूर्ण शिक्षण और अधिगम को सुकर बनाने के लिए 100 छात्रों का एक यूनिट होगा जिसे सामान्य सत्रों के लिए 50-50 के दो सेक्शनों में बाट दिया जाएगा और कार्यक्रम के पद्धति पाठ्यक्रमों तथा अन्य प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक स्कूल विषय के निमित्त प्रति अध्यापक अधिक से अधिक 25 छात्र होंगे।

3.2 पात्रता

3.2.1 कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा एम.ए. की डिग्री अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

786

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1क (i) संख्या (100 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	- 1
लेक्चरर	- 7

4.1क (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र 100 के गुणकों में होंगे और पूर्णकालिक अध्यापक शिक्षकों की संख्या में, मूल यूनिट में प्रत्येक वृद्धि के साथ सात की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1क(iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी ताकि सभी आधारिक और प्रविधि पाठ्यक्रम अर्थात कला, विज्ञान और वाणिज्य धारा पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके।

4.1.ख. अर्हताएं

(i) प्रिंसीपल/अध्यक्ष (बहु-संकाय संस्थान में)

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ख) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल-अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

787

(ii) लेक्चररः

एम.एड. सहित मास्टर डिग्री

अथवा

बी.एड. सहित मास्टर डिग्री (55% अंकों सहित)

टिप्पणीः

(i) पी.एचडी./एम.फिल (अधिमानतः शिक्षा/शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध में पी.एचडी.) को विशेष भारिता दी जाएगी।

(ii) दो वर्षीय बी.एड. डिग्रीधारक उम्मीदवारों को विशेष भारिता दी जाएगी।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पूर्णकालिक अध्यापक

(i) कला शिक्षा
(ii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा
(iii) कार्य अनुभव
(iv) आईसीटी

} अपर्याप्त काम होने की स्थिति में इन पदों पर अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की जा सकती है।

(v) पुस्तकालयाध्यक्ष - पूर्णकालिक
(vi) तकनीकी सहायक - पूर्णकालिक

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय-एवं-लेखा सहायक - 1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक-एवं टंकक - 1 (नियमित)
(iii) स्टोर-कीपर - 1 (नियमित)
(iv) परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ - 2 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

788

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान के पास कम से कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से क्लासरूमों आदि सहित कम से कम 1500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए।

बी.एड. कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

केवल बी.एड.	- 1500 वर्गमीटर
बी.एड. तथा एम.एड.	- 2000 वर्गमीटर
बी.एड. तथा डी.एड.	- 2500 वर्गमीटर
बी.एड. तथा डी.एड. तथा एम.एड.	- 3000 वर्गमीटर

5.1.2 दाखिल किए जाने वाले 100 छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए कम से कम दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, अनुदेशात्मक क्रियाकलाप करने के लिए तीन प्रयोगशालाओं, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक संसाधन कक्ष, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों, कार्यालय और प्रशासनिक स्टाफ के लिए अलग-अलग कमरों और एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कमरे में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

होना चाहिए। एक क्लासरूम में 50 छात्र-अध्यापकों के आराम से बैठने की व्यवस्था होन चाहिए। बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए। दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए क्लासरूमों, ट्यूटोरियल कक्षों आदि की संख्या में तदनुरूपी वृद्धि की जाएगी।

5.1.3 खेल के मैदान सहित खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विकल्प के रूप में संबद्ध स्कूल/कालेज के खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और जहां महानगरों/पहाड़ी क्षेत्रों में स्थान की कमी हो वहां योग, छोटे मैदान तथा इंडोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।

5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

5.2 शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास छात्र-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास-शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूल सुलभ होने चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जाएगी। बेहतर होगा यदि संस्थान के पास उसके नियंत्रण में एक संबद्ध स्कूल मौजूद हो।

(ख) कम से कम 25% छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए 1000 टाइटल तथा संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, अब्दकोशों, इलेक्ट्रिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम से कम 3000 पुस्तक और अध्यापक शिक्षा की कम से कम पांच पत्रिकाएं तथा संबद्ध विषयों में अन्य पांच पत्रिकाएं मगाएंगे। पुस्तकालय के संग्रह में प्रति वर्ष 200 पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकाय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) संस्थान में एक विज्ञान प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोग करने और उनका निदर्शन करने के लिए आवश्यक विज्ञान उपकरणों के एकाधिक सैट उपलब्ध होंगे। समुचित मात्रा में रसायन आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

(घ) संस्थान में शैक्षिक मनोविज्ञान से जुड़े साधारण प्रयोग करने के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान प्रयागशाला होगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 10/5/11
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

790

(ड.) भाषा सीखने के लिए हार्डवेयर और सफ्टवेयर सुविधाएं रहेंगे।

(च) कंप्यूटरों, टीवी, कैमरा सहित हार्डवेयर और साफ्टवेयर से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी।

(छ) बेहतर हो कि रौट (रिसीव्ड ओनली टर्मिनल) सिट (सैटैलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण उपलब्ध रहें।

(ज) एक पूर्णतः सुसज्जित कार्य-अनुभव कक्ष होगा।

5.3 साधन

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी।

5.3.2 संस्थान द्वारा पुरुष/महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूम उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.4 वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

(क) प्रत्येक छात्र द्वारा किया जाने वाला प्रायोगिक कार्य

मद	अनिवार्य (संख्या)
(क) पाठ आयोजना और वास्तविक स्कूल स्थितियों में पढ़ाना	40 (चालीस)
(ख) साथी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठों का अवलोकन	20 (बीस)
(ग) निदर्शन पाठों का अवलोकन	2
(घ) राज्य/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित नमूने के अनुसार प्रत्येक पद्धति विषय में परीक्षण मदों/यूनिट परीक्षण तथा परीक्षा प्रश्न-पत्र तैयार करना	1
(ड.) ट्यूटोरियल निबंध	3
(च) अध्यापन सहायक-सामग्री का निर्माण	2

(बी) **अभ्यास पाठ का पर्यवेक्षण**

निर्धारित अभ्यास शिक्षण पाठों में से कम से कम 50 प्रतिशत पाठ अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किए जाएंगे और प्रशिक्षणार्थियों को मौखिक फीडबैक और साथ ही लिखित रूप में टिप्पणियां उपलब्ध कराई जाएंगी। पाठ आयोजन, अध्यापन और पर्यवेक्षण का रिकार्ड रखा जाएगा।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

791

IndiaCode

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही अथवा निकटस्थ भवन में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान संबंधी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

परिशिष्ट - 5

एम.एड. (मास्टर ऑफ एजूकेशन) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

1.1.1 शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) कार्यक्रम जोकि सामान्य अथवा विशेषज्ञतापूर्ण हो सकता है, ऐसे छात्रों के लिए है जो कि पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा में किसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छुक हैं तथा यह कार्यक्रम अध्यापक प्रशिक्षकों, शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं, पाठ्यचर्या निर्माताओं, पाठ्यपुस्तक लेखकों, मूल्यांकन विशेषज्ञों, मार्गदर्शन और परामर्श विशेषज्ञों आदि का एक व्यावसायिक संवर्ग तैयार करने के लिए भी है।

1.1.2 एम.एड. कार्यक्रम में शिक्षा के विषय-क्षेत्र में विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रमों तथा संबंधित व्यावहारिक/क्षेत्रीय कार्य सहित सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और साथ ही अध्यापक शिक्षा संस्थान से परिचय और उसमें प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध के रूप में अनुसंधान कार्य इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होगा। वास्तविक डिजाइन और घोषित लक्ष्यों के आधार पर यह कार्यक्रम छात्रों को शिक्षा के अपने ज्ञान और बोध का विस्तार करने और उसमें गहराई लाने, अध्यापक शिक्षा सहित चुनिंदा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने और अनुसंधान संबंधी कौशल प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करता है।

1.1.3 ऐसे विश्वविद्यालय विभागों को छोड़कर जोकि सीधे ही बी.एड. पाठ्यक्रम न चला रहे हों, केवल वही संस्थान एम.एड. पाठ्यक्रम चलाने के पात्र हैं जोकि बी.एड. कार्यक्रम चला रहे हों।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

एम.एड. कार्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा।

2.2 कार्यकारी दिवस

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधियों को छोड़कर नितांततः अनुदेशन, शोध प्रबंध के निमित्त क्षेत्रीय कार्य और अध्यापक शिक्षा संस्थान में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम-से-कम 180 कार्यदिवस होंगे।

(ख) दिन के सप्ताह में एक कार्यकारी दिवस कम-से-कम छह घंटे का होगा जिसके दौरान वैयक्तिक ध्यान, मार्गदर्शन, सलाह और परामर्श सुनिश्चित करने के लिए सभी अध्यापकों और छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) बुनियादी यूनिट 25 छात्रों की होगी।

(ख) ऐसे प्रमाणित संस्थानों में, जहां भौतिक और मानवीय--दोनों प्रकार के आधारिक तंत्र का स्तर उन्नत कोटि का है और जिसका सत्यापन किया जा सकता है कुल मिलाकर 50 छात्रों तक का दाखिला मंजूर किया जा सकता है।

3.2 पात्रता

(क) बी.एड. में कम-से-कम 55 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 क (i) संख्या (25 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष	- एक
रीडर	- एक
लेक्चरर	- तीन

4.1 क (ii) अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने पर संकाय की स्थिति में ऊपर बताए गए अनुपात के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

4.1 ख अर्हताएं

प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष

(i) स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थान में 10 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे यथानिर्धारित अर्हताएं।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल-अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

793

उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

रीडर

(i) अध्यापक शिक्षा संस्थान में स्नातकोत्तर स्तर पर पांच वर्ष के तथा स्नातक स्तर पर दस वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे यथानिर्धारित अर्हताएं।

लेक्चरर

(i) कम से कम 50% अंकों सहित मास्टर डिग्री तथा एम.एड.

(ii) किसी भी विषय में पीएच.डी. (शिक्षा/शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध पीएच.डी. को विशेष भारिता दी जाएगी)।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

4.3 प्रशासनिक स्टाफ

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

794

IndiaCode

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान के पास कम-से-कम 2500 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से क्लास-रूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम-से-कम 2000 वर्ग मीटर होना चाहिए जिसमें बी.एड. कक्षाओं के लिए स्थान शामिल होगा। प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए।

एम.एड. कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगा:

एम.एड. तथा बी.एड.	- 2000 वर्गमीटर
एम.एड. तथा बी.एड. तथा डी.एड.	- 3000 वर्गमीटर

5.1.2 दाखिल किए जाने वाले 25 छात्रों के लिए अनुदेशात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए कम-से-कम एक क्लासरूम, एक हॉल/संगोष्ठी कक्ष, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होगी, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्ष होंगे जिनमें सात से आठ छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था होगी।

5.1.3 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

5.1.4 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।

5.1.5 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

5.2 शिक्षणात्मक

(क) कम-से-कम 10 छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम-से-कम 2000 पुस्तकें और कम-से-कम पांच व्यावसायिक

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

795

अनुसंधान पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम 100 उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्र-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण तथा साफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर तथा टी.वी., कैमरा सहित एक सुसज्जित शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा मीडिया प्रयोगशाला होगी।

(ग) सूचना प्रौद्यागिकी (आईटी) का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए और अध्यापक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के वास्ते, रौट (रिसीव्ड ओनली टर्मिनल) सिट (सैटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण वांछनीय होंगे।

(घ) एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी जिसमें पाठ्यचर्या में सूचीबद्ध प्रयोग करने के लिए उपकरण होंगे।

5.3 साधन

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें छात्रों और अध्यापकों के लिए क्लासरूमों, हालों, प्रयोगशालाओं में डैस्क, कुर्सियां और मेजें, बुक शैल्फ शामिल होंगे।

5.3.2 संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.4 संस्थान में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.5 कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा, वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 पाठ्यचर्या संचालन

(i) शोध-प्रबंध तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण एक अनिवार्य घटक होगा।

(ii) प्रत्येक एम.एड. छात्र को, क्लासरूम अभ्यास अधिगम सत्रों के अवलोकन के लिए बी.एड. छात्रों के स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा।

(iii) एक अध्यापक प्रशिक्षक के साथ अधिक से अधिक सात प्रशिक्षणार्थी संबद्ध किए जाएंगे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

796

(iv) प्रत्येक एम.एड. छात्र को एक अनिवार्य अनुसंधान प्रविधि पाठ्यक्रम के रूप में एक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना होगा और अभ्यासक्रम के अधीन औपचारिक मंजूरी के लिए उसे वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही अथवा निकटस्थ भवन में अध्यापक शिक्षा में एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय और प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान संबंधी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है।

परिशिष्ट - 6

एम.एड. (मास्टर ऑफ एजूकेशन) (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

(क) शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम (एम.एड.) (अंशकालिक) एक ऐसा सेवाकालीन व्यावसायिक कार्यक्रम है जोकि प्रशासन, अनुसंधान, पाठ्यचर्या सामग्री विकास, नीति निर्माण, अध्यापक शिक्षा आदि से जुड़े हुए सेवारत अध्यापकों और शैक्षिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

(ख) केवल विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग और शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएएसई) तथा सीटीई जोकि एम.एड. आमने-सामने कार्यक्रम चलाते हैं, एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम चलाने के पात्र हैं।

2.0 अवधि और कार्यकारी दिवस

(क) एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी और प्रत्येक वर्ष में छह दिन के सप्ताह में प्रतिदिन तीन घंटे के कार्यदिवस सहित 180 दिन होंगे।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और पात्रता

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

एक वर्ष में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। बुनियादी यूनिट 25 छात्रों का होगा।

3.2 पात्रता

अध्यापक तथा शैक्षिक प्रशासक और ऐसे अन्य अधिकारी जो प्रशासन, अनुसंधान, पाठ्यचर्या सामग्री विकास, नीति निर्माण, अध्यापक शिक्षा आदि के साथ जुड़े हैं और जिन्होंने कम से कम दो वर्षों की सेवा पूरी कर ली है दाखिले के लिए पात्र हैं।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

बी.एड. तथा/अथवा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार।

4.0 स्टाफ
5.0 आधारिक सुविधाएं

इन पक्षों के संबंध में पूर्णकालिक एम.एड. कार्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड आवश्यक संशोधनों सहित एम.एड. (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए भी लागू होंगे।

797

परिशिष्ट - 7

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सीपीएड) कार्यक्रम प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करने के लिए है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्षों की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़ कर कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे, छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

(क) प्रति वर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने वाले तथा जिन छात्रों ने कम से कम स्कूल/कालेज जिला स्तर पर खेलकूद/खेलों में भाग लिया है, वे दाखिले के पात्र हैं।

(ख) राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूदों/खेलों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त भारिता प्रदान की जाएगी।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा, इंटरव्यू तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा योग्यताक्रम के अनुसार राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

798

IndiaCode

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1.1 (क) (i) संख्या

50 अथवा इससे कम छात्रों (दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 100 अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता) के लिए

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1.1(क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र 50 छात्रों के गुणकों में होंगे, पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए चार की वृद्धि कर दी जाएगी (अध्यापक छात्र अनुपात - 1:12)। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा।

4.1.1(क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों, खेलों और कौशलों के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और स्तर की विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

4.1.1(ख) अर्हताएं

प्रिंसीपलः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) किसी शारीरिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

अध्यक्षः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है।

(ii) किसी शारीरिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

लेक्चररः

एम.पी.एड.

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल में स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षक अथवा किसी अन्य पदनाम के तीन वर्ष के अनुभव सहित बी.पी.एड.

4939 GI/07—7

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

799

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल में स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षक अथवा किसी अन्य पदनाम के पांच वर्ष के अनुभव सहित सी.पी.एड.।

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष	-	एक (नियमित)
जिन विशेषज्ञताओं की पेशकश की जा रही है, उनके लिए कोच	-	आवश्यकता के अनुसार संख्या में (अंशकालिक)
चिकित्सा अधिकारी	-	अंशकालिक (एक)
ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	-	नियमित (दो)
एरोबिक अध्यापक	-	अंशकालिक
संगीत	-	अंशकालिक
आईसीटी	-	अंशकालिक

(ख) अर्हताएं: संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.1.3 प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या:

(i) कार्यालय-एवं-लेखा-सहायक	-	1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक-एवं-टंकक	-	1 (नियमित)
(iii) स्टोर कीपर	-	1 (नियमित)
(iv) सहायक/परिचर	-	2 (नियमित)
(v) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	-	1 (नियमित)

(ख) अर्हताएं

राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

4.2.1 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार/बोर्ड के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

800

IndiaCode

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चैक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान में दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक यूनिट के लिए दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, एक बहुद्देशीय प्रयोगशाला, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय मैदान, 200 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 5 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए।

5.1.6 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

801

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 5 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूद के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र 12000 वर्गफुट से कम नहीं होगा। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहां कुल भूमि अपेक्षित 5 एकड़ से कम हो सकती है सुनिश्चित की जाएगी।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2010 से पहले स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2.2 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

5.2.3 प्रयोगशालाएं

5.2.3.1 **शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण**

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा आईसीटी प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर जिसमें निम्न शामिल होंगे-

सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, टेप रिकार्डर, टीवी सेट, एलसीडी प्रोजेक्टर, एक ऐपीडियास्कोप, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा मूवी कैमरा।

5.2.3.2 **शरीरचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला**

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- मानवमितीय किट - 1
- वृद्धि-चार्ट तथा शारीरिक प्रणाली चार्ट - 10
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- स्किनफोल्ड कैलिपर - 2
- श्वसनमापी - 2
- होमोग्लोबीनोमीटर - 1
- कुछेक परीक्षणों और उपस्करों से युक्त खेलकूद-मनोविज्ञान प्रयोगशाला

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

802

5.3 खेलकूद उपकरण

5.3.1 ऐथेलेटिक

- बाधाएं - 30
- आरंभ खटका - 2
- मापक टेप (इस्पात) 15 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 30 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 50 मीटर - 1
- ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (100 मीटर) - 1
- स्टाप वाच - 8
- स्टार्टिंग ब्लाक - 8
- ऊंची छलांग स्टैंड - 1 जोड़ा
- क्रास बार (ऊंची छलांग) - 6
- डिस्कस-पुरुष और महिलाएं - प्रत्येक के लिए छः-छः
- हैमर्स 4 किग्रा., 5 किग्रा. - प्रत्येक 2-2
- स्टाप बोर्ड - 2
- गद्दे - 6
- प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड - 2
- फ्लैग पोल - 20
- जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो ऐल्यूमीनियम सहित) - 6
- टेक आफ बोर्ड - 2

5.3.2 खेल

- बास्केट बाल बोर्ड और रिंग - 1 (पूरा सेट), बाल-12
- बास्केट बाल जाल - 6 जोड़े
- वालीबाल पोस्ट - 4, बाल-12
- क्रिकेट के लिए उपकरण साफ्टबाल - 2 थ्रो बाल (प्रत्येक के सेट)
- टेबल टेनिस दो सेट टेबल - 5 दर्जन बाल तथा 6 बैट
- नेट सहित फुटबाल गोल खंभे - दो जोड़े, 12 बाल
- फ्लैग सहित खंभे - 4
- हैण्डबाल खंभे - 2 जोड़े, 6 बाल
- जाल - 2 जोड़े
- बैडमिन्टन खंभे - 4
- बैडमिन्टन रैकेट - 24
- बैडमिन्टन शटलकाक - 10 बैरल

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

803

IndiaCode

- नेट सहित हाकी गोल खंभे - 1 जोड़ा
- हाकी स्टिक तथा बाल - 3 दर्जन
- खो-खो खंभे - 2 सेट

5.3.3 स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण

- लेजिम - 50 जोड़े
- डम्बल - 50 जोड़े
- भारतीय मुदगर - 50 जोड़े
- फ्लैग, हूप तथा शारीरिक क्रियाकलाप निदर्शन के लिए हल्के उपकरण

5.3.4 व्यायाम उपकरण

- बीट बोर्ड - 2
- पैरेलल बार - 1 सेट
- हारिजन्टल बार - 1 सेट
- ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां - 6
- चटाइयां - एक दर्जन कायर + एक दर्जन रबड़
- सन्तुलन बीम (समायोज्य सेट) - 1
- कुदान मेज - 1
- भारोत्तोलन सेट/पावर लिफ्टिंग सेट - 1

5.4 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.5 विविध

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण

5.6 सुविधाएं

5.6.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

5.6.2 संस्थान महिला और पुरुष अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग कामनरूम उपलब्ध कराएगा।

5.6.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.6.4 वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.6.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

804

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

5.6.6 परिसर, जल और टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई तथा फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत तथा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

IndiaCode

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

405

परिशिष्ट -8

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा में अध्यापक तैयार करने के लिए है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बी.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

दाखिले और परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे। छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस कम से कम छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

3.2.1 40% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक प्रमुख विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में 40% अंकों सहित स्नातक।

अथवा

40% अंकों सहित स्नातक जिसमें शारीरिक शिक्षा मुख्य विषय रहा हो।

अथवा

स्नातक जिसने राष्ट्रीय/राज्य/अंतर्विश्वविद्यालय खेलकूद/खेलों/एथलेटिक्स/एसजीएफआई में भाग लिया हो।

अथवा

कोई भी स्नातक जिसने स्कूल, अंतःकालेज खेलकूद/खेलों में भाग लिया हो अथवा एनससी 'सी' प्रमाण-पत्र पास किया हो।

अथवा

प्रतिनियुक्ति पर/सेवारत अभ्यर्थियों (प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों/कोचों) के मामले में 40% अंकों सहित स्नातक

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

806

3.2.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

3.3 **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता को समुचित भारिता प्रदान करते हुए किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 **स्टाफ**

4.1 **शैक्षणिक**

4.1 (क) (i) **संख्या** (50 छात्रों के लिए बुनियादी यूनिट)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष - 1
लेक्चरर - 5

4.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त 50 या उससे कम छात्रों के मामले में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में चार की वृद्धि कर दी जाएगी (1:12)। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के एक बुनियादी यूनिट पर विचार किया जाएगा।

4.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1 (ख) अर्हताएं

प्रिंसीपलः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

अध्यक्षः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है।

4939 GI/07—8

807

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली—54

(ii) शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा के किसी संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

विभागाध्यक्षः

(i) पी.एचडी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य को विशेष भारिता प्रदान की जाएगी।

(ii) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में 65 वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

लेक्चरर:

एम.पी.एड.

अथवा

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्षों के अनुभव सहित बी.पी.एड.

4.1 (ग) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क)

जिन विशेषज्ञताओं की पेशकश की जा रही है, उनके लिए कोच	आवश्यकता के अनुसार संख्या में (अंशकालिक)
पुस्तकालयाध्यक्ष	- एक (नियमित)
चिकित्सा अधिकारी	- अंशकालिक (एक)
ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	- नियमित (दो)
ऐरोबिक अध्यापक	- अंशकालिक (एक)
संगीत	- अंशकालिक (एक)
आईसीटी	- अंशकालिक (एक)

(ख) अर्हताएं

संबंधन प्रदान करने वाले संबंधित विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित।

4.1(घ) प्रशासनिक स्टाफ

	संख्या
(i) कार्यालय एवं लेखा सहायक	- 1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक एवं टंकक	- 1 (नियमित)
(iii) स्टोर कीपर	- 1 (नियमित)
(iv) सहायक/परिचर	- 1 (नियमित)
(v) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	- 1 (नियमित)

Attested
10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

908

IndiaCode

4.1(ङ.) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित।

4.2 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान में दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल तथा संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुद्देशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय खेल का मैदान, 400 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

809

दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 8 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2010 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 8 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिसमें से संस्थानगत भवन के लिए पर्याप्त स्थान तथा भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए खेलकूद और खेल आयोजित करने के लिए मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। क्लासरूम आदि सहित निर्मित क्षेत्र 12000 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहां भूमि, अपेक्षित 8 एकड़ से कम हो सकती है सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.2.2 संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सुविधा सहज उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। बेहतर होगा यदि संस्थान के अपने नियंत्रण में एक सम्बद्ध स्कूल हो।

5.2.3 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

5.2.4 संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स तथा खेलों के लिए खेलकूद और क्षेत्रीय उपकरण

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

810

तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशंसित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

5.2.4.1 प्रयोगशालाएं

खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरण : नैदानिक मेज, इन्फ्रा-रेड लैम्प, स्टर्लाइजिंग यूनिट, प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, बी.पी. उपकरण, स्टेथसकोप, कोणमापी, स्टाप वाच, मुखीय थर्मामीटर, आइसबाक्स, वाइबरेटर-2, एक्सरसाइजर (साइकिल), अल्ट्रासाउण्ड उपचार एकक, शार्टवेव उपचार एकक, व्हीलचेयर, बैसाखियों का एक जोड़ा, वजन मापने की मशीन, इलेक्ट्रोनिक बाइसिकिल अर्गोमीटर, (आक्सीजन अपटेक क्षमता मापने के लिए) पीकफ्लोमीटर, शुष्क श्वसनमापी।

5.2.4.2 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रोजेक्शन और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा निम्न सहित शैक्षिक साफ्टवेयर : सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्लाइड प्रोजेक्शन, टेप रिकार्डर, टी.वी. सेट, ओवरहैड प्रोजेक्टर, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैमरा, एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, मूवी कैमरा।

5.2.4.3 शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला अनिवार्यः

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- एक एन्थ्रोपोमीटर किट - 1 सेट
- शारीरिक प्रणाली चार्ट और वृद्धि चार्ट - कम से कम 10
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- स्किनफोल्ड कैलिपर - 2
- श्वसनमापी - 2
- होमोग्लोबीनमापी - 1
- दृष्टि परीक्षण (स्नेलन) - 1
- मॉडल

5.2.4.4 वांछनीयः खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

- कम से कम 10 मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की परीक्षा करने के लिए उपकरण (रेटिंग स्केलों और मैनुअलों संहित)।

Attested.

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

811

5.2.5 खेलकूद और मैदान के उपकरण

5.2.5.1 एथेलेटिक

- बाधाएं - 30
- आरंभ खटका - 2
- मापक टेप (इस्पात) 15 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 30 मीटर - 2
- मापक टेप (इस्पात) 50 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 100 मीटर - 1
- ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (50 मीटर) - 1
- स्टाप वाच - 6
- स्टार्टिंग ब्लाक - 6
- ऊंची छलांग स्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बार) - 1 जोड़ा
- वाल्टिंग बक्सा - 1
- चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए - दोनों के लिए 12-12
- शाटपुट - पुरुषों और महिलाओं के लिए - 6-6
- तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए) - 6
- स्टाप बोर्ड - 2
- प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड - 2
- फ्लैग पोल - 6
- जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो ऐल्यूमीनियम सहित) - 6
- टेक आफ बोर्ड - 2
- गद्दे - 6
- भार प्रशिक्षण सेट (चटाइयां) - 1
- ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग - 1

5.2.5.2 खेल

- बैडमिंटन पोस्ट - 2 सेट
- बैडमिंटन जाल - 6
- शटलकॉक - 10 बैरल
- बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड - 2 सेट
- बारकेटबाल बाल - 1 दर्जन
- बास्केटबाल नेट - 4 जोड़े
- क्रिकेट बैटिंग पैड - 3 सेट

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

812

5.2.5 **सांस्कृतिक क्रियाकलाप**

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.7 **विविध**

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण।

5.3 **साधन**

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.2 संस्थान पुरुष/महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.4 वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 **सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

Attested
10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

815

परिशिष्ट -9

शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एमपीएड) कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

(क) शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एमपीएड) कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का और साथ ही शारीरिक शिक्षा कालेजों और विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभागों में अध्यापक प्रशिक्षकों का एक व्यावसायिक संवर्ग तैयार करने के लिए है।

(ख) केवल ऐसे विश्वविद्यालय विभाग और संस्थान एम.पी.एड. की पेशकश करने के पात्र हैं जोकि बी.पी.एड. (एकीकृत)/बी.पी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

एम.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि छोड़कर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण, क्षेत्रीय कार्य तथा स्कूल में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम से कम 180 कार्यकारी दिवस होंगे, छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्यकारी दिवस छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रत्येक वर्ष दाखिल किए जाने वाले के लिए 30 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

3.2 पात्रता

(क) चार वर्षीय बी.पी.एड./बी.पी.एड. (एकीकृत) डिग्री स्तर पर कम से कम 50% अक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

816

IndiaCode

3.3 **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता को समुचित भारिता प्रदान करते हुए किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 **शैक्षणिक**

4.1.1 **संख्या** *(दाखिल किए जानेवाले 30 या इससे कम छात्रों के लिए, दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए 60 या इससे कम की संयुक्त क्षमता के लिए)*

प्रोफेसर - 1
रीडर (2)/लेक्चरर (3) - 5

4.1.2 दाखिल किए जाने वाले 10 अतिरिक्त छात्रों के लिए एक अतिरिक्त लेक्चरर की नियुक्ति की जाएगी।

अर्हताएं

(क) प्रोफेसरः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) एम.पी.एड. प्रशिक्षण कालेज में शिक्षण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

(ख) रीडरः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित है।

(ii) एम.पी.एड. प्रशिक्षण कालेज में शिक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणीः

(i) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में, शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में 65 वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

817

IndiaCode

(ग) लेक्चरर

(i) एम.पी.एड.

(ii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.

4.1.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

बी.पी.एड. के लिए जरूरी स्टाफ के अलावा निम्न स्टाफ की जरूरत होगी:

संख्या

(iv) तकनीकी सहायक - दो (नियमित)

(v) सहायक - एक (नियमित)

अर्हताएः

संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

4.2 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित संरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 30-30 छात्रों के बैठने की सुविधा सहित दो क्लासरूम, 100 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा सहित एक बहुद्देशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासनिक स्टाफ

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

818

के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्गफुट स्थान होगा।

5.1.2 इन्डोर खेलकूदों के लिए एक बहुद्देशीय हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं होंगी।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 8 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों का 1 अप्रैल, 2010 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

5.2 शिक्षणात्मक

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 8 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 12000 वर्गफुट होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जहां कि कुल भूमि अपेक्षित 8 एकड़ से कम हो सकती है।

5.2.2 प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षणात्मक स्थान का आकार 10 वर्गफुट से कम नहीं होना चाहिए।

5.2.3 वाचनालयों की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी रोम) सहित और कम-से-कम पांच पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम 100 उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्र-अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.2.4 विभिन्न इन्डोर तथा आउटडोर खेलकूदों और खेलों के लिए समुचित उपकरण होने चाहिए।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

819

5.2.5 दाखिल किए जाने वाले अनुमोदित 60 छात्रों (दो वर्ष) के लिए शिक्षणात्मक क्रियाकलाप करने के वास्ते प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।

5.2.5.1 निम्न उपकरणों सहित स्वास्थ्य शिक्षा, भौतिक चिकित्सा और खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला होनी चाहिए:

(i) वजन तोलने की एक मानक मशीन
(ii) एक एन्थ्रोपोमीटर/लम्बाई स्टैंड
(iii) वांछनीय भार और लम्बाई तालिकाएं
(iv) इन्फ्रारेड लैम्प
(v) परावैंगनी लैम्प
(vi) शार्ट वेव डायाथर्मी
(vii) मोटराइज्ड ट्रेड मिल
(viii) वाइसिकिल अर्गोमीटर
(ix) वी.पी. उपकरण
(x) हार्वर्ड स्टेप परीक्षण उपकरण

5.2.5.2 शैक्षिक और खेलकूद मनोविज्ञान से संबंधित सामान्य प्रयोग करने के लिए कम से कम 10 उपकरणों से युक्त एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

5.2.5.3 निम्न उपकरणों सहित एक शरीररचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान प्रयोगशाला होगी:

(i) मानवीय कंकाल-1
(ii) मेट्रोनोम्स-1
(iii) विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के माडल और चार्ट-कम से कम 10
(vii) स्टाप वाच - 5
(viii) स्पाइरोमीटर - 2
(ix) इलेक्ट्रोनिक बैरोमीटर - 1
(x) वजन मापने की मशीनें - 2
(xi) शीर्ष प्रवाह मीटर - 2
(xii) कोण मापक - 2
(xiii) डायनिमोमीटर (हाथ, पैर कमर) - प्रत्येक के लिए एक-एक

5.2.5.4 प्रक्षेपण तथा अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर से युक्त शैक्षिक प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला तथा आईसीटी प्रयोगशाला के लिए टीवी, कैमरा सहित जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर वांछनीय होंगे।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

870

IndiaCode

6.3 साधन

6.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

6.3.2 संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग-अलग कामन रूम उपलब्ध कराएगा।

6.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पुरुषों और महिलाओं के टायलेट अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.3.4 वाहनों को खड़े करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

6.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

6.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

7.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

IndiaCode

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

821

परिशिष्ट-10

शारीरिक शिक्षा में स्नातक - चार वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम (एकीकृत)

1.0 प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में स्नातक - चार वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम (एकीकृत) मुख्यतः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के वास्ते व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा अध्यापक तैयार करने के लिए बनाया गया है।

2.0 अवधि तथा कार्यकारी दिवस

2.1 अवधि

बीपीएड (चार वर्षीय एकीकृत) कार्यक्रम की अवधि चार शैक्षणिक वर्ष की होगी।

2.2 कार्यकारी दिवस

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम 180 कार्य दिवस होंगे। छः दिन के सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस कम से कम छः घण्टे का होगा।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

3.1.1 प्रभावी पाठ्यचर्या संचालन के लिए तथा भौतिक और आधारिक तंत्र और शिक्षण स्टाफ की विशेषज्ञता का इष्टतम प्रयोग सुनिश्चित करने के वास्ते 50 छात्रों की बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

3.2.1 उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 45% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार दाखिले के लिए पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने खेलकूद/खेल प्रतियोगताओं में राज्य अथवा राष्ट्रीय अथवा अंतर्विश्वविद्यालयी स्तर पर भाग लिया है उनके मामले में उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अंकों का न्यूनतम प्रतिशत 40% होगा।

3.2.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों के अन्य श्रेणियों के पक्ष में 5% अंकों की ढील दी जाएगी।

3.3 दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

827

अंक) अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 (क) (i) संख्या (50 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों या इससे कम अतिरिक्त छात्रों के दाखिले की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के हिसाब से 4 अध्यापकों की वृद्धि की जाएगी (1:12)।

4.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण तथा संबद्ध क्रियाकलापों की विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1 (ख) अर्हताएं

प्रिंसीपलः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

अध्यक्षः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

टिप्पणीः

(i) पीएच.डी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य को विशेष भारिता दी जाएगी।

(ii) उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए शारीरिक शिक्षा/सेवानिवृत्त प्रिंसीपल में अध्यक्ष की संविदा

4939 GI/07—10

Attested 10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

823

आधार पर नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है जब तक कि ऐसे उम्मीदवार सेवानिवृत्ति के बाद की संविदागत सेवा में 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें।

लेक्चरर

एम.पी.एड.

अथवा

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 5 वर्ष के अनुभव सहित बी.पी.एड.

4.1 (ग) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) क्रियाकलापों के लिए अध्यापक/कोच - आवश्यकतानुसार संख्या में (अंशकालिक)

पुस्तकालयाध्यक्ष	- एक (नियमित)
चिकित्सा अधिकारी	- अंशकालिक (एक)
ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक	- नियमित (दो)
ऐरोबिक अध्यापक	- अंशकालिक (एक)
शारीरिक योग्यता विशेषज्ञ	अंशकालिक (एक)
संगीत	- अंशकालिक (एक)
आईसीटी	- अंशकालिक (एक)

(ख) **अर्हताएं**

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वा यथानिर्धारित

4.1(घ) प्रशासनिक स्टाफ

	संख्या
(i) कार्यालय एवं लेखा सहायक	1 (नियमित)
(ii) कार्यालय सहायक एवं टंकक	- 1 (नियमित)
(iii) प्रयोगशाला सहायक	- 1 (नियमित)
(iv) स्टोर कीपर	1 (नियमित)
(v) सहायक/परिचर	1 (नियमित)
(vi) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)	1 (नियमित)

4.1(ड.) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

4.2 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति, केंद्रीय/राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो, की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

824

अंक) अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे।

4.0 स्टाफ

4.1 शैक्षणिक

4.1 (क) (i) संख्या (50 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष	1
लेक्चरर	5

4.1 (क) (ii) दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों या इससे कम अतिरिक्त छात्रों के दाखिले की स्थिति में पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के हिसाब से 4 अध्यापकों की वृद्धि की जाएगी (1:12)।

4.1 (क) (iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के शिक्षण तथा संबद्ध क्रियाकलापों की विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.1 (ख) अर्हताएं

प्रिंसीपलः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) शिक्षण का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

अध्यक्षः

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) शिक्षण का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

टिप्पणीः

(i) पीएच.डी. (शारीरिक शिक्षा) अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य को विशेष भारिता दी जाएगी।

(ii) उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए शारीरिक शिक्षा/सेवानिवृत्त प्रिंसीपल में अध्यक्ष की संविदा

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

825

(ख) अंशकालिक के रूप में उल्लिखित पदों को छोड़कर बाकी सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक तथा नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक कोचों तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थानों के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को देय चैक के द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि से संबंधित सांविधिक दायित्वों का निर्वाह संस्थान के प्रबंधक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु, संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5.0 सुविधाएं

5.1 आधारिक तंत्र

5.1.1 संस्थान में दो क्लासरूमों, एक बहुदेशीय हाल, संगोष्ठी/ट्यूटरियल कक्षों, प्रिंसीपल तथा संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ़ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालवों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 10 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुदेशीय हाल में 150 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

5.1.2 बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुदेशीय खेल का मैदान, 400 मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

5.1.3 ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि आवेदन करते समय प्रबंधक वर्ग/संस्थान के अधिकार में संगत विनियमों के अनुसार या तो सभी तरह के ऋणभार से मुक्त स्वामित्व के आधार पर अथवा पट्टे पर कम से कम 8 एकड़ भूमि/भूमि और भवन होने चाहिए।

5.1.4 भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

5.1.5 लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास तथा कुछेक आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को 1 अप्रेल 2010 से पहले मौजूदा मानदंडों के अनुसार आधारिक अपेक्षाओं का स्तरोन्नयन करना होगा।

Attested
7/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

826

MediaCode

5.2 **शिक्षणात्मक**

5.2.1 संस्थान के पास कम से कम 8 एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 12000 वर्गफुट होगा। यह स्थिति महानगरीय और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिएं जहां कि कुल भूमि अपेक्षित 5 एकड़ से कम हो सकती है।

5.2.2 संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में (5-10) मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सुविधा सहज उपलब्ध होनी चाहिए। इस तरह के स्कूलों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। बेहतर होगा यदि संस्थान के अपने नियंत्रण में एक सम्बद्ध स्कूल हो।

5.2.3 अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम 2000 पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

5.2.4 संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शरीर क्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, खेलकूद तथा एथलेटिक्स और खेलकूद के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशंसित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

5.2.4.1 प्रयोगशालाएं

खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला उपकरण : नैदानिक मेज, इन्फ्रा-रेड लैम्प, स्टर्लाइजिंग यूनिट, प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, बी.पी. उपकरण, स्टेथसकोप, कोणमापी, स्टाप वाच, मुखीय थर्मामीटर, आइस बाक्स, वाइबरेटर-2, एक्सरसाइजर (साइकिल), अल्ट्रासाउण्ड उपचार एकक, शार्टवेव उपचार एकक, व्हीलचेयर, बैसाखियों का एक जोड़ा, वजन मापने की मशीन, स्किनफोल्ड कैलीपर, इलेक्ट्रोनिक बाइसिकिल अर्गोमीटर (अपटेक क्षमता मापने के लिए), एक आपरेशन टेबल।

5.2.4.2 शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण

प्रोजेक्शन और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा निम्न सहित शैक्षिक साफ्टवेयर : सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, स्लाइड प्रोजेक्शन, टेप रिकार्डर, टी.वी. सेट, ओवरहैड प्रोजेक्टर, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा वीडियो कैसेट रिकार्डर, वीडियो कैमरा, एक सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, मूवी

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

827

कैमरा। रोट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्संबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे ।

5.2.4.3 शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला

अनिवार्यः

- मानवीय कंकाल - 1
- यकृत का भार मापने वाली मशीन - 1
- एन्थ्रोपोमीटर किट - 1 सेट
- शारीरिक प्रणाली चार्ट और विकास चार्ट - कम से कम 10
- शरीरांगों और प्रणालियों के माडल - प्रत्येक का 1-1 सेट
- स्फाइग्मोमैनोमीटर - 6
- वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं - 2
- स्किनफोल्ड कैलिपर - 2
- श्वसनमापी - 2
- होमोग्लोबिनोमीटर - 1
- दृष्टि परीक्षण (स्नेलॉन) - 1

5.2.4.4 खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

- आईक्यू, ईक्यू, व्यक्तित्व, प्रेरण, अभिवृत्तियां, चिंता, रुचियां तथा तनाव मापने के लिए विभिन्न मौखिक तथा गैर-मौखिक परीक्षण।
- प्रतिक्रिया समय, व्यूह अधिगम, गहनता प्रत्यक्षण आंख-हाथ समन्वय और वेदना सहनशीलता मापने के लिए विभिन्न उपकरण।

टिप्पणीः प्रयोज्यता तथा प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उपस्करों/उपकरणों में अधिक से अधिक 10% तक की घटा-बढ़ी सहन की जा सकती है।

5.2.5 खेलकूद और मैदान के उपकरण

5.2.5.1 एथेलेटिक्स

- बाधाएं - 30
- आरंभ खटका - 2
- मापक टेप (इस्पात) 15 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 30 मीटर - 2
- मापक टेप (इस्पात) 50 मीटर - 1
- मापक टेप (इस्पात) 100 मीटर - 1
- ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (50 मीटर) - 1
- स्टाप वाच - 6
- स्टार्टिंग ब्लाक - 6
- ऊंची छलांग स्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बार) - 1 जोड़ा
- वाल्टिंग बक्सा - 1

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

828

➢ चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए	-दोनों के लिए 6-6
➢ शाटपुट (पुरुषों और महिलाओं के लिए)	-दोनों के लिए 6-6
➢ तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए)	-दोनों के लिए 3-3
➢ स्टाप बोर्ड	- 2
➢ प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड	- 2
➢ फ्लैग पोल	- 6
➢ जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो एल्यूमीनियम सहित)	- 6
➢ टेक आफ बोर्ड	- 2
➢ गद्दे	- 6
➢ भार प्रशिक्षण सेट (मैट)	- 1
➢ ऊंची कूद के लिए लैंडिंग	- 1

5.2.5.2 खेल

➢ बैडमिंटन पोस्ट	- 2 सेट
➢ बैडमिंटन जाल	- 6
➢ शटलकॉक	- 10 बैरल
➢ बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड	- 2 सेट
➢ बास्केटबाल बाल	- 1 दर्जन
➢ बास्केटबाल नेट	- 4 जोड़े
➢ क्रिकेट बैटिंग पैड	- 3 सेट
➢ क्रिकेट बैंटिग दस्ताने	- 3 सेट
➢ एबडामिनल गार्ड	- 3
➢ हेलमेट	- 3
➢ विकेटकीपिंग दस्ताने	- 2 जोड़े
➢ विकेटकीपर लेग गार्ड	- 2 जोड़े
➢ विकेटें	- 12
➢ बेल्ज	- 10
➢ बाल	- 10 दर्जन
➢ फुटबाल पोस्ट	- 2 सेट
➢ फुटबाल बालें	- 1 दर्जन
➢ फुटबाल जाल	- 4 सेट
➢ फ्लैगों सहित पोस्ट	- 8
➢ जिमनैस्टिक उपकरण (पुरुष)	- 1 सेट

IndiaCode

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

829

- वाल्टिंग टेबल/हार्स - 1
- बीट बोर्ड - 2
- पैरलल बार - 1
- हारीजोंटल बार - 1 सेट
- रोमन रिंग - 1 जोड़ा
- प्यूमीलेटेड हार्स - 1
- जिमनैस्टिक उपकरण (महिलाओं के लिए) - 1 सेट
- अनईवन बार - 1 सेट
- बैलेंस बीन (एडजस्टेबल) - 1
- जिमनैस्टिक्स गद्दे - 24
- हैंडबाल पोस्ट - 2 सेट
- हैंडबाल बाल - 1 दर्जन
- हैंडबाल जाल - 4 जोड़े
- हाकी पोस्ट - 2 सेट
- हाकी बालें - 10 दर्जन
- हाकी स्टिक - 30
- हाकी गोल कीपिंग किट - 1
- खो-खो पोल - 2 सेट
- लान टेनिस पोस्ट - 2
- बाल - 10 दर्जन
- साफ्ट बाल क्लब - 6
- बाल - 1 दर्जन
- टेबल टेनिस टेबल - 4
- रैकेट - 12
- बाल - 10 दर्जन
- वालीबाल पोस्ट - 2 सेट
- बाल - 20
- जाल - 4
- एंटीना - 4
- भार प्रशिक्षण राड - 10
- भार प्लेटें 2.5 किग्रा., 5 किग्रा., 10 किग्रा., 20 किग्रा. (प्रत्येक 10-10)
- कालर - 20
- बेंच - 4
- वेट स्टैंड - 2
- एक मल्टीजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम 10 स्टेशन)

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

830

IndiaCode

5.2.5.3 स्वदेशी क्रियाकलापों/विशाल निदर्शन के लिए उपकरण

- लेजिम - 50 जोड़े
- डम्बल - 50 जोड़े
- भारतीय मुदगर - 50 जोड़े
- फ्लैग हूप, वैंड, बाल, अंब्रेला, कूदने वाली रस्सियां। शारीरिक क्रियाकलाप/ निदर्शन/प्रदर्शन - प्रत्येक 50-50
- मार्शल कलाओं के लिए उपकरण

टिप्पणीः प्रयोज्यता और प्रशासनिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए मदों/उपकरणों में अधिक से अधिक 10% की घटा-बढ़ी सहन की जा सकती है।

5.2.6 सांस्कृतिक क्रियाकलाप

विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जब कभी जरूरत हो उपयुक्त और पर्याप्त संख्या में वाद्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

5.2.7 विविध

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण।

5.3 साधन

5.3.1 शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

5.3.2 संस्थान पुरुष/महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

5.3.3 स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के अलग-अलग टायलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएंगे।

5.3.4 वाहनों को खड़ा करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

5.3.5 संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

5.3.6 परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6.0 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला और साथ ही पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

831

India Code

परिशिष्ट - 11

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) दिलाने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है।

1.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद फिलहाल प्रारंभिक स्कूलों में सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ओडीएल) को एक उपयोगी और व्यवहार्य तरीके के रूप में स्वीकार करती है। यह तरीका अध्यापकों तथा स्कूली प्रणाली में सेवारत कई अन्य शैक्षिक कर्मियों को अतिरिक्त शैक्षिक संहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी है।

2. अवधि

शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एड.) पाठ्यक्रम को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पूरा करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष और अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी। प्रति वर्ष एक-एक महीने के लिए दो संपर्क कार्यक्रम (सीपी) आयोजित किए जाएंगे जिनमें 180 घंटे की अन्योन्यक्रिया (प्रतिदिन 6 घंटे का अन्योन्यक्रियापूर्ण सत्र और व्यवहारिक कार्य) सुनिश्चित की जाएगी। संपर्क कार्यक्रमों मे सिद्धांत में पाठ्यक्रम संचालन, सूक्ष्म स्तरीय अनुकृत कौशल अर्जन सत्र, समुदाय-आधारित अभ्यासक्रम, क्षेत्रीय अनुभव और निकटतः अनुसमर्थित गहन अध्यापन सत्र शामिल होंगे।

3.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

3.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

प्रत्येक अध्ययन केंद्र में 100 अभ्यर्थियों का दाखिला किया जाएगा।

3.2 पात्रता

ऐसे अप्रशिक्षित अध्यापक जिन्होंने XII वी या इसके समतुल्य परीक्षा पास की है और साथ ही जिन्होंने प्रारंभिक स्तर पर अथवा किसी मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूल में प्रारंभिक सत्र में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त किया है दाखिले के लिए पात्र होंगे।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

832

3.3 दाखिले की प्रक्रिया

3.3.1 अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

3.3.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

4. मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र स्तर पर संकाय

4.1 कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान के मुख्यालय में और अध्ययन केंद्र में स्टाफ के ब्यौरे निम्नानुसार होंगे:

- निदेशक/अध्यक्ष/प्रिंसीपल - 01
- रीडर/वरिष्ठ लेक्चरर - 02
- लेक्चरर - 05

डी.एड. (डी.ई.) का मुख्यालय या तो राष्ट्रीय/राज्य मुक्त विश्वविद्यालय में अथवा परंपरागत विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में, एससीईआरटी अथवा प्रारंभिक शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सेवारत किसी अन्य राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संगठन में होगा। संबंधित संस्थान का मुख्यालय संपर्क कार्यक्रमों की व्यवस्था करने तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य मांग-आधारित परामर्शी सेवाओं के लिए डाइटों/बीटीआई/उच्च माध्यमिक स्कूलों आदि के स्तर पर कई अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा।

4.2 अध्ययन केंद्र में अपेक्षित स्टाफ के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

- समन्वयकर्ता - 01
- सहायक-समन्वयकर्ता - 01
- अंशकालिक शैक्षणिक परामर्शदाता - संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार की जाएगी जो कि बेहतर हो कि 1:50 के अनुपात में रखी जाए

5. शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ की अर्हता

5.1 शिक्षण स्टाफ

(क) निदेशक/अध्यक्ष/प्रिंसीपल

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

(ख) रीडर/वरिष्ठ लेक्चरर

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं।

(ii) किसी प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में लेक्चरर के रूप में अथवा स्कूल स्तर पर किसी अन्य रूप में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(iii) शिक्षा में अथवा किसी स्कूल विषय में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित अनुसंधान कार्य अथवा व्यावसायिक लेख एक वांछनीय अपेक्षा होगी।

(ग) लेक्चरर तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ

(i) एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता सहित उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड। 55% अंकों सहित एम.एड. (प्रारंभिक शिक्षा) डिग्रीधारक उम्मीदवार भी पात्र होंगे।

(ii) शारीरिक शिक्षा, कला, कार्य अनुभव/एसयूपीडब्ल्यू, सूचना प्रौद्योगिकी, साक्षरता कार्य आदि जैसे विशेषज्ञतापूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए अन्य शैक्षणिक स्टाफ की अर्हताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं होंगी।

(iii) वांछनीय अर्हताएंः दूरस्थ शिक्षा/मल्टीमीडिया शिक्षा/आईसीटी विधियों में अनुभव।

5.2 मुख्यालय के लिए गैर-शिक्षण/सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ नीचे बताए मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएः

- साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक - 01
- आकलन और मूल्यांकन प्रभारी - 01
- डाटाबेस बनाए रखने के लिए कंप्यूटर आपरेटर - 01
- कार्यालय सहायक - 01
- अध्ययन सामग्री भेजने के लिए सहायक - 01

6.0 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

837

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7. **भौतिक आधारिक तंत्र**

7.1 **मुख्यालय स्तर पर:** पर्याप्त संख्या में क्लासरूम तथा संकाय सदस्यों के लिए क्यूबिकल, फोटोकापीयरों सहित एक कार्यालय कक्ष, छात्रों का डाटाबेस बनाए रखने के लिए कंप्यूटर आपरेटरों के वास्ते एक विशाल कमरा, अधिगम सामग्री के निर्माण/संसाधित करने के लिए एक अन्य कमरा, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्टोर तथा पाठों को रिकार्ड करने तथा सीडी का निर्माण करने के लिए एक श्रृव्य-दृश्य स्टूडियो से सुसज्जित तथा बैठकों/टेलीकांफ्रेंसिंग के लिए एक विशाल सम्मेलन कक्ष।

7.2 **अध्ययन केंद्र स्तर पर:** व्यावहारिक कार्य के लिए विज्ञान और मनोविज्ञान प्रयोगशालाएं, कार्यशाला, प्रविधि संबंधी विषयों में प्रशिक्षणार्थियों के वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे, एक प्रारंभिक अभ्यास स्कूल की उपलब्धता, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे।

8. **पुस्तकालय**

8.1 **मुख्यालय स्थित पुस्तकालय:** स्कूल और प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित पर्याप्त संख्या में पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों से युक्त एक सुसज्जित पुस्तकालय होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, आईसीटी पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्व कोष, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पत्रिकाएं। इसके अलावा अंग्रेजी/हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में पर्याप्त मात्रा में स्व-अनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

8.2 **अध्ययन केंद्र पुस्तकालय:** संपर्क सत्रों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संस्थानों में जहां अध्ययन केंद्र स्थित हैं पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाएगा।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

835

9. **मूल्यांकन**

सतत और व्यापक स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में एसाइनमेंट, प्रश्नोत्तरी सत्र, व्यावहारिक कौशल अर्जन और सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के ब्लाकों/यूनिटों पर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन की भारिता 30:70 के अनुपात में होगी। बाह्य मूल्यांकन में पाठ्यक्रम की सभी यूनिटों संबंधी प्रश्न शामिल होंगे और इसका आकलन वस्तुनिष्ठ प्रकृति/लघु उत्तर कोटि/दीर्घ उत्तर कोटि प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बाबत परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा/अंतिम रूप दिया जाएगा।

10. **छात्र सहयोग और मानीटरन**

छात्र सहयोग मुख्यतः पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए जरूरी मानवीय और प्रौद्योगिकीय आधारिक तंत्र के रूप में होगा। प्रत्येक अध्ययन केंद्र में प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान किए जाने वाले सहयोग का मानीटरन डी.एड. (डी.ई.) कार्यक्रम की एक अनिवार्य अपेक्षा होगी।

11. **शुल्क संरचना**

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से वसूले जाने वाला शुल्क विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप होगा।

12. **पाठ्य विवरण और स्व-अधिगम सामग्री**

12.1 **पाठ्य विवरणः** नियमित कक्षाओं के लिए डी.एड. का पाठ्य विवरण ब्लाकों/यूनिटों से युक्त दूरस्थ शिक्षा पद्धति में रूपांतरित कर दिया जाएगा। संस्थान द्वारा तैयार की जाने वाली स्व-अधिगम सामग्री डीईसी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

12.2 **श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमः** राज्य संसाधन केंद्रों और इग्नू की उपलब्ध अपलिंकिंग सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

13. **पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अभ्यास शिक्षण**

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केंद्रों में प्रयोग के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, मॉडल पाठ योजनाएं और एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्षों की समाप्ति पर परीक्षा निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केंद्र आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके अभ्यास शिक्षण तथा कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा आयोजित करेंगे।

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

836

परिशिष्ट - 12

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) दिलाने वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित बी.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को व्यावसायिक उन्नति के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर प्रदान करना है।

2.0 पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने की शर्त

यह पाठ्यक्रम केवल राष्ट्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

3.0 अवधि

3.1 परीक्षा के लिए निर्धारित समय सहित दाखिले की तारीख से 24 महीने। अवधि की गणना दाखिलों की समाप्ति की तारीख से की जाएगी।

4.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

4.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से बी.एड. के बुनियादी यूनिट में 500 सीटें होंगी। तथापि विश्वविद्यालय में इस शर्त के साथ 100 के गुणकों में अतिरिक्त सीटें रखी जा सकती हैं कि दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 1000 सीटों से अधिक नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि दाखिल किए जाने वाले छात्रों की क्षमता की उपर्युक्त ऊपरी सीमा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एक से अधिक राज्यों में क्षेत्राधिकार रखने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में गुण-दोष के आधार पर ढील दी जा सकती है।

4.2 पात्रता

4.2.1 किसी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/प्रारंभिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल में सेवारत और उपर्युक्त में से किसी भी स्तर पर स्कूल शिक्षण के कम से कम दो वर्ष के अनुभव सहित स्नातक डिग्रीधारक अध्यापक इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र हैं।

4.2.2 राज्य विश्वविद्यालय केवल ऐसे उम्मीदवारों को दाखिला देंगे जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा आबंटित क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित स्कूलों में कार्यरत हों।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

437

4.3 **दाखिले की क्रियाविधि**

4.3.1 विश्वविद्यालय/संस्थान उम्मीदवारों के चयन के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगा।

4.3.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

5.0 मुख्यालय स्तर

5.1 **मुख्यालय में शैक्षणिक स्टाफ**

मुख्यालय में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए न्यूनतम कोर संकाय में पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम विकास, छात्रों के एसाइनमेंटों की जांच, मानीटरन, अधिगम सामग्री को अद्यतन बनाने, संपर्क कार्यक्रम आयोजित करने, छात्र अध्यापन अधिगम का मानीटरन करने, अध्ययन केंद्र में परिवार और स्टाफ के दिशाअनुकूलन आदि जैसे क्रियाकलाप करने के वास्ते कम से कम एक प्रोफेसर, एक रीडर और चार लेक्चरर शामिल होंगे।

5.2 शिक्षण स्टाफ की अर्हता

5.2.1 **(बहुसंकाय संस्थान में) प्रोफेसर/प्रिंसीपल/अध्यक्षः**

अर्हताः (i) किसी माध्यमिक स्तर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के 5 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दी अनुसार अर्हताएं।

5.2.2 रीडरः

अर्हताः (i) किसी माध्यमिक स्तर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के 5 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दी अनुसार अर्हताएं।

टिप्पणीः (i) पीएच.डी. दूरस्थ शिक्षा/शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध में एम.फिल./पीएच.डी. को विशेष भारिता दी जाएगी।

(ii) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसरों/रीडरों को एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर उतने समय के लिए नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि वे आयु के 65 वर्ष पूरे न कर लें।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

838

IndiaCode

5.2.3 लेक्चररः

एम.एड.

अथवा

बी.एड. सहित मास्टर डिग्री (55% अंकों सहित)

5.3 तकनीकी स्टाफ, प्रशासनिक स्टाफ

5.3.1 मुख्यालय में दाखिल किए गए छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जरूरी प्रशासनिक तथा अन्य गैर-शिक्षण स्टाफ।

5.3.2 पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जरूरी प्रशासनिक तथा अन्य गैर-शिक्षण स्टाफ की अर्हताएं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित अर्हताएं होंगी।

6. सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ़ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7.0 क्षेत्रीय/संकुल स्तर

मानीटरन के प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ताओं की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति की जाएगी। एक क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता 10 अध्ययन केंद्रों का प्रभारी होगा। क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता की अर्हताएं वही होंगी जो कि प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के लिए निर्धारित की गई हैं। ऐसा व्यक्ति सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता/सकती है। उच्च

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

839

India Code

माध्यमिक/माध्यमिक स्कूलों के सेवानिवृत्त प्रिंसीपलों को भी क्षेत्रीय/संकुलों समन्वयकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

8.0 अध्ययन केंद्र स्तर

8.1 अध्ययन केंद्र केवल ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे जोकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त नियमित बी.एड. पाठ्यक्रम चला रहे हैं। कोई भी संस्थान एक से अधिक विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र नहीं होगा।

8.2 अध्ययन केंद्र विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के भीतर विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों/कालेजों में फैलाए जा सकते हैं। ट्यूटोरियल्स, परामर्श, सामूहिक चर्चा, वैयक्तिक अध्ययन तथा छात्रों की एसाइनमेंटों और उत्तर सामग्री आदि के भंडारण के लिए उपयुक्त स्थान और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

8.3 किसी अध्ययन केंद्र में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 100 से बढ़कर नहीं होगी।

8.4 प्रिंसीपल अथवा संस्थान के किसी वरिष्ठ सदस्य को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। संस्थान के एक संकाय सदस्य को सहायक समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 100 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए एक पूर्णकालिक अथवा दो अंशकालिक शैक्षणिक परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।

8.5 शैक्षणिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी जिससे कि सभी आधारिक तथा प्रविधि पाठ्यक्रमों के पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

8.6 कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए जरूरी सहयोगी स्टाफ (एक सहायक और एक परिचर) अध्ययन केंद्र द्वारा सुलभ कराया जाएगा।

8.7 समन्वयकर्ता/सहायक समन्वयकर्ता/शैक्षणिक परामर्शदाता तथा सहयोगी स्टाफ को विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

9. आधारिक तंत्र

बी.एड. (आमने-सामने) पद्धति के लिए विशिष्ट सुविधाओं से युक्त आधारिक तंत्र का प्रयोग बी.एड. (ओडीएलएस) कार्यक्रम के लिए भी किया जाएगा।

10. क्षेत्रीय अभ्यासक्रम केंद्र

क्षेत्रीय अभ्यासक्रम केंद्र ऐसे चुनिंदा स्कूलों में खोले जाएंगे जहां कि प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों को अभ्यास शिक्षण, कार्य अनुभव, कार्य अनुसंधान अध्ययनों तथा नवाचारी पाठ्यचर्यात्मक परिपाटियों के लिए आबंटित किया जाएगा। पहले वर्ष के 500 प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों तथा दूसरे वर्ष के 500 प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के यूनिट के लिए इस तरह के 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

4939 GI/07—12

840

11. छात्र सहयोग प्रणाली

- प्रत्येक अध्ययन केंद्र में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में कम से कम 60 घंटों की अवधि के लिए अन्योन्यक्रियापूर्ण संपर्क कक्षा सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय/संकुल/संस्थान/अध्ययन केंद्र के पुस्तकालय के प्रयोग के लिए इस पाठ्यक्रम के छात्रों को वैसी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जैसी कि सभी नियमित आमने-सामने छात्रों के लिए उपलब्ध रहती हैं।
- इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री सुलभ कराने के लिए अध्ययन केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- अध्ययन केंद्रो में छात्रों को परामर्शदाता सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

12. मानीटरन और पर्यवेक्षण

12.1 अधिगम क्रियाकलापों का सुचारू संचालन तथा अध्ययन केंद्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के कोर संकाय द्वारा नियमित आंतरिक मानीटरन किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्यक्रम के विभिन्न अंगों - संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अभ्यास शिक्षण का पर्यवेक्षण, छात्रों के लिखित एसाइनमेंट्स की तत्काल प्रस्तुति, मूल्यांकन और फीडबैक के नियमित मानीटरन की एक विस्तृत कठोर प्रणाली निर्धारित समय-सूची, परामर्श और मार्गदर्शन आदि के अनुसार तैयार और संचालित करेगा।

12.2 मानीटरन की प्रणाली मुख्यालय द्वारा सभी स्तरों पर सावधानीपूर्वक तैयार और कार्यान्वित की जाएगी।

13. शुल्क संरचना

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क वसूला जाएगा।

14. कार्यक्रम की मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

बी.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय को निम्न कार्य पूरे कर लेने चाहिए-

1. परीक्षा की योजना सहित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण।
2. मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री का निर्माण।
3. स्कूल अशिप/डीईसी से आशय का प्रमाण-पत्र की अध्ययन सामग्री मानदंडों के अनुसार परिकल्पित और विकसित की गई है।
4. अध्ययन केंद्रों की पहचान।
5. विश्वविद्यालय तथा मेजबान/सहयोगी संस्थान के बीच एक सहमति-ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम को चलाने के लिए जरूरी अतिरिक्त सुविधाओं और आधारिक सहयोग की जरूरतों का उल्लेख किया गया हो।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

841

IndiaCode

परिशिष्ट - 13

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) की डिग्री दिलाने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1.0 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित एम.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं, शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक शोधकर्ताओं, पाठ्यचर्या और सामग्री निर्माताओं तथा शिक्षा प्रणाली में अन्य को व्यावसायिक उन्नति के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है।

2.0 पाठ्यक्रम का नाम

शिक्षा में मास्टर (एम.एड.)

3.0 संस्थानों की कोटियां और उनका क्षेत्राधिकार

3.1 संस्थान

3.1.1 यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों तथा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

3.2 क्षेत्राधिकार

3.2.1 पाठ्यक्रम का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में योग्य अध्यापक प्रशिक्षकों की उपलब्ध न होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) की पेशकश करने के इच्छुक इस क्षेत्र के विश्वविद्यालय सभी पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं।

3.2.2 विशिष्ट भाषा/भाषाओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित संस्थानों को भी इस पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति दी जाती है।

4.0 अवधि

(i) परीक्षा में लगने वाले समय सहित दाखिले की तारीख से 24 महीने। इस अवधि की गणना दाखिलों की समाप्ति की तारीख से की जाएगी।

5.0 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि

5.1 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

एम.एड. (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए बुनियादी इकाई 150 सीटों की होगी और इसमें दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में अतिरिक्त वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं होगा।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

842

5.2 इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 55% अंकों सहित बी.एड. अथवा समतुल्य डिग्री के धारक तथा उपर्युक्त पैरा 1.0 में यथावर्णित सेवारत अध्यापक पात्र हैं।

5.3 **दाखिले की क्रियाविधि**

(i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए संस्थान/विश्वविद्यालय एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगा।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

6.0 **मुख्यालय में सुविधाएं**

दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम में अनेक क्रियाकलाप शामिल रहते हैं जैसे कि कोर्स का अभिकल्प, परामर्श, शोध प्रबंध, मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम निर्माण, छात्रों के एसाइनमेंट्स की जांच, मानीटरन, स्व-शोधक अधिगम सामग्री, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन केंद्रों में स्टाफ का दिशा-अनुकूलन आदि। मुख्यालय/नोडल केंद्रों में संकाय इन सभी पक्षों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह जरूरी है कि सुविधाएं और विशेषज्ञता विश्वविद्यालय मुख्यालय और साथ ही अध्ययन केंद्रों--दोनों में उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यालय/नोडल केंद्र केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही नहीं बल्कि एक सक्रिय संसाधन केंद्र के रूप में भी काम करेगा। मुख्यालय/नोडल केंद्रों में पूर्णकालिक और सुयोग्य स्टाफ की नियुक्ति करना जरूरी है। छात्रों की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त अंशकालिक संकाय भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

6.2 **स्टाफ**

(i) कोर संकाय में मुख्यालय/नोडल केंद्र में चार अध्यापक शामिल होंगे--1 प्रोफेसर, 1 रीडर तथा 2 पूर्णकालिक अथवा 4 अंशकालिक लेक्चरर।

6.3 **शिक्षण स्टाफ की अर्हता**

प्रोफेसर/विभागाध्यक्षः

अर्हताएंः

(i) स्नातकोत्तर स्तर पर और अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में पढ़ाने के 10 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दिए अनुसार।

रीडरः

अर्हताएंः

(i) स्नातकोत्तर स्तर पर और अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में पढ़ाने के 5 वर्ष के अनुभव सहित लेक्चरर के लिए नीचे दिए अनुसार।

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

843

टिप्पणी: उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तथा उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए शिक्षा में अधिमानतः दूरस्थ शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/रीडर शिक्षा की संविदा आधार पर नियुक्ति तब तक के लिए की जा सकती है जब तक कि ऐसे उम्मीदवार सेवानिवृत्ति के बाद की संविदागत सेवा में 65 वर्ष की आयु न प्राप्त कर लें।

लेक्चररः

(i) कम से कम 50% अंकों सहित मास्टर डिग्री और एम.एड.।

(ii) किसी भी विषय में पी.एचडी.

(शिक्षा/शैक्षिक आयोजना और प्रबंध में पी.एचडी. को विशेष भारिता दी जाएगी)

6.4 भौतिक आधारिक संरचना

संकाय सदस्यों के लिए कमरे/केबिन, कंप्यूटर कक्ष, सामग्री उत्पादन केंद्र, स्टोर, कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा पाठ्यक्रम सामग्री के निर्माण के लिए श्रृव्य-दृश्य स्टूडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

6.5 शिक्षणात्मक आधारिक तंत्र

6.5.1 पुस्तकालय

अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक शब्दकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों, सीडी रोम तथा अध्यापक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि विषयक अनुसंधान पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा।

7. सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

844

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8.0 अध्ययन केंद्र

8.1 अध्ययन केंद्र राअशिप द्वारा अधिमानतः स्नातकोत्तर स्तर पर मान्यताप्रदत्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। तथापि, राअशिप द्वारा मान्यताप्रदत्त तथा आवश्यक सुविधाओं और अपेक्षित संख्या में योग्य स्टाफ से युक्त अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बी.एड. कालेजों पर भी विचार किया जा सकता है।

8.2 अध्ययन केंद्र के माध्यम से दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या एक बैच में 25 से अधिक नहीं होगी।

8.3 संस्थान के प्रिंसीपल अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। संस्थान के एक संकाय सदस्य को सहायक समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

8.4 विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा विभागों/प्रशिक्षण संस्थानों के अन्य संकाय सदस्य शिक्षण और शोध मार्गदर्शन में प्रवृत्त रहेंगे।

8.5 अध्ययन केंद्र में एक समन्वयकर्ता सहित पांच अंशकालिक शैक्षणिक परामर्शदाता उपलब्ध रहेंगे।

9.0 शैक्षणिक इन्पुट

9.1 सामग्री

अध्ययन केंद्रों को छात्रों के प्रयोग के लिए स्व-अधिगम मुद्रित और गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। दूरस्थ शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन सामग्री का निर्माण और प्रयोग करते हैं। कार्यक्रम की क्षमता केंद्रों में उपलब्ध कराई गई इस तरह की सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा तथा कोटि पर निर्भर करती है।

शिक्षणात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए अध्ययन केंद्रों में प्रयोगशालाएं उपलब्ध रहनी चाहिए।

9.2 संपर्क कार्यक्रम

अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए संपर्क कार्यक्रमों और क्षेत्र-आधारित शोध-प्रबंध कार्य सहित सहित समूचे पाठ्यक्रम में विस्तारित कम से कम 300 संपर्क घंटे उपलब्ध कराए जाएंगे। संपर्क कार्यक्रमों तथा शोध प्रबंध कार्य का पर्यवेक्षण विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षा विभागों/प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा। अध्ययन केंद्र द्वारा स्थानबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

845

IndiaCode

9.3 मूल्यांकन

केंद्रों में छात्रों को एसाइनमेंटों, प्रायोगिक कार्य तथा अन्य आकलनों के मूल्यांकन पर आधारित नियमित फीडबैक प्रदान किया जाएगा।

9.4 छात्र सहयोग सेवाएं

(i) विश्वविद्यालय और इसका संबंधनप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय का प्रयोग पाठ्यक्रम के छात्रों द्वारा किया जा सकेगा।

(ii) इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/सीडी प्लेयर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री का लाभ उठाने कि सुविधाएं अध्ययन केंद्रों में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iii) अध्ययन केंद्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

9.5 मानीटरन और पर्यवेक्षण

शोध-प्रबंध कार्य सहित अधिगम क्रियाकलापों का सुचारु संचालन तथा अध्ययन केंद्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय के कोर संकाय द्वारा नियमित मानीटरन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय कार्यक्रम के विभिन्न अंगों - संपर्क कार्यक्रम, स्थानबद्ध प्रशिक्षण, शोध-प्रबंध तथा क्षेत्रीय कार्य, एसाइनमेंट्स की तत्काल और नियमित प्रस्तुति तथा मूल्यांकन फीडबैक के नियमित मानीटरन की एक विस्तृत प्रणाली निर्धारित समय-सूची, परामर्श और मार्गदर्शन आदि के अनुसार तैयार और संचालित करेगा।

10.0 शुल्क संरचना

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर शुल्क वसूला जाएगा।

11.0 कार्यक्रम की मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षाएं

एम.एड. (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति) शुरू करने के लिए मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय/संस्थानों को निम्न कार्य पूरे कर लेने चाहिए-

1. परीक्षा की योजना सहित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण।
2. मुद्रित तथा गैर-मुद्रित पाठ्यक्रम-सामग्री का निर्माण।
3. अध्ययन केंद्रों की पहचान।
4. डीईसी से आशय का प्रमाण-पत्र की अध्ययन सामग्री मानदंडों के अनुसार अभिकल्पित और विकसित की गई है।
5. विश्वविद्यालय तथा अध्ययन केंद्रों के बीच एक सहमति-ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम को चलाने के लिए जरूरी अतिरिक्त सुविधाओं और आधारिक सहयोग की जरूरतों का उल्लेख किया गया हो।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

846

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2007

No. F. 51-1/2007-NCTE(N&S).—Regulations laying down the procedure for grant of recognition to various teacher training programmes were promulgated by the National Council for Teacher Education on January 13, 2006. The Norms and Standards of various teacher training courses were subsequently revised and notified. It has been decided to consolidate and bring these Regulations under one notification for the sake of clarity and better understanding as they are organically linked with one another.

Now, in supersession of the Regulations listed in para 12 of these Regulations and in exercise of the powers conferred under section 32 (2) of the NCTE Act, 1993, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely: –

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

In these regulations, unless the context otherwise requires, all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3. Applicability

These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes covering norms and standards and procedures for

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

847

recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in existing programmes and other matters incidental thereto.

4. **Eligibility**

The following categories of institutions are eligible for consideration of their applications under these regulations:

(1) Institutions established by or under the authority of Central/ State Government/UT Administration;

(2) Institutions financed by Central/ State Government/ UT Administration.

(3) All universities, including institutions deemed to be universities, so recognized under UGC Act, 1956.

(4) Self financed educational institutions established and operated by 'not for profit', Societies and Trusts registered under the appropriate law.

5. **Manner of making application and Time Limit**

(1) An institution eligible under Regulation 4, desirous of running a teacher education programme may apply to the concerned Regional Committee of NCTE for recognition in the prescribed form in triplicate along with processing fee and requisite documents.

(2) The form can be downloaded from the Council's website *www.ncte-in.org*, free of cost. The said form can also be obtained from the office of the Regional Committee concerned by payment of Rs. 1000 (Rs. One thousand only) by way of a demand draft of a Nationalized Bank drawn in favour of the Member Secretary, NCTE payable at the city where the office of the Regional Committee is located.

(3) An application can be submitted conventionally or electronically on-line. In the latter case, the requisite documents in triplicate along with the processing fee shall be submitted separately to the office of the Regional Committee concerned. Those who apply on- line shall have the benefit of not to pay for the form.

(4) The cut-off date for submission of application to the Regional Committee concerned shall be 31st October of the preceding year to the academic session for which recognition has been sought.

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

4939 GI/07—13

848

IndiaCode

(5) All complete applications received on or before 31st October of the year shall be processed for the next academic session and final decision, either recognition granted or refused, shall be communicated by 15th May of the succeeding year.

6. Processing Fees

There shall be a uniform fees of Rs. 40,000/- for processing of an application for grant of recognition to an institution to conduct a teacher education programme or addition to programme or intake in the existing programme payable in the form of a demand draft of any Nationalized Bank drawn in favour of the Member Secretary, NCTE payable at the city where the office of the Regional Committee is situated. The Government Institutions are exempted from payment of processing fee as per the relevant provisions of NCTE Rules, 1997 as amended from time to time.

7. Processing of Applications

(1) The applicant institutions shall ensure submission of applications complete in all respects. However, in order to cover the inadvertent omissions or deficiencies in documents, the office of the Regional Committee shall point out the deficiencies within 30 days of receipt of the applications, which the applicants shall remove within 90 days. No application shall be processed if the processing fees of Rs.40, 000/- is not submitted and such applications would be returned to the applicant institutions.

(2) Simultaneously, on receipt of application, a written communication alongwith a copy of the application form submitted by the institution(s) shall be sent by the office of Regional Committees to the State Government/U.T. Administration concerned.

(3) On receipt of the communication, the State Government/UT Administration concerned shall furnish its recommendations on the applications to the office of the Regional Committee concerned of the National Council for Teacher Education within 60 days from receipt. If the recommendation is negative, the State Government/UT Administration shall provide detailed reasons/grounds thereof with necessary statistics, which shall be taken into consideration by the Regional Committee concerned while deciding the application. If no communication is received

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

849

from the State Government/UT Administration within the stipulated 60 days, it shall be presumed that the State Government/UT Administration concerned has no recommendation to make.

(4) After removal of all the deficiencies and to the satisfaction of the Regional Committee concerned, the inspection of infrastructure, equipments, instructional facilities etc. of an institution shall be conducted by a team of experts called Visiting Team (VT) with a view to assessing the level of preparedness of the institution to commence the course. Inspection would be subject to the consent of the institution and submission of the self-attested copy of the completion certificate of the building. Such inspection, as far as administratively and logistically possible, shall be in the chronological order of the date of receipt of the consent of the institution. In case the consent from more than one institution is received on the same day, alphabetical order may be followed. The inspection shall be conducted within 30 days of receipt of the consent of the institution.

(5) At the time of the visit of the team of experts to an institution, the institution concerned shall arrange for the inspection to be videographed in a manner that all important infrastructural and instructional facilities are videographed along with interaction with the management and the staff (if available). The visiting teams, as far as possible, shall finalize and courier their reports alongwith the video tapes on the same day.

(6) The application and the report alongwith the video tapes/CDs etc of the Visiting Team shall be placed before the Regional Committee concerned for consideration and appropriate decision.

(7) The Regional Committee shall decide grant of recognition or permission to an institution only after satisfying itself that the institution fulfills all the conditions prescribed by the NCTE under the NCTE Act, Rules or Regulations, including, *inter alia*, the norms and standards laid down for the relevant teacher education programme/course.

(8) In the matter of grant of recognition, the Regional Committees shall strictly act within the ambit of the National Council for Teacher Education Act, 1993, the National Council for Teacher Education Rules, 1997 as amended from time to time and the regulations made under the NCTE Act, 1993 including the norms and standards for various teacher education programmes and shall not make any relaxation thereto. The Regional Directors, who is the convener of the Regional Committee, while

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

850

putting up the proposals to the Regional Committee, shall ensure that the correct provisions in the NCTE Act, Rules and Regulations including Norms and Standards for various Teacher Education Programmes are brought to the notice of the Regional Committee to enable the Regional Committee to take appropriate decisions.

(9) The institution concerned shall be informed, through a letter, of the decision for grant of recognition or permission subject to appointment of qualified faculty members before the commencement of the academic session. The letter issued under this clause shall not be notified in the Gazette. The faculty shall be appointed on the recommendations of the Selection Committee duly constituted as per the policy of the State Govt/Central Govt/University/UGC or the concerned affiliating body, as the case may be. The applicant institution shall submit an affidavit in the prescribed form that the Selection Committee has been constituted as stated above. A separate staff list with the details would be submitted in the prescribed form. The Regional Committee would rely on the above affidavit and the staff list before processing the case for grant of formal recognition.

(10) All the applicant institutions shall launch their own website soon after the receipt of the letter from the Regional Committee under Regulation 7(9) covering, *inter alia*, the details of the institution, its location, name of the course applied for with intake, availability of physical infrastructure (land, building, office, classrooms, and other facilities/amenities), instructional facilities (laboratory, library etc.) and the particulars of their proposed teaching and non-teaching staff etc. with photographs, for information of all concerned.

(11) The institution concerned, after appointing the requisite faculty/staff as per Regulation 7(9) above and fulfilling the conditions under Regulation 7(10) above shall formally inform the Regional Committee concerned alongwith the requisite affidavit and staff list. The Regional Committee concerned shall then issue a formal recognition order that shall be notified as per provision of the NCTE Act.

(12) In cases where the Regional Committee, after consideration of the report of the Visiting Team, is of the opinion that the institution does not fulfill the requirements for starting/conducting the course or for enhancement of intake, such an institution will be allowed one more opportunity for removal of the deficiencies. In case an inspection is

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

851

considered desirable by the Regional Committee, the institution concerned shall again deposit a fee of Rs. 40,000 to the Regional Committee concerned through a demand draft from any Nationalized Bank drawn in the favour of the Member Secretary, NCTE payable at the city where the Regional Committee is located. However, no such fee is required if the deficiencies pointed out are minor in nature not involving civil construction or the like and the rectifications are verifiable without physical inspection. The decision of the Regional Committee shall be final in this regard.

(13) The reports of inspection of the institutions along with the names of the Visiting Team Experts shall be made available on the official website of the Regional Committee concerned after the same have been considered by the Regional Committee.

3. Conditions for grant of recognition

(1) An institution must fulfill all the prescribed conditions related to norms and standards as prescribed by the NCTE for conducting the course or training in teacher education. These norms, inter alia, cover conditions relating to financial resources, accommodation, library, laboratory, other physical infrastructure, qualified staff including teaching and non-teaching personnel, etc.

(2) In the first instance, an institution shall be considered for grant of recognition for only one course for the basic unit as prescribed in the norms & standards for the particular teacher education programme. An institution can apply for one basic unit of an additional course from the subsequent academic session. However, application for not more than one additional course can be made in a year.

(3) An institution shall be permitted to apply for enhancement of course wise intake in teacher education courses already approved, after completion of three academic sessions of running the respective courses.

(4) An institution shall be permitted to apply for enhancement of intake in Secondary Teacher Education Programme - B.Ed. & B.P.Ed. Programme, if it has accredited itself with the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with a *Letter Grade* B developed by NAAC.

(5) An institution that has been granted additional intake in B.Ed. and B.P.Ed. teacher training courses after promulgation of the Regulations,

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

852

2005 i.e. 13.1.2006 shall have to be accredited itself with the National Assessment and Accreditation Council (NAAC) with a *Letter Grade* B under the new grading system developed by NAAC before 1st April, 2010 failing which the additional intake granted shall stand withdrawn w.e.f. the academic session 2010-2011.

(6) All the applications for additional intake in B.Ed. and B.P.Ed. received on or before the date of this notification in the Gazette of India shall be considered as per the provisions of the Regulations 2005 notified on 13-1-06. However, the provisions of Regulation 8(5) above shall also be applicable to them.

(7) No institution shall be granted recognition under these regulations unless it is in possession of required land on the date of application. The land free from all encumbrances could be either on ownership basis or on lease from Government/Govt institutions for a period of not less than 30 years. In cases where under relevant State/UT laws the maximum permissible lease period is less than 30 years, the State Government/UT Administration law shall prevail. However, no building could be taken on lease for running any teacher training course.

(8) The institution/society shall furnish an affidavit in the prescribed form on Rs. 100 stamp paper duly attested by Oath Commissioner/Notary Public stating the precise location of the land (village, district, state etc.), the total area in possession and the permission of the competent authority to use the land for educational purposes, mode of possession i.e. ownership or lease. In case of Government institutions, the said affidavit shall be furnished by the Principal or the Head of the Institution or any other higher authority. The affidavit shall be accompanied with the certified copy of land ownership/lease documents.

(9) The affidavit shall be relied upon by the Regional Committee as an authentic self-declaration. The copy of the affidavit shall be displayed by the institution on its official website so as to make the self-declaration available in public domain. In case the contents of the affidavit are found to be incorrect or false, the society/trust or the institution concerned shall be liable for action under the relevant provisions of Indian Penal Code and other relevant laws.

(10) At the time of inspection, the building of the institution shall be complete in the form of a permanent structure on the land possessed by the institution in terms of Regulation 8(7), equipped with all necessary

Attested
16/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

853

amenities and fulfilling all such requirements as prescribed in the norms and standards. The applicant institution shall produce the original completion certificate, approved building plan in proof of the completion of building and built up area and other documents to the Visiting Team for verification. No temporary structure/asbestos roofing shall be allowed.

(11) In case of change of premises, prior approval of the Regional Committee concerned shall be necessary, which could be accorded after due inspection of the institution at the new site. The change can be permitted to a site which, if applied initially, could have qualified for establishment of an institution as per prescribed norms of NCTE. The change shall be displayed on website thereafter. The application for change of premises shall be accompanied by a demand draft of Rs. 40,000/- of a Nationalized Bank drawn in favour of the Member Secretary, NCTE and payable at the city where the Regional Committee is located. Similar procedure would be applicable in case of change of management/society/trust etc. excluding change of Management Committee as per registered by-laws of the management/society/trust.

(12) An institution shall make admission only after it obtains order of recognition from the Regional Committee concerned under Regulation 7(11), and affiliation from the examining body.

(13) Whenever there are changes in the norms and standards for the course or training in teacher education, the institution shall comply with the requirements laid down in the revised norms and standards immediately but not later than the date of commencement of the next academic session, subject to conditions prescribed in the revised norms.

(14) An institution shall have latest copies of all relevant Acts, Rules and Regulations of NCTE, Central and State/ UT Govts., affiliating/ examining bodies, and other Central/ State/ UT authorities, relevant to the running of an educational institution, currently in force. The institution shall make all the information/ documents available to the NCTE or its authorised representatives as and when demanded by them. Failure to produce/ show any of these documents, shall be treated as a breach of the conditions for recognition.

(15) The institution shall maintain records/ registers and other documents etc., which are essential for running of an educational institution especially those prescribed in the relevant norms and

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

854

standards and guidelines/ instructions/ rules etc. of the Central/ State/ UT Govts, affiliating/examining bodies.

(16) The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its official website.

9. The Norms and Standards for various teacher education courses are given in the Appendices 1 to 12 as indicated below which an institution offering the said courses is required to comply with.

(i) Norms and Standards for Pre-school Education Programme Leading to Certificate in Education (C.Ed)	Appendix - 1
(ii) Norms and Standards for Elementary Teacher Education Programme Leading to Diploma in Education (D.Ed)	Appendix- 2
iii) Norms and Standards for Bachelor of Elementary Teacher Education Programme leading to Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed) Degree	Appendix - 3
(iv) Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme leading to Bachelor of Education (B.Ed) Degree	Appendix- 4
(v) Norms and Standards for Master of Education Programme leading to Master of Education (M.Ed.) Degree	Appendix- 5
(vi) Norms and Standards for Master of Education (Part Time) Programme leading to Master of Education [M.Ed.] Degree	Appendix- 6
(vii) Norms and Standards for Certificate in Physical Education Programme leading to Certificate in Physical Education (C.P.Ed.)	Appendix- 7
(viii) Norms and Standards for Bachelor of Physical Education Programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) Degree	Appendix- 8
(ix) Norms and Standards for Masters of Physical Education Programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed) Degree	Appendix- 9
(x) Norms and Standards for Bachelor of Physical Education Four Years B.P.Ed Programme(Integrated) leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed) (Integrated) Degree	Appendix-10
(xi) Norms and Standards for Elementary Teacher Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in Education (D.Ed.)	Appendix-11
(xii) Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Bachelor of Education	Appendix-12

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

857

IndiaCode

(B.Ed.) Degree

(xiii) Norms and Standards for M aster of Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Master of Education (M.Ed.) Degree — Appendix-13

10. Financial Management:

(1) In the case of self financed institutions including Government/ Government aided institutions running a course on self-financing basis, there shall be an endowment fund of Rs. 5.00 lakh per course per unit and a reserve fund of Rs. 3.00 lakh per course per unit of approved intake, in the form of a Fixed Deposit of a duration of and above 5 years of a nationalized bank. The endowment fund and reserve fund shall be operated jointly by the authorized representative of the management and an officer of the Regional Committee concerned.

(2) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/Board by account payee cheque or as per Advice into the bank account of employee specially opened for the purpose.

(3) Following statements of Accounts, duly certified by a Chartered Accountant, shall be maintained and displayed on its official website by every institution every financial year by 30 th September of the year:

(i) Balance Sheet as on the last date of the financial year.

(ii) Profit and Loss Account for the financial year.

(iii) Receipt and Payment Account for the financial year.

11. Power to Relax

On the recommendations of State Government/ UT Administration concerned and only for removal of any hardship caused in adhering to the provisions in these regulations, in circumstances peculiar to the said State/U.T., it shall be competent for the Chairperson, National Council for Teacher Education, for reasons to be recorded in writing, to relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of institutions in the concerned state/U.T., to such extent and subject to such conditions, as may be specified in the order allowing relaxation. In exceptional cases and for reasons to be recorded in writing the Chairperson

4939 GI/07—14

10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

856

can relax the provisions of the Regulations and the related Norms and Standards in case of a Government institution.

12. Repeal of Regulations

(1) The following regulations stand repealed with effect from the date the above new regulations come into force :-

S. No	Notification No. and date	Name of the NCTE Regulation
1	F. 49-42/2005/NCTE/N&S dated 27-12-2005, published in the Gazette of India Extraordinary Part-III-Section 4 as No. 8 on 13-01-2006.	NCTE (Recognition Norms and Procedures) Regulations 2006 dated 27-12-05.
2	F. 49-42/2005/NCTE/N&S dated 20-7-2006, published in the Gazette of India Extraordinary Part-III-Section 4 as No. 112 on 21-7-2006.	NCTE (Recognition Norms and Procedures) (Amendment) Regulations 2006 dated 20-7-06.
3	F. 49-4 /2005/NCTE/N&S dated 20-7-2006, published in the Gazette of India Extraordinary Part-III-Section 4 as No. 112 on 21-7-2006.	NCTE (Recognition Norms and Procedures) (Amendment) Regulations 2006 dt.20-7-06
4	F. 49-4/2006/NCTE/N&S dated 13-11-2006, published in the Gazette of India Extraordinary Part-III-Section 4 as No. 168 on 15-11-2006.	NCTE (Recognition Norms and Procedures) (IInd Amendment) Regulations 2006 dated 13-11-06
5	F. 49-4/2006/NCTE/N&S dated 30-11-2006, published in the Gazette of India Extraordinary Part-III-Section 4 as No. 181 on 11-12-2006.	NCTE (Recognition Norms and Procedures) (IIIrd Amendment) Regulations 2006 dated 30-11-06

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54
857

6	F. 49-4/2006/NCTE/N&S dated 22-12-2006, published in the Gazette of India Extraordinary Part-III-Section 4 as No. 03 on 2-01-2007.	NCTE (Recognition Norms and Procedures) (IVth Amendment) Regulations 2006 dated 22-12-06

(2) The repeal of the aforesaid regulations will not affect previous operation of any regulations so repealed or anything duly done thereunder.

V. C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT III/IV/131/2007/Exty]

IndiaCode

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

858

APPENDIX -1

Norms and Standards for Pre-School Teacher Education Programme Leading to Certificate in Education (C.Ed.)

1.0 Preamble

1.1.1 Early childhood Education ECE (0-6 years) is of crucial importance especially from the point of view of the development of child's language, intelligence and personality. It also provides a strong support to the child's elementary education during later years. ECE aims at total child development in a learning environment that is joyful, child-centered, play and activity based. It must be ensured at this stage that the 3 R's are not forced upon the children and that there are no textbooks, tests, interviews, homework, competitive sports and such other routine school-like activities.

1.1.2 Existing arrangements and programmes for providing ECE cover a wide range – ICDS, ECE Centres, Balwadis and Day-care Centres run by voluntary organizations, Pre-primary schools run by governmental and non-governmental agencies (Montessori, Kindergarten, Nursery schools) and material and child health services through primary health centers. The provisions are distributed among government, private and NGO sectors with government intervention largely confined to ICDS.

1.2 Applicability

The norms and standards that follow apply to institutions offering teacher education programmes exclusively for pre-primary or pre-school or nursery (as it is generally defined) levels.

2.0 Duration and Working Days

2.1 Duration

The Pre-school/Nursery teacher-education programme shall be of duration of one academic year.

2.2 Working Days

(a) There shall be at least 180 working days each year, exclusive of period of examination and admission etc., out of which at least 40 days shall be for internship in nearby pre-schools.

(b) A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week, during which physical presence in the institution of teachers and student-teachers

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

859

is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

3.1.1 There shall be a basic unit of 50 students, for each year.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates who have completed class XII with not less than 50% marks are eligible for admission.

3.2.2. The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1 (a)(i) **Number** (For a basic unit of 50 students)

Principal	-	1
Lecturers	-	4

4.1.1. (a)(ii) For additional intake which will be in the multiple of 50 student, the number of full time teacher educators shall be increased by three. However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered.

4.1.1 (b) Qualifications

(i) Principal:-

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and

(b) Five years' experience of teaching in a Nursery/Pre-school / Pre-primary teacher education institution.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

860

(ii) **Lecturer/Teacher: -**

Graduate with Diploma (certificate) in Pre-school Teacher Education.

OR

B.Ed. (Nursery)

OR

Graduate with Psychology /B.Sc. (Home Science), with a specialization in Child Development.

Note: - Candidates having B.Ed (Nursery) degree of two years duration shall be given special weightage.

4.1.2 Technical Support Staff

(a) **Number**

- Librarian - 1 (Full time)
- Art (Fine Arts/Performing Art/music) - 1 (Part-time)
- Health & Physical Education - 1 (Part time)

(b) **Qualifications**

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.1.3. Administrative staff

(a) **Number**

(i) UDC/Office Superintendent - 1 (Regular)
(ii) Computer Operator-cum Store keeper - 1 (Regular)
(iii) Helpers - 2 (Regular)

(b) **Qualifications**

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.2 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

IndiaCode

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

861

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government whichever is applicable.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 The institution must have at least 1000 sq. mts. land whereupon built-up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 500 sq. mts. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

5.1.2 There shall be provision for two classrooms, one large multi-purpose hall, one spacious learning resource centre, seminar/tutorial rooms, resource room for education of the children with disability, separate rooms for the Principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. Activities related to Music, Art, Drama, craft, material production and education technology may be conducted in multi-purpose hall. The size of instructional space shall not be less than 10 sq.ft. per student. Each classroom should be of such size as to comfortably accommodate 50 student-teachers. The Multi-Purpose Hall shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.3 Reasonable outdoor space and also facilities for indoor games shall be provided for physical education, sports and athletics. There shall be games facilities with playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized and where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, indoor games may be provided.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

862

IndiaCode

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institutional campus, building, furniture etc. should be barrier free.

5.1.6 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

5.2. Instructional

5.2.1. The institution shall have access to a cluster of nearby pre-school/ECE centers for field work and practice teaching related activities of student teachers. A list of such schools shall be prepared. It is desirable that the institution has its own attached Nursery school.

5.2.2 The institution shall establish a composite Learning Resource Centre to provide a setting wherein teachers and students have access to a variety of materials and resources to support and enhance the teaching-learning process. These should include:

- Books, journals and magazines
- Children's books
- Audio-visual equipment – TV, VCR, tape recorder, slide projector
- Audio-visual aids, video – audio tapes, slides, films.
- Teaching aids – charts, pictures
- Developmental assessment check lists and measurement tools.
- Computer, Xerox machine.

5.2.3. Equipment and materials for different activities

5.2.3.1 Teaching-Learning materials and Aids

The equipment and materials should be suitable and sufficient in quality and quantity for the variety of activities planned in the programme. These include the following :

Educational kits, models, play materials, simple books on different topics (songs, games, activities, work pages), puppets, picture books, photographs, blow-ups, charts, maps, flash cards, handbooks, pictures, pictorial representations of developmental characteristics of children.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

5.2.3.2 Equipment, Tools, Raw material for aids, Play material and arts and crafts activities.

One set of wood working tools, one set of gardener's tools, raw materials and equipment required for toy making, doll making, tailoring, dress designing, puppetry, material for preparation of charts, models and other practical activities to be done by the student teacher – art material, waste material, stationery (chart paper, mount board etc.), tools like scissors, scales etc., cloth.

5.2.3.3 Audio Visual Equipment

As mentioned in 5.2.2, Hardware for projection and duplication and educational software facilities including TV, VCR, Audio Cassette Recorder, slide projector, blank audio video cassettes, video-audio tapes, slides, films, charts, pictures. ROT (Received Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) would be desirable.

5.2.3.4 Music and Movement

Simple musical instruments such as Harmonium, Tabla, Flute, Manjira and other indigenous instruments.

5.2.3.5 Books, Journals and Magazines

A minimum of 1000 books on relevant subjects should be available during the first year of establishment of the institution and 100 standard books be added every year. The collection of books should include children's encyclopedias, dictionaries, reference books, books on professional education, teachers' handbooks, books on and for children (including comics, stories, picture books/albums, poems). The institution should subscribe to at least three journals of which at least one should be on professional education.

5.2.3.6 Games and Sports

Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games should be available.

5.3 Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.3.2. The institution shall provide *separate* common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

Attested
10/5/11
सहायक निदेशक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

864

5.3.3. Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.3.4. Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.3.5 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

6.0 Curriculum Transaction

Curricular transaction should emphasize approaches and methods like role playing, games, quiz, material preparation, project work, bal mela etc., by which prospective teachers can be trained to create joyful environment so that children of the age group of 4-6 years may have attraction towards school education.

7.0 General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space, can be shared.

IndiaCode

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

865

APPENDIX -2

Norms and Standards for Elementary Teacher Education Programme leading to Diploma in Education (D.Ed.)

1.0 Preamble

1.1.1 Free and compulsory elementary education (6-14 years) is the fundamental right of every child in our country. The aim of elementary education is to fulfill the basic learning needs of all children in an inclusive school environment bridging social and gender gaps with the active participation of the community.

1.1.2 The objectives of elementary education are to enable the child to develop skills of literacy, numeracy, communication and problem solving and acquire knowledge and understanding of the physical and social world around and attitudes and skills related to enhancing productivity and quality of life.

1.1.3 The elementary stage of education marks the beginning of formal introduction of the child to the 3R's gradually moving on to the study of the disciplines. It should provide for a learning environment for children that promote joyful, activity based and participatory teaching and learning.

1.1.4 The elementary teacher education programme carries different nomenclatures like BTC, Diploma in Education, TTC and so on. Both the duration of training and entry qualifications differ across states. The course is offered in elementary teacher education institutions and in DIETs. The programme is aimed at preparing teachers for Ist to VIIIth level of education.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The elementary teacher education programme shall be of duration of two academic years.

2.2 Working Days

(a) There shall be at least 180 working days each year exclusive of the period of examination and admission, out of

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

866

which at least 40 days shall be for practice teaching/skill development in nearby elementary schools.

(b) A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six day week, during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 50 students, for each year. However, the District Institute of Education & Technology(DIETs)/District Resource Centres(DRCs) sanctioned under the Centrally Sponsored Scheme on Teaching Education could be sanctioned a maximum intake of 200 subject to fulfillment of other requirements.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates with at least 50% marks in the senior secondary examination (+2) or its equivalent are eligible for admission.

3.2.2 The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government /UT Administration.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.a (i) **Number** (For a basic unit of 50 students or less with combined strength of 100 or less for the 2 year course)

Principal	-	1
Lecturers	-	5

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

867

4.1.a (ii) For additional intake which will be in the multiple of 50 student, the number of full time teacher educators shall be increased by three. However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered.

4.1.a (iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for all methodology courses and foundation courses.

4.1. (b) Qualifications

(i) Principal

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and

(b) 5 years' experience of teaching in an elementary teacher education institution.

(ii) Lecturer

M.Ed.

OR

M.A. (Education) with either B.Ed. or B.El.Ed. with 55% marks

OR

Masters degree in any subject with either D.Ed or B.El.Ed. with 55% of marks

Note: - Candidates having B.Ed degree of two years duration shall be given special weightage.

4.2 Technical Support Staff

(a) Number

- Librarian - 1 (full time)
- Art (Fine Arts/performing Art/music) - 1 (Part-time)
- Health & Physical Education - 1 (Part time)
- Work experience - 1 (Part time)

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

868

4.3. Administrative staff

(a) Number

(i)	UDC/Office Superintendent (Regular)	-	1
(ii)	Computer Operator-cum-Store keeper	-	1 (Regular)
(iii)	Helpers	-	2 (Regular)

(b) Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.4 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

869

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 The institution must have at least 1500 sq. mts. land whereupon built-up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1000 sq. mts. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

Built up Area for running other courses in combination with D.Ed programme shall be as under:-

Only D.Ed.	- 1000 Sq mts.
B.Ed. plus D.Ed.	- 2500 Sq.mts.
B.Ed. plus D.Ed. and M.Ed.	- 3000 Sq.mts.

5.1.2 There shall be provision for two classrooms, one multi-purpose hall, one multi-purpose laboratory, seminar/tutorial rooms, resource room for education of children with disability, separate rooms for the Principal, for the faculty members, for the office and for the administrative staff and a store. Appropriate space shall be provided for Music, Art, Drama, Work Experience activities. For every instructional room like class rooms, laboratory, library etc. space shall not be less than 10 sq.ft. per student. Multi-purpose hall shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.3. There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school or local body may be utilized exclusively for fixed periods. Where there is scarcity of space as in metropolitan towns/hilly regions, facilities for small court games, yoga and indoor games may be provided.

5.1.4. Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5. The institutional campus, building, furniture etc. should be barrier free.

5.1.6. Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

870

5.2. Instructional

(a) The institution shall have easy access to sufficient number (5-10) of recognized schools for practice teaching. The school should be within the radius of 10 kms. of recognized elementary schools for field work and practice teaching related activities of student teachers. A list of such schools shall be prepared. It is desirable that it has an attached elementary school of its own.

(b) There shall be a multi-purpose educational laboratory with psychology and science sections, and a workshop attached to it.

(c) The science section shall have the apparatus required to demonstrate all the experiments as per the syllabus of elementary schools.

(d) The psychology section shall have facilities for observation of children, counseling & guidance, Personality and Interest Inventories.

(e) There shall be hardware and software facilities for language learning.

(f) There shall be an Educational Technology laboratory with hardware for projection and duplication and educational software, required for imparting Information Technology (IT) literacy, including TV, Camera etc.

(g) ROT (Received Only Terminal) and SIT (Satellite Interlinking Terminal) shall be desirable.

(h) There shall be a library equipped with minimum 2000 titles including text and reference books related to the prescribed course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and five educational journals on elementary education and related subjects. It should be augmented with addition of 200 titles annually. The library shall have photocopying facility and computers with internet facility for the use of faculty and student – teachers.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

871

(i) There shall be an Art and Music section, equipped with art paper, boards, brushes, colours etc. for visual art, simple musical instruments such as harmonium, tabla, flute, mridanga, other local popular instruments, costumes and accessories for staging dance and drama performance, curtains and other accessories.

5.3. Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.3.2 The institution shall provide *separate* common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

5.3.3 Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.3.4 Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.3.5 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

6.0 Curriculum Transaction

Apart from teaching of foundation subjects, there shall be provision for teaching of methods subjects relating to primary and upper primary curriculum, namely Regional Language/Mother Tongue, English, Mathematics, Science and Social Studies and environmental education etc.

7.0 General

If one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

872

India Code

Appendix- 3

Norms and Standards for Bachelor of Elementary Teacher Education Programme (B.El.Ed.)

Preface

The National Council for Teacher Education has now been vested with statutory authority to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and coordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards of teacher education including preparation for pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages of school education. The formulation of norms and standards for teacher education institutions preparing teachers and teacher educators for different levels of school education is essential for a variety of reasons. Norms will help existing institutions offering teacher education programmes, to compare the provisions in their institutions with norms of the NCTE and take necessary action to correct deficiencies, if any. Norms will also help in proper planning of new institutions, programmes and courses of teacher education.

Here, the norms and standards specify the 'Conditions' required for recognition, permission, and additional intake of seats.

This document specifies norms and standards approved by the NCTE for Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) Programme by the institutions offering four- year full-time integrated face to face instruction.

It is expected that this document will be used by planners and administrators of teacher education, and by government, autonomous and private managements of teacher education in planning, organizing and recognizing programmes of Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programme. The NCTE will be using these norms for professional recognition of institutions organising Bachelor of Elementary Teacher Education (B.El.Ed.) Programmes. These norms will also be used for advising government, autonomous and private managements for taking suitable action for improving existing programmes and institutions.

1. Duration of the Course

(a) The integrated Elementary Teacher Education Degree Programme, henceforth, called the Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.), shall be of a minimum duration of four academic years, including an Internship of a minimum of 16 working weeks in the fourth/final year of study.

(b) Candidates admitted in this Programme shall complete the final year examination within 6 years from the year of admission.

2. Admission Criteria

(a) Candidates seeking admission to the four-year degree programme in Elementary Teacher Education shall have to qualify in the prescribed Centralised Entrance Test (CET), especially designed to assess the candidate's potential.

The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

873

(b) *Qualification for admission*

(i) *The minimum qualification for admission to the B.EI.Ed. shall be a pass in the 10+2 Senior Secondary Examination or any other examination recognised as equivalent thereto with a minimum aggregate of 50% marks.*

(ii) *Candidate seeking admission to this programme must have completed the age of 17 years on or before the commencement of admission as per University Calendar.*

3. Intake and Migration

(a) The intake of candidates in one unit shall not exceed 35 in a class.

(b) *The institutions may permit migration of students from one institution to another only once at the end of 1st year subject to the number of students not exceeding the permitted maximum intake with prior permission of the NCTE.*

4. Course and Periods of Study

The institutions seeking recognition shall impart instructions in courses of Elementary Teacher Education. As an integral part of the teaching programme, each institution shall arrange for field tours and visits to centres of innovative activity in elementary school education. The institutions imparting instructions shall follow the Scheme of courses given below:

(a) *Scheme of Courses for the Bachelor of Elementary Education (B.EI.Ed.)*

The B.EI.Ed. programme should be designed to integrate the study of subject knowledge, human development, pedagogy and communication skills. The programme should offer both compulsory and optional theory courses; compulsory practicum courses and a compulsory comprehensive school internship experience. Theory and Practicum courses should essentially cover the following:

Theory Courses

- *Foundation Courses*
- *Core Courses*
- *Pedagogy Courses*
- *Liberal Courses*
- *Other options in Education*

Practicum

- *Performing and Fine Arts, Crafts and Physical Education*
- *Participatory Work*
- *Observing Children*
- *Self Development Workshop*
- *School Contact Programme*
- *School Internship*
- *Project Work*
- *Tutorials and Colloquia*

Abdulat
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

8 74

- *Academic Enrichment Activities*

(b) *The theory and practicum courses may be classified in terms of knowledge areas as suggested in Table 1a and 1b.*

Table 1(a) : Foundational Basis for Professional Education

Area of Study	B.El.Ed. Course
Subject Knowledge Base	**Core Courses :** C1.1 Nature of Language C1.2 Core Mathematics C1.3 Core Natural Science C1.4 Core Social Science **Two-level liberal discipline specific optional courses :** O2.X and O3.X in any one chosen discipline. **Foundation Course (multi-disciplinary) :** F1.2 Contemporary India.
Education	**Foundation Courses :** F3.6 Basic Concepts in Education F3.7 School Planning and Management F4.8 Curriculum Studies F4.9 Gender and Schooling
Child Study	**Foundation Courses :** F1.1 Child Development F2.3 Cognition and Learning F2.4 Language Acquisition

Table 1 (b) : Applied Courses in Professional Training

Area of Study	B.El.Ed. Courses
Child Study	**Practicum courses :** PR1.2 (a) School Contact Programme (b) Craft **PR2.3 Observing Children** P2.1 Language Across the Curriculum P2.2 Logico Mathematics Education

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

875

	P 3.3 Pedagogy of Environmental Studies **One of the Optional PedagogyCourses :** OP4.1 Language OP4.2 Mathematics OP4.3 Natural Sciences OP4.4 Social Sciences OR **One of the Optional Liberal Courses Related to Education :** OL4.1 Computer Education OL4.2 Special Education **School Contact Programme :** SC 3.1 Classroom Management SC 3.2 Material Development and Evaluation
Development of Teachers and Skill Training	**Foundation Course :** F2.5 Human Relations and Communication **Practicum Courses :** PR1.1 Theatre PR1.2 Craft PR2.4 Self-development PR2.5 Physical Education Colloquia / Tutorials Academic Enrichment Field- based projects / assignments
School Experience	SI School Internship Project

Note: Suggestive/illustrative details are given in Annexure A.

(c) Student Contact Hours

The minimum student contact hours year-wise may be as indicated in Table 2.

Table 2 : Year Wise Minimum Student Contact Hours Year of Study	Student Contact Hours per day	Student Contact Hours per week	Total No. of Contact Hours
I	6.7	33.5	837.5

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

876

IndiaCode

II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
Total	23.2	116.0	2900.0

Students Contact Hours to be read as contact periods. A period is usually of 50 min. duration. Average Student Contact Hours computed at 5 working days per week.

Total No. of Contact Hours computed for 25 working weeks in a year.

5. The Conduct of the B.El.Ed. Programme

The institutions will have to meet the following specific demands of a professional programme of study :

(a) Integrate the B.El.Ed. students with other institutions' academic as well as co-curricular, and for the use of all basic facilities such as computers, playground, library, auditorium, etc.

(b) Promote inter-disciplinary academic activities between various departments within the institutions

(c) Initiate discourse on education by organizing seminars, lectures and discussion groups for students and faculty.

(d) Professional assistance must be sought from within and outside the University/Institutions conducting specific of the programme (eg : theatre, craft, self- development workshops).

(e) The institution must initiate and sustain interaction with a cluster of at least six elementary schools. These schools shall form basic contact point for all practicum activities and related work throughout the programme of study.

(f) The institution must initiate placement services for the graduates in schools.

6. Examination, Standards and Qualification of Examiners

The following shall be integrated into the appropriate Ordinances of the University/Institution concerned which will make provisions through its Statutory Bodies for review as and when appropriate and in consultation with the NCTE.

(a) The University shall conduct the examination at the end of each year.

(b) Practicum courses may be assessed internally.

(c) A Moderation Board constituted by the concerned University/Institution shall monitor issues of quality and parity between Institutions for all Practicum Courses and the Internship Programme.

(d) The weightage of internal assessment for all theory courses may be 30% and for all practicum courses 100%.

Abhishek
16/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

877

(e) *The minimum marks required to pass the examination may be 40% in each written paper, 45% in the internal assessment, 50% in Practicum and 50% in the aggregate for each year.*

(f) *Only those candidates who have passed in the internal assessment shall be permitted to appear in the examination.*

(g) *Any candidate who has obtained not less than 50% in aggregate but has failed in one subject only, obtaining not less than 25% in that subject may be provisionally allowed to proceed to the next year on the condition that she/he will appear for a compartment examination to be held on payment of fees as per University rules. If the candidate fails to pass or fails to present herself/himself at the compartment examination she/he will be reverted to the previous year.*

(h) *An examiner for any of the subjects of examination shall have a minimum of 3 years teaching/professional experience in his/her field of study,*

7. Staff, Equipment and Training

(a) *Academic Faculty*

- *Full -Time Faculty Strength* : *14*
- *Faculty -Student Ratio* : *1 : 10*
- *Number of Students* : *35 X 4 = 140*
- *Part-Time Faculty Strength* : *3*

(b) *The institutions shall encourage the faculty members to involve in professional practice including research.*

(c) *The institutions shall encourage exchange of faculty members for academic programme.*

(d) *Administrative Staff*

- *Curriculum Laboratory attendant* : *1*
- *Resource Laboratory attendant* : *1*
- *Steno typist* : *2*

(e) *Nature of employment of staff*

All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC / Govt. Norms.

(f) *Selection of Faculty*

Faculty of the Department of Elementary Teacher Education shall have diverse specialisation (as indicated in Table 3) alongwith a postgraduate professional degree in education or a research degree in education* or demonstrated experience / research in the field of education*.*

***Preferably elementary education.**

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली--54

878

IndiaCode

Table 3: Profiles of Faculty Required for the Department of Elementary Education

Specialisation	No. of Posts	Essential Qualification	Special interest and Demonstrated Experience	Suggested B.El.Ed. Course to be Taught
1	2	3	4	5
Psychology/ Child Development	One plus One	M.A. Psychology/Applied Psychology (with specialisation in Child Development)/M.Sc. Child Development and Research Degree in Education M.A. Psychology/Applied Psychology (with specialisation in Clinical Psychology/Counselling) /MSW (with specialisation in Personality Development and Counselling) and P.G. Degree/ Research in Education	Work with children/ Issues of how children learn, work undertaken with children Clinical psychology/ Counselling	Child Development Cognition and Learning Related Practicum Human /Relations and Communications Related Practicum
* Preferably elementary education.				
Mathematics	One	M.A. Maths/M.Sc. Maths and Post-graduate professional degree in Education	Creative teaching methods	Core Mathematics Logico- Math Education School Contact Pedagogy of Maths

India Code

attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

879

Science Biological Sciences and Physical Sciences	One plus One	M.Sc. Biological Sciences and Post-graduate Professional degree in Education M.Sc. Physical Sciences and Post-graduate professional degree in Education	Psychology of learning, curricular issues, science teaching - do -	Core Natural Science Pedagogy of Environmental Studies School Contact Pedagogy of Natural Science
Social Science	One plus One	M.A. Political Science (with specialisation in Developmental Studies/Political Economy/ M.A. Sociology (with specialisation in Developmental Studies/Political and Economic systems)/MA. History (with specialisation in Philosophy of Social Sciences and P.G. Degree/Research in Education M.A. Social Sciences and a Post-graduate professional degree in Education.	Integrated applications of social sciences, environmental education, multi-disciplinary perspectives on contemporary Indian issues Pedagogic studies in social sciences, creative teaching methods	Core Social Science Contemporary India Pedagogy of Environmental Studies Pedagogy of Social Science
Linguistics	One	M.A. Linguistics/M.A. English/hindi with Diploma in Linguistics and Research in language development in children/P.G. degree	Language development in children, creative language teaching.	Nature of Language Language

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

880

		in Education/Research in Education.		Acquisition
Language : Hindi or English	One	M.A. English/ Hindi and a Post-graduate professional degree in Education.	Development of curricula materials; teaching language through innovative methods; language pedagogy	Language Across the Curriculum Related Practicum Pedagogy of Language
Education	One plus One	M.A. Philosophy and Post graduate degree in Education/Professional Degree in Education M.A. Social Science/M.Sc. Science and PG Professional Degree in Education	Educational theory, philosophy and Policy Curriculum issues, Practitioners perspective of school education.	Basic Concepts in Education Child Development Curriculum Studies Curriculum Studies Relevant units of other courses School Planning and Management
Liberal Optional **(at least 4)**	Three *	Post-graduate degree in the relevant subject.	Inter-disciplinary perspectives	Liberal Optional offered
Part-time Faculty : **Theatre**	Three**	Training and Demonstrated experience in the relevant field : Theatre in Education	Capacity to use theatre for self development	Performing and Fine Arts

IndiaCode

Otherlist
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Craft **Self Development** **Physical Education**		Craft making/training Clinical/Counselling Practice/Training in groups Training and Practice in Physical Education	and in Education Skill in craft making and Capacity to train others Ability to conduct workshops in personal growth / counselling Capacity to integrate varying forms of physical movement with education	Craft, Participatory work Self Development Workshops Physical Education

* These would be from cooperating departments of an Institution

** Equivalent of one full-time faculty (these would be specialised resource personnel from outside the Institution)

8. **Other Facilities**

The institutions shall provide facilities as follows:

Physical Facilities

The physical facilities to be provided in an institution offering the B.El.Ed. can be classified under (i) Academic area, (ii) Administrative area, and (iii) Amenities area.

- Academic area will consist of Class Rooms, Curriculum Laboratory, Resource Laboratory, Conference Room, Workshop, Auditorium, Computer Room and Library.
- *Administrative area will include Principals' Room, Faculty Rooms, Central Office, Conference Room, Record Room, Computer Room and Reception Lounge.*
- *Amenities area will comprise Students' Common Room, Staff Room, Hall, Sports/Recreation Centres, Canteen, Cooperative Stores, Dispensary and Security Services.*

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

882

9. Norms for Space

Where teacher education is provided through a Department/College as an integral part of a University/Institution having several Faculties and Departments of Studies, all Central facilities/amenities are to be shared between the Department of Elementary Education and other Departments. In the case of laboratories and workshops, necessary additional provisions need be made so that the B.El.Ed. students can make use of them. Apart from the Central Library of the University/College, a Departmental Library may also be developed to cater to the special needs of the B.El.Ed. students. The Resource Laboratory should be equipped with adequate reading material alongwith other equipment needed for Pedagogy-based practicum and other School Contact Programmes. Amenities such as Auditorium, Hall, Conference Rooms, etc. could be shared with other departments.

10. Specific Insfrastructural Facilities for Students of B.El.Ed.

(a) Curriculum Laboratory : One

The curriculum laboratory shall be the lab. area for conducting hands-on experience activity. The laboratory would serve this purpose for first year courses such as craft, core mathematics, core science and partly for core social science and for third year courses in logico-mathematics education, pedagogy of environmental studies and practicum on material development.

The lab. would contain science and mathematics related material such as apparatus, chemicals, kits, maps, globes, instruments and tools like hammer, pliers, scissors and wires. There should be work tables for small group activities. The furniture should be movable to allow for work area on the floor as well. The lab should also have provision for use of an overhead projector, notice boards and blackboard for holding classes.

(b) Resources Laboratory : One

The resources lab. shall serve the purpose of a laboratory-cum-departmental library. It should have a store and access to books, curriculum materials, children's literature, textbooks, reports and documents. These materials are essentially for use for the B.El.Ed. courses of study. Materials should be available in sufficient numbers for use by students in schools as well. The Resource Laboratory may also have computer facility for use by the faculty and students. The laboratory should have sufficient space for student meetings, classes and group discussions and reading as well.

(c) Workshop Space : Two

The institution should provide separate space for conducting specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops and physical education workshops. Such space should allow for free physical movement for a batch of 35-40 students.

11. Fee Structure and Scholarship

Essential

The fee structure should be as decided by the State Govt./University from time to time. In any case, the total fees and other charges collected from students should not exceed the per pupil recurring expenditure of the institution.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

883

Desirable

Adequate free studentships may be provided for meritorious poor students. Provision for some scholarships on the basis of merit may also be made.

Nature of Employment of Staff

All staff should be appointed on full time and regular basis. Properly constituted Selection Committee will select the candidates for all positions. The salary structure of teaching staff should be as per UGC/Govt. Norms.

SCHEME FOR FOUR YEAR BACHELOR OF ELEMENTARY EDUCATION PROGRAMME (B.El.Ed.)

Annexure A

Students will be admitted to this Programme after +2

Theory			Practium			Colloquia/Project			Encrichment		
	Examination Duration	Total Marks		Contact Hours per week	Total Marks		Contact hours per week	Total Marks		Contact hours per week	Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Year I											
F1.1 Child Development	3	100	PR 1.1 per-formating & Fine Art	4	75						
F1.2 Contemporary India	3	100									
C1.1 Nature of Language	2	50	PR 1.2 Craft, Participatory Work	3	25	Colloquia Tutorial	1	50	Academic Encrichment Activities	1	
C1.2 Core Mathematics	2	50									
C1.3 Core Natural Science	2	50									
C1.4 Core Social Sciences	2	50									
		400		7	100		1	50		1	550
Year II											
F2.3 Cognition & Learning	3	100	PR2.3 Observing Children	2	75						
F2.4 Language Acquisition	2	50									
F2.5 Human Relations & Communication	2	50									
P2.1 Language Across the Curriculum	2	50	PR 2.4 Self Development workshops	3	50	Colloquia Tutorial	1	50	Academic Encrichment Activities	1	
			PR 2.5	2	25						

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

			Physical Education								
Liberal Course (Optional-I)	3	100									
02.1 English I											
02.2 Hindi I											
02.3 Maths I											
02.4 Phy. I											
02.5 Chem. I											
02.6 Bio. I											
02.7 Hist. I											
02.8 Pol. Sc. I											
02.9 Geog. I											
02.10 Eco. I		350		7	150		1	50			550

F: Foundation Course; C: Core Course: P: Pedagogy Courese; O: Optional Liberal Course; OP: Optional Pedagogy Course; OL: Optional Courses; PR: Practium; SC: School Contact Programme; SI: School Intership.

In the course nomeclature, the numeral immediately following letters (F, C, P etc.) denotes the year of the programme in which the course is to be taught. The second numeral denotes the serial number in a particular course type. For instance, F2-5 signifies that Human Relations and Communication is the 5th Foundation Course to be taught in the 2nd year of the Programme of study.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

APPENDIX -4

Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) Degree

1.0 Preamble

Teacher preparation course for secondary education, generally known as B.Ed., is a professional course that prepares teachers for upper primary/middle level (classes VI-VIII), secondary (classes IX-X) and senior secondary (classes XI-XII) levels.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

B.Ed. programme shall be of a duration of at least one academic year.

2.2 Working Days

(a) There shall be at least 180 working days exclusive of period of examination and admission etc., out of which at least 40 days shall be for practice teaching in about ten schools at upper primary/ secondary/senior secondary level.

(b) A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week, during which physical presence in the institution of teachers and student-teachers is necessary to ensure their availability for individual advice, guidance, dialogues and consultation as and when needed.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 100 students divided into two sections of 50 each for general sessions and not more than 25 students per teacher for a school subject for methods courses and other practical activities of the programme to facilitate participatory teaching and learning.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates with at least 45% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

3.2.2. The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
(सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

886

3.3 **Admission Procedure**

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1 a (i) **Number** (For a basic unit of 100 students)

Principal/Head	-	1
Lecturers	-	7

4.1 a. (ii) For additional intake will be in the multiple of 100 and the number of full time teacher educators shall be increased by seven for each increase in the basic unit. However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered.

4.1.a. (iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching all foundation and methodology courses i.e. Arts, Science and Commerce stream.

4.1.b. Qualifications

(i) **Principal/Head (in multi-faculty institution) :-**

(a) Academic and professional qualification will be as prescribed for the post of lecturer; and

(b) Five years experience of teaching in a Secondary Level Teacher Training Institution.

Note:- In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Head in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

(ii) **Lecturer** :-

Master' s Degree with M.Ed

OR

Master's Degree with B.Ed (having 55% marks)

Attested

16/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

887

Note:-

(i) Ph.D./M.Phil (preferably Ph.D. in Education/ Educational Planning and Management) shall be given special weight age.

(ii) Candidates having B.Ed degree of two years duration shall be given special weightage.

4.2 Technical Support Staff

(a) **Number**

Full time Teachers			
(i)	Art Education		In the event of inadequate work it would be permissible to appoint part time teachers against
(ii)	Health and Physical Education		
(iii)	Work Experience		
(iv)	ICT		
(v)	Librarian	-	Full Time
(vi)	Technical Assistant	-	Full Time

(b) **Qualifications**

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.3. Administrative staff

(a) **Number**

(i) Office-cum-Account Assistant	-	1 (Regular)
(ii) Office Assistant-cum Typist	-	1 (Regular)
(iii) Store-Keeper	-	1 (Regular)
(iv) Attendants/Helpers/Support staff	-	2 (Regular)

(b) **Qualifications**

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

4.4 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/Affiliating University.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned University/UGC.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

888

(d) The academic staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary in such scale of pay as may be prescribed by the UGC/University from time to time, through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the purpose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 The institution must have at least 2500 sq. mts. land whereupon built-up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 1500 sq. mts. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

Built up Area for running other courses in combination with B.Ed programme shall be as under:-

Only B.Ed.	-	1500 Sq mts.
B.Ed. plus M.Ed.	-	2000 Sq.mts.
B.Ed. plus D.Ed.	-	2500 Sq.mts.
B.Ed. plus D.Ed. and M.Ed.	-	3000 Sq.mts.

5.1.2. There shall be provision for not less than two classrooms, one multipurpose hall, three laboratories for conducting instructional activities for approved intake of 100 students, seminar/tutorial rooms, resource room for the education of children with disability, separate rooms for the Principal, for the faculty members, for the office and the administrative staff and a store. In every instructional room like classrooms, laboratories, library etc. space shall not be less than 10

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

889

IndiaCode

sq.ft. per student. One classroom shall comfortably accommodate 50 student teachers. The Multi-purpose Hall shall have a seating capacity for 150 persons. For additional intake proportional increase in the number of classrooms, tutorial rooms, etc.

5.1.3 There shall be games facilities with a playground. Alternatively, the playground available with the attached school/college may be utilized and where there is scarcity of space as in the metropolitan towns/hilly regions, facilities for yoga, small court and indoor games may be provided.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institution campus, buildings, furniture etc. should be barrier free.

5.1.6 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

5.2. Instructional

(a) The institution shall have easy access to sufficient number of recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. A list of such schools shall be prepared. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

(b) There shall be a library-cum-reading room with seating capacity for at least 25% students equipped with minimum 1000 titles and 3000 books including text and reference books relevant to the course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and minimum five journals of teacher education and subscription to five others in related disciplines. The library holdings shall be augmented with addition of 200 titles annually. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student- teachers.

(c) There shall be a science laboratory. The laboratory shall have multiple sets of science apparatus required to perform and demonstrate the experiments prescribed in the syllabus for secondary/senior secondary classes. Chemicals, etc. should be provided in the required quantity.

(d) There shall be a Psychology Laboratory with apparatus for simple experiments related to educational psychology.

(e) There shall be hardware and software facilities for language learning.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

890

(f) There shall be Educational Technology facilities with hardware and software including computers, TV, Camera.

(g) The ICT equipment like ROT (Received Only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal) etc. shall be desirable.

(h) There shall be a fully furnished work experience room.

5.3. Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.3.2. The institution shall provide *separate* common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

5.3.3. Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.3.4. Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.3.5 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

6.0 Curriculum Transaction

(A) Practical work to be performed by each student

Item	Essential (Numbers)
a) Lesson planning and teaching in real school situation	40(forty)
b) Observation of lessons taught by fellow students	20(twenty)
c) Observation of Demonstration lessons	2

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

India Code

d)	Construction of Test items/ Unit test and examination question paper in each method subject as per pattern prescribed by the State/Board of Secondary Education	1
e)	Tutorial Essay	3
f)	Preparation of teaching aid	2

(B) Supervision of Practice lesson

Out of prescribed practice teaching lessons atleast 50 percent lessons would be supervised fully by the teacher educators and feedback given to the students orally as well as comments in writing. Record of lesson planning, teaching and supervision would be maintained.

7.0 General

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same or adjacent building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared.

IndiaCode

Abstract

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

892

APPENDIX - 5

Norms and Standards for Master of Education Programme leading to Master of Education (M.Ed.) Degree

1.0 Preamble

1.1.1 The Master of Education (M.Ed.) programme, which may be general or specialized, is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in education, on full-time basis, and for preparing a professional cadre of teacher educators, educational researchers, curriculum developers, textbook writers, evaluation experts, guidance and counseling specialists etc.

1.1.2. The M.Ed. programme would comprise theoretical courses including specialized courses in the discipline of education and related practical/field work including exposure to and training in a teacher education institution. In addition, research work in the form of a dissertation would form an essential part of the programme. Depending on the actual design and declared objectives, the programme provides opportunities for students to extend as well as deepen their knowledge and understanding of Education, specialize in selected areas including Teacher Education and also acquire related research skills.

1.1.3. Only institutions running B.Ed. programme are eligible to offer M.Ed. course except University Departments which may not be directly running a B.Ed. programme.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The M.Ed. programme shall be of a duration of one academic year.

2.2 Working Days

(a) There shall be at least 180 working days exclusive of periods of examination and admission etc., for instruction, field work for dissertation and internship in a teacher education institution.

(b) A Working Day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week, during which physical presence of all teachers and student shall be ensured to facilitate individual attention, guidance, advice and counseling.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

893

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

(a) There shall be a basic unit of 25 students.

(b) Intake upto total 50 students shall be sanctioned to such proven institutions where the quality of infrastructure, both physical and human are of high degree which can be vouched.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates who have obtained at least 55% Marks in the B.Ed. degree are eligible for admission.

3.2.2 The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.a. (i) Number (For a basic unit of 25 students)

Professor/HOD	-	one
Reader	-	one
Lecturers	-	three

4.1.a. (ii) For an intake of additional unit, the faculty position shall be increased proportionately as above.

4.1.b. Qualifications

Professor/HOD

(i) As prescribed for Lecturer below with ten years of experience in teacher education institution at Post Graduate level.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

894

Note: - In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/HOD/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/HOD/Reader in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

Reader

(i) As prescribed for Lecturer below with five years of experience in teacher education institution at Post Graduate level or ten years of experience at Graduate level.

Lecturer

(i) Master's degree and M.Ed. each with minimum 50% marks

(ii) Ph.D. in any discipline.
(Ph.D. in Education/ Educational Planning & Management shall be given special weightage.)

4.2 Technical Support Staff

(i) Number:
As per the norms prescribed by the University/State Government.

4.3 Administrative staff

(i) Number:
As per the norms prescribed by the University/State Government.

4.4. Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the UGC/Affiliating University.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

(c) Appointment of part-time teachers and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned University/UGC.

(d) The academic staff of the institutions (including part-time staff) shall be paid such salary in such scale of pay as may be prescribed by the UGC/University from time to time, through account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the purpose. The supporting staff shall be paid as per the UGC/State Government/Central Government pay scale structure.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 The institution must have at least 2500 sq. mts. land whereupon built-up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 2000 sq. mts inclusive of the space meant for B.Ed Classes. Space in each instructional room shall be 10 sq.ft. per student.

Built up Area for running other courses in combination with M.Ed programme shall be as under:-

B.Ed. plus M.Ed - 2000 Sq.mts.

B.Ed. plusD.Ed. and M.Ed. - 3000 Sq.mts.

5.1.2 For an intake of 25 students, there shall be provision for at least one classroom, one hall/seminar room, laboratories for conducting instructional activities, separate rooms for the Professor/Head, for faculty members to accommodate seven to eight students, office for the administrative staff and a store.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

296

IndiaCode

5.1.3. Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.4 The institutional campus, buildings, furniture etc. should be barrier free.

5.1.5 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

5.2. Instructional

(a) There shall be a library-cum-reading room facility for at least 10 students and equipped with minimum 2000 titles including text and reference books related to all courses of study, educational encyclopedias, electronic publications (CD Roms) and minimum five professional research journals, internet connectivity. At least 100 quality books will be added in the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student teachers.

(b) There shall be a well-equipped educational technology and media laboratory, with hardware for projection and for duplication and software including TV, Camera.

(c) The ICT equipments like ROT (Received Only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal) required for imparting Information Technology (IT) literacy and for using digital resources in teacher education shall be desirable.

(d) There shall be a psychology laboratory with equipment for performing experiments as listed in the curriculum.

5.3 Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture in required number shall be provided for instructional and other purposes, including desks, chairs and tables, bookshelves, for students and teachers, in classrooms, halls, laboratories.

5.3.2 The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

5.3.3 Sufficient number of toilets, separate for men and women, shall be provided for staff and students.

5.3.4 Safe drinking water be provided in the institution.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

897

5.3.5 Arrangement shall be made for a canteen, telephone facility and parking of vehicles.

5.3.6 Effective arrangements shall be made for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities, necessary repairs and replenishment of furniture and other equipments.

6.0 Curriculum Transaction

(i) Dissertation and internship in school shall be compulsory componenet.

(ii) Each M.Ed. student will be associated with the internship programme of B.Ed. students for observation of classroom practice learning sessions.

(ii) Not more than seven students shall be assigned to a teacher educator.

(iv) Each M.Ed. student will be required to develop a research proposal as an integral research methodology course and shall be required to submit the same for formal approval under the practicum.

7.0 General

If more than one courses in teacher education are run by the same institution in the same or adjacent building, the facilities of playground, multipurpose hall, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space can be shared.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

898

Appendix – 6

Norms and Standards for Master of Education Programme (Part Time) leading to Master of Education (M.Ed.) (Part Time) Degree

1.0 Preamble

a) Master of Education (M.Ed.) (Part Time) is an in-service professional programme open to in-service teachers and educational functionaries.

b) Only University Departments of Education and Institutes of Advanced Studies in Education (IASEs) and CTEs, which run face to face M.Ed. programme, are eligible to offer M.Ed. (Part Time) programme.

2.0 Duration and Working Days

a) The M.Ed. (Part Time) Programme shall be of a duration of two academic years, each year being of 180 days with 3 hours per day in a six-day week.

3.0 Intake and Eligibility

3.1 Intake

The intake of students in one year shall not exceed 50. The basic unit shall be of 25 students.

3.2 Eligibility

Teachers and educational administrators and other functionaries connected with administration, research, curriculum material development, policy making, teacher education etc. with atleast two years of service are eligible for admission.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

3.3 Admission Procedure

On the basis of marks obtained in B.Ed. and/or in an entrance test or as per the policy of the University.

4.0 Staff

5.0 Infrastructural Facilities

Norms in respect of these aspects as prescribed for the full time M.Ed. Programme shall apply mutatis mutandis for M.Ed. (Part time) programme as well.

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

900

Appendix-7

Norms and Standards for Certificate in Physical Education Programme leading to Certificate in Physical Education (C.P.Ed.)

1.0 Preamble

The Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) programme is meant for preparing teachers in Physical Education for elementary schools (Primary and Upper Primary/Middle).

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The Certificate in Physical Education programme shall be of a duration of two academic years.

2.2 Working Days

There shall be at least 180 working days exclusive of period of admission and examination and each working day being of 6 hours in a 6-day week.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 50 students, for each year.

3.2 Eligibility

(a) Candidates who have passed the senior secondary examination (+2) or its equivalent and have participated in sports/games at least school/college/district level are eligible for admission

(b) Additional weightage to be given to those candidates who participated in State/National Level sports/games.

(c) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance examination (written test, sports proficiency test, physical fitness test, interview and marks obtained in qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the State Government.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1(a) (i) **Number** (For a basic unit of 50 students or less with combined strength of 100 or less for the 2 year course)

Principal /Head	– 1
Lecturer	– 6

4.1.1(a)(ii) For additional intake which will be in the multiple of 50 students, the number of full time teacher educators shall be increased by four per additional unit. (Teacher Students Ratio – 1:12). However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered

4.1.1(a)(iii) Appointment of teachers shall be so distributed as to ensure the required nature and level of expertise for teaching courses/subjects and activities related to physical education.

4.1.1(b) **Qualifications:**

Principal: -

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.

(ii) At least Five years experience as Lecturer in a physical education training institution.

Head:-

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.

(ii) At least three years experience as Lecturer in a physical education training institution

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

402

Lecturer :-

M.P.Ed.

OR

B.P.Ed with 3 years' experience as Physical Instructor or any other nomenclature at school level in recognized elementary school.

OR

C.P.Ed with 5 years' experience as Physical Instructor or any other nomenclature at school level in recognized elementary school.

4.1.2 Technical Support Staff

(a) Number

Librarian	– One (Regular)
Coaches for specializations Offered	– Number as needed (Part time)
Medical Officer	– Part time (One)
Ground Men/Markers/Helpers	– Regular (Two
Aerobic Teacher	– Part time
Music	– Part time
ICT	– Part time

(b) Qualifications –

As prescribed by concerned State Government/UT Administration.

4.1.3 Administrative Staff

(a) Number

(i)	Office-cum-Accounts Assistant	– 1 (Regular)
(ii)	Office Assistant-cum Typist	– 1 (Regular)
(iii)	Store Keeper	– 1 (Regular)
(iv)	Helpers/attendants	– 2 (Regular)
(v)	Technical Assistant (Computer)	– 1 (Regular)

(b) Qualifications –

As prescribed by concerned State Government/UT Administration.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

403

IndiaCode

4.2.1 Terms and Conditions of Service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/ Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time coaches and other supporting staff can be made as per norms of the Government/Board.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/Board by account payee cheque or as per Advice into the bank account of employee specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 There shall be provision of two class rooms per unit intake, one multi-purpose hall, one multi-purpose laboratory, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the principal, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like classrooms, laboratory, library etc. space shall not be less than 10 sq.ft. per student. Multi-Purpose Hall shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.2 There shall be a multi-purpose field for outdoor sports, at least 200 meter track and a hall for gymnastic and indoor

4939 GI/07—20

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54.

games and sports. In hilly regions, where availability of open space is constrained, it can be shared with other institution.

5.1.3 To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession a minimum of 5 acre of land/land and building either on ownership basis or on lease for as per the relevant regulations.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 The institutional campus, building, furniture etc. should be disabled-friendly.

5.1.6 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

5.2 Instructional

5.2.1 The institution must have at least 5 acres of land which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games & sports. Built up area consisting of class rooms etc. shall not be less than 12000 sq. ft. This must be ensured even in Hilly Regions where the total land may be less than the required 5 acres.

Note: The existing recognized institutions will have to upgrade the infrastructural requirement as per present norms before 1st April, 2010.

5.2.2 There shall be a library equipped with minimum 2000 titles and reference books related to the prescribed courses of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD-ROMs) and at least five journals on physical education and related subjects. The library shall have photocopying facility and Computer with Internet facility for the use of faculty and students teachers.

5.2.3 Laboratories

***5.2.3.1* Education Technology lab equipment**

Hardware for projection and duplication and educational Software required for imparting ICT literacy including the following:

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली--54

905

Public Address System, Tape Recorder, T.V. Set, LCD Projector, One Epidiascope, Display Boards (three) and Movie Camera.

5.2.3.2 Anatomy, Physiology and Health Education Laboratory

- Human Skeleton - 1
- A lever weighing machine - 1
- An anthropometric Kit - 1
- Growth charts and body system charts - 10
- Desirable weight and height tables - 2
- Skinfold calipers - 2
- Spirometer - 2
- Haemoglobino meter - 1
- Sports-Psychology lab with some tests and apparatus

5.3 Sports Equipments

5.3.1 Athletic

- Hurdles - 30
- Starting Clapper - 2
- Measuring tape (steel) 15 Meter - 1
- Measuring tape (steel) 30 Meter - 1
- Measuring tape (steel) 50 Meter - 1
- Wire for marking the track (100 Meter) - 1
- Stop watches - 8
- Starting block - 8
- High jump stands - 1 pair
- Cross Bar (High Jump) - 6
- Discus-Men & Women - 6 each
- Hammers 4 Kg., 5 Kg. - 2 each
- Stop boards - 2
- Mattress - 6
- Stands for judges at finish - 2
- Flag pole - 20
- Javelin Men & Women (including two aluminum) - 6
- Take off board - 2

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Q06

IndiaCode

5.3.2 Games

➢ The basketball board and rings	- 1 (full set), balls-12
➢ Basket net	- 6 pairs
➢ Volleyball posts	- 4, balls-12
➢ Equipment for cricket, softball,	- 2throw ball (Sets each)
➢ Table tennis 2 set table	- 5 dozen balls and 6- bat.
➢ Football goal posts with net	- 2 pairs, 12 balls
➢ Posts with flags	- 4 No.
➢ Hand ball posts	- 2 pairs, balls-6
➢ Net	- 2 pairs
➢ Badminton posts	- 4
➢ Badminton Rackets	- 24
➢ Badminton Shuttle Cock	- 10 Barrels
➢ Hockey goal posts with nets	- 1 pair
➢ Hockey sticks and balls	- 3 dozen,
➢ Kho-Kho Poles	- 2 set

5.3.3 Equipment for indigenous activities

➢ Lezium	- 50 No.
➢ Dumbbells	- 50 pairs
➢ Indian Clubs	- 50 pairs
➢ Flags, hoops rings and light apparatus for physical activities demonstration	- 50 each

5.3.4 Gymnastic Equipments

➢ Beat Board	- 2
➢ Parallel bars	- 1 Set
➢ Horizontal bar	- 1 Set
➢ Climbing ropes	- 6
➢ Mats	- 1 doz. coir+1 doz rubber
➢ Balance beams (adjustable sets)	- 1 Set
➢ Vaulting Table	- 1
➢ Weightlifting set/power lifting set	- 1

5.4 Cultural Activities

Suitable and adequate instruments, as and when needed for various activities shall be provided.

5.5 Miscellaneous

Other equipment required for major games, minor games, recreational games, relays and combative games.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

907

IndiaCode

5.6 **Amenities**

5.6.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.6.2. The institution shall provide *separate* common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

5.6.3. Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.6.4. Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.6.5 Safe drinking water be provided in the institution

5.6.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipments.

6.0 **General**

In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

908

Appendix-8

Norms and Standards for Bachelor of Physical Education Programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) Degree

1.0 Preamble

The Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) programme is meant for preparing trained graduate teachers in Physical Education for Secondary/Senior Secondary Schools.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The B.P.Ed. Programme shall be of a duration of one academic year or of two Semesters.

2.2 Working Days

There shall be at least 180 working days exclusive of period of examination and admission etc A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

3.1.1 There shall be a basic unit of 50 students.

3.2 Eligibility

3.2.1 Graduates in Physical Education with 40% marks.

OR

Graduate with physical education as an elective subject with 40% marks.

OR

Graduate having participated in National/State/Inter-University sports/games/athletics/SGFI.

OR

Any Graduate who participated School, Inter collegiate in Sports/Games OR passed NCC 'C' Certificate.

OR

For Deputed/In service candidates (trained Physical Education teachers/ coaches) Graduate with 40% marks.

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

909

IndiaCode

The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

3.3 **Admission Procedure**

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance test (written test, sports proficiency test, physical fitness test and marks obtained in the qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the University/ State Government with due weightage for physical fitness/ proficiency, as per the policy of the University/State Government.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.a(i) **Number** (For a basic unit of 50 students)

Principal/Head	- 1
Lectures	- 5

4.1.a(ii) For an additional intake of 50 students or part there of, the number of full time teacher educators shall be increased by four per additional unit (1:12). However on each occasion additional intake of one basic unit shall be considered

4.1.a(iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching courses/subjects and activities related to physical education.

4.1.b **Qualifications**

Principal

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer

(ii) 10 years' experience of teaching including five years' teaching in physical education trainjng institution.

Head

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer

(ii) 7 years' experience of teaching including five years' teaching in physical education training institution.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

910

Note:-

(i) PhD (Physical Education) or equivalent published work shall be given special weightage.

(ii) In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Principal/Head in Physical Education on contract basis for a period non exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

Lecturer

M.P.Ed.

OR

B.P.Ed with 5 years' in physical education training institution.

4.1.c Technical Support Staffs

(a)	Coaches for activities	- Number as needed (Part-time)
	Librarian	- One (Regular)
	Medical Officer	- Part time (One)
	Ground Men/markers/Helpers	- Regular (Two)
	Aerobic Teacher	- Part time (One)
	Music	- Part time (One)
	ICT	- Part time (One)

(B) **Qualifications**

As prescribed by concerned State Government, affiliating University/UGC.

4.1.d Administrative Staff

		Number
(i)	Office-cum-Accounts Assistant	- 1 (Regular)
(ii)	Office Assistant-cum Typist	- 1 (Regular)
(iii)	Store-Keeper	- 1 (Regular)
(iv)	Helpers/attendants	- 1 (Regular)
(v)	Technical Assistant (Computer)	- 1 (Regular)

4.1.e Qualifications

As prescribed by concerned State Govt./affiliating University/UGC.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

911

IndiaCode

4.2 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committees constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University/Board whichever is applicable.

(b) All appointments shall be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time coaches and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institutions including part-time staff shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or as per Advice into the Bank account of employee, especially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 There shall be provision for two classrooms, one multi-purpose hall, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Principal and faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratories, libraries etc. spaces shall not be less than 10 sq. ft. per student. Multi-purpose Hall, shall have the seating capacity for 150 persons.

5.1.2 There shall be a multi-purpose play field for outdoor sports, a 400 meter track, gymnasium and a hall for indoor games and sports. In metropolitan towns/hilly regions, where availability of open space is constrained, it can be shared with other institution.

5.1.3 To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession a minimum of 8

4939 GI/07—21

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

912

acres of land/land and building free from all encumbrances as per the relevant regulations.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

Note: The existing recognized institutions will have to upgrade the infrastructural requirement as per present norms before 1st April, 2010.

5.2 **Instructional**

5.2.1 The institution must have at least 8 acres of land which shall provide enough space for institutional building and open space for organizing games & sports keeping in view future expansion. Built up area consisting of class rooms etc. shall not be less than 12000 sq.ft. This must be ensured even in Hilly Regions where the total land may be less than the required 8 acres.

5.2.2 The institution shall have easy access to sufficient number (5-10) recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. A list of such schools should be prepared. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

5.2.3 There shall be a library-cum-reading room, equipped with minimum 2000 titles and reference books related to the prescribed course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and minimum five journals on physical education and related subjects. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student- teachers.

5.2.4 The institution shall have equipments & facilities for indoor sports, outdoor sports and physical activities, sports medicine laboratory, Educational Technology laboratory, Sports Psychology laboratory, Anatomy, Physiology and Health Education laboratory, Athletics, Sports and field equipment for athletics and games as prescribed by concerned University and suggested below.

5.2.4.1 **Laboratories**

Sports Medicine Lab equipment:- Diagnostic table, Infra-red lamp, Sterilizing unit, First Aid box, B.P. apparatus, Stethoscope, Goniometer, Stopwatch, Oral thermometer,

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

913

Icebox, Vibrators-2, Exerciser (bicycle), Ultrasound therapy unit, Shortwave therapy unit, Wheel chair, a pair of Crutches, Weighing machine, Electronic bicycle ergometer (for measuring oxygen uptake capacity), peakflow meter, Dry spirometer.

5.2.4.2 **Education Technology lab equipment**

Hardware for projection and duplication and educational Software including the following:

Public address system, Slide projection, Tape recorder, T.V. Set, Overhead projector, Display Boards (three) and Video cassette recorder, Vide Cameras, One Cinematic projector, Movie Camera.

5.2.4.3 **Anatomy, Physiology and Health Education Laboratory**

Essential :-

- Human Skeleton - 1
- A lever weighing machine - 1
- An anthropometric kit - 1 Set
- Body System Charts and Growth Charts - At least 10
- Desirable weight and height tables - 2
- Skinfold calipers - 2
- Respirometer - 2
- Haemoglobino meter - 1
- Vision Test (Snellon's) - 1
- Models

5.2.4.4 **Desirable: Sports Psychology laboratory**

- At least 10 psychological tests and instruments for testing psychological characteristics. (With rating scales and manuals).

5.2.5 **Sports and field equipment**

5.2.5.1 **Athletics**

- Hurdles - 30
- Starting Clapper - 2
- Measuring tape (steel) 15 meter - 1
- Measuring tape (steel) 30 meter - 2
- Measuring tape (steel) 50 meter - 1
- Measuring tape (steel) 100 meter - 1
- Wire for marking the track (50 meter) - 1

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

914

Stop watches	- 6
Starting block	- 6
High jump stands (one pair & six cross bars)	- 1 pair
Vaulting box	- 1
Discuss – Men & Women	- 12 each
Shotput – Men & Women	- 6 each
Hammers (for men & women)	- 6
Stop board	- 2
Stands, for judges at finish	- 2
Flag pole	- 6
Javelin – Men & Women (including two aluminum)	- 6 each
Take off board	- 2
Mattress	- 10
Weight Training Set (Mats)	- 1
Landing for High Jump	- 1

5.2.5.2 Games

Badminton posts	- 2 set
Badminton net	- 6
Shuttle Cock	- 10 barrels
Basketball Stand and board	- 2 set
Basketball balls	- 1 dozen
Basketball net	- 4 pairs
Cricket batting pad	- 3 sets
Cricket Batting Gloves	- 3 sets
Abdominal Guard	- 3
Helmet	- 3
Wicket Keeping Gloves	- 2 pairs
Wicket Keepers leg guard	- 2 pairs
Stumps	- 12 nos.
Bails	- 10 nos.
Ball	- 10 dozens
Football post	- 2 set,
Football balls	- 1 dozen
Football Net	- 4 sets
Posts with flags	- 8
Gymnastics Apparatus (Men)	- 1 set
Beat Board	- 2
Parallel Bar	- 1
Horizontal Bar	- 1 set
Roman Rings	- 1 pair
Pummeled Horse	- 1
Gymnastics Apparatus (Women)	- 1 set
Uneven Bar	- 1 set
Balance Beam (Adjustable)	- 1

IndiaCode

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

95

- Gymnastics Mattresses - 24
- Handball posts - 2 set
- Handball - Balls - 1 dozen
- Handball - Net - 4 pairs
- Hockey posts - 2 set
- Hockey- balls - 10 doz.
- Hockey Stick - 30
- Hockey Goal keeping kit - 1
- Kho-Kho Pole - 2 set
- Lawn Tennis Posts - 2
- Balls - 10 dozens
- Softball clubs - 6
- Balls - 1 dozen
- Table Tennis table - 4
- Racket - 12
- Balls - 10 dozen
- Volleyball Posts - 2 set
- Balls - 20
- Net - 4
- Antenna - 4
- Weight Training Rods - 10
- Weight Plates 2.5 Kg.,5 Kg.,10 Kg.,15 Kg.,20 Kg. - 10 each
- Collars - 20
- Benches - 4
- Weight stand - 2
- One Multi-gym or separate station wise (at least 10 station)

5.2.5.3 **Equipment for indigenous activities**

- Lezium - 50 pair
- Dumbles - 50 pairs
- Indian Clubs - 50 pairs
- Flags, hoops, and light apparatus for physical activities
- Demonstration/Display
- Equipment for marshal arts

5.2.5.4 **Gymnastic Apparatus**

- Parallel bars - 1 set
- Uneven parallel bars - 1 set
- Horizontal bar - 1 set
- Two roman rings - 1 set
- Climbing ropes (Manila) - 6
- Mats - 12 rubber, 12 coir
- Balance beam (adjustable sets) - 1 set
- One Pummeled Horse - 1 set
- Multigym (12 stationed) - 1 set

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

916

IndiaCode

➢ Vaulting Table	- 1 set
➢ Beat board	- 2 nos.
➢ Crash mats	- 1

5.2.6 Cultural activities

Suitable and adequate instruments should be provided as and when needed for various activities.

5.2.7 Miscellaneous

Other equipment required for minor games, recreational games, relays and combatives.

5.3 Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.3.2 The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

5.3.3 Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.3.4 Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.3.5 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

6.0 General

In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory with proportionate addition of books, equipments and instructional space may be shared.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

917

Appendix-9

Norms and Standards for Master of Physical Education Programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed.)Degree

1.0 Preamble

a) The Master of Physical Education (M.P.Ed./MPE) programme is meant for candidates desirous of pursuing post-graduate programme in physical education, and for preparing a professional cadre of physical education teachers at the senior secondary level as well teacher educators in Colleges of Physical Education and University Departments of Physical Education.

b) Only University Departments or institutions offering BPED (Integrated)/B.P.Ed. Programme are eligible to offer M.PEd Course.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The M.P.Ed. programme shall be of a duration of two academic years or Four Semesters.

2.2 Working Days

There shall be at least 180 working days in each academic year/90 working days in each Semester exclusive of period of examination and admission etc., and each working day being of 6 hours in a 6-day week.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 30 students for each year.

3.2 Eligibility

(a) Candidates who have obtained at least 50% marks in the B.P.Ed. degree/B.P.Ed (Integrated) 4 years professional degree are eligible for admission.

(b) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government,

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

IndiaCode

whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

3.3. Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance examination (written test, fitness test, interview and percentage in qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the State Government/University.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.1 ***Number*** *(For a basic unit of 30 students or less with combined strength of 60 or less for the 2 year course.)*

Professor	- 1
Reader (2)/Lecturers (3)	-5

4.1.2 For an intake of additional number of 10 students, one additional lecturer shall be appointed.

Qualifications

(a) Professor

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.

(ii) At least ten years experience in M.P.Ed. training college.

(b) Reader

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer.

(ii) At least five years experience in M.P.Ed. training college.

Note :-

(i) In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Readers in Education on contract basis for a period not exceeding one year at

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

919

IndiaCode

a time till such time the candidates complete 65 years of post-retirement contract service.

(c) **Lecturer**

(i) M.P.Ed.
(ii) Ph.D. in Physical Education

4.1.3 Technical Support Staff

In addition to the staff required for B.P.Ed., the following staff will be required.

Number

(iv) Technical Assistants - Two (Regular)
(v) Helpers - One (Regular)

Qualifications

As per the norms prescribed by the concerned affiliating University/ State Government/UGC.

4.2 Terms and conditions of service :

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/ concerned State Government/Affiliating University whichever is applicable.

(b) All appointments except those specified as part-time are to be made on full-time and regular basis.

(c) Appointment of Technical & Administrative staff can be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institution (including part-time staff) shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or by advice into the Bank account of employees opened specially for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

4939 GI/07—22

920

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5.0 Facilities

5.1 Infrastructure

5.1.1 There shall be provision for two classrooms to accommodate 30 students each and one multi-purpose hall to accommodate 100 persons, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Professor/Head, faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratory, library etc. spaces shall not be less than 10 sq.ft. per student.

5.1.2 There shall be a multi-purpose hall/gymnasium for indoor sports and facilities for outdoor sports.

5.1.3 To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession 8 acres of land/ land and building either on ownership basis or on lease as per the provisions of the prevalent Regulations

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

Note: The existing recognized institutions will have to upgrade the infrastructural requirement as per present norms before 1st April, 2010.

5.2 Instructional

5.2.1 The institution must have at least 8 acres of land which shall provide enough space for institutional building and for future expansion and open space for organizing games & sports. Built up area consisting of classrooms etc. shall not be less than 12000 sq. ft. This must be ensured even Hilly Regions where the total land may be less than the required 8 acres.

5.2.2 The size of instructional spaces shall not be less than10 sq. ft. per student.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

921

5.2.3 There shall be a library with reading rooms facility and equipped with minimum 2000 titles and reference books related to all specializations and courses, educational encyclopedias, electronic publications (CD Roms) and at least 5 journals, internet connectivity. At least 100 quality books will be added in the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the used of faculty and students teachers.

5.2.4 There shall be adequate equipments for various indoor and outdoor sports and games.

5.2.5 Laboratories for conducting instructional activities for approved intake of 60 students (two years),

5.2.5.1 There shall be a Health Education, Physiotherapy and Sports Medicine laboratory with the following equipments:

(i) A standard weighing machine
(ii) An anthropometer/height stand
(iii) Desirable weight and height tables.
(iv) Infrared Lamp
(v) Ultraviolet lamp
(vi) Short Wave diathermy
(vii) Motorized tread mill
(viii) Bicycle Ergometer
(ix) B.P. Apparatus
(x) Harward step test equipment

5.2.5.2 There shall be a Psychology Laboratory with at least 10 apparatuses for simple experiments related to educational and sports psychology.

5.2.5.3 There shall be Anatomy and Physiology Laboratory with the following equipment.

(i) Human Skeleton –1
(ii) Metronomes – 1
(iii) Models and charts of various body systems– At least 10
(iv) Stopwatches-5
(v) Spirometers-2
(vi) Electronic barometer - 1
(vii) Weighing machines-2
(viii) Peak flow meter – 2
(ix) Goniometer – 2
(x) Dynamometers (hand, leg back) – 1 each

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

Q22

5.2.5.4 There shall be an Education Technology and media laboratory with hardware for projection and duplication and educational software required for I.C.T. laboratory including T.V., Camera.

6.0 Amenities

6.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

6.2 The institution shall provide separate common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

6.3 Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

6.4 Arrangement may be made for parking of vehicles.

6.5 Safe drinking water be provided in the institution.

6.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

7.0 General

In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory (with proportionate addition of books and equipments) and instructional space may be shared.

IndiaCode

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

923

Appendix-10

Norms and Standards for Bachelor of Physical Education Four Years B.P.Ed. Programme (Integrated)

1.0 Preamble

The Bachelor of Physical Education Four Years B.P.Ed. programme (Integrated) is primarily meant for preparing professional Physical Education Teachers for Secondary and Senior Secondary Schools.

2.0 Duration and working days

2.1 Duration

The B.P.Ed. (Four years Integrated) Programme shall be of four academic years.

2.2 Working Days

There shall be at least 180 working days per year exclusive of period of examination and admission etc A working day shall be of a minimum of 6 hours in a six-day week.

3.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

3.1 Intake

3.1.1 For effective curriculum transaction and ensuring optimum utilization of physical and instructional infrastructure and expertise of teaching staff, there shall be a basic unit of 50 students.

3.2 Eligibility

3.2.1 Candidates with at least 45% marks in the senior secondary examination (+2) or its equivalent, are eligible for admission. For those who have participated in State or National or Inter-university level in games/sports, the minimum percentage of marks in the Senior Secondary Examination (+2) shall be at least 40%.

3.2.2 The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

924

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the entrance test (written test, sports proficiency test, physical fitness test and marks obtained in the qualifying examination) or any other selection process as per the policy of the University/ State Government.

4.0 Staff

4.1 Academic

4.1.a(i) **Number** (For a basic unit of 50 students)

Principal/Head	- 1
Lectures	- 5

4.1.a(ii) For an intake of additional number of 50 students or part there of, the number of full time teacher educators shall be increased by four per additional unit (1:12).

4.1.a(iii) Appointment of teachers shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching courses/subjects and activities related to physical education.

4.1.b Qualifications

Principal –

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer

(ii) 10 years' experience of teaching including five years' teaching in physical education training institution.

Head:-

(i) Academic and Professional Qualifications will be as prescribed for the post of lecturer

(ii) 7 years' experience of teaching including five years' teaching in physical education training institution.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

925

Note:-

(i) PhD (Physical Education) or equivalent published work shall be given special weightage.

(ii) In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Principal/Head in Physical Education on contract basis for a period non exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of post-retirement contract service.

Lecturer :-

M.P.Ed.

OR

B.P.Ed with 5 years' in physical education training institution.

4.1.c Technical Support Staffs

(a)

Teachers/Coaches for activities	- Number as needed (Part-time)
Librarian	- One (Regular)
Medical Officer	- Part time (One)
Ground Men/markers/Helpers	- Regular (Two)
Aerobic Teacher	- Part time (One)
Fitness Expert	- Part time (One)
Music	- Part time (One)
ICT	- *Part time (One)*

(b) **Qualifications**

As prescribed by concerned State Government, affiliating University/UGC.

4.1.d Administrative Staff

		Number
(i)	Office-cum-Accounts Assistant	- 1 (Regular)
(ii)	Office Assistant-cum Typist	- 1 (Regular)
(iii)	Lab Assistant	- 1 (Regular)
(iii)	Store-Keeper	- 1 (Regular)
(iv)	Helpers/Attendants	- 1 (Regular)
(v)	Technical Assistant (Computer)	- 1 (Regular)

4.1(e) Qualifications

As prescribed by concerned State Govt./affiliating University/UGC.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

926

IndiaCode

4.2 *Terms and conditions of service*

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committees constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Affiliating University/Board whichever is applicable.

(b) All appointments shall be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time teachers and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government/University/UGC.

(d) The academic and other staff of the institutions including part-time staff shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government/University from time to time by account payee cheque or as per Advice into the Bank account of employee, especially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government/University.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

5.0 *Facilities*

5.1 *Infrastructure*

5.1.1 There shall be provision for two classrooms, one multi-purpose hall, seminar/tutorial rooms, separate rooms for the Principal and faculty members, office for the administrative staff and a store. For every instructional room like class room, laboratories, libraries etc. spaces shall not be less than 10 sq. ft. per student. Multi-purpose Hall, shall have the seating capacity for 150 persons.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

927

5.1.2 There shall be a multi-purpose play field for outdoor sports, a 400 meter track, gymnasium and a hall for indoor games and sports. In hilly regions, where availability of open space is constrained, it can be shared with other institution.

5.1.3 To provide these facilities, the Management/Institution shall at the time of making application, have in its possession a minimum of 8 acres of land/land and building free from all encumbrances as per the relevant regulations.

5.1.4 Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

5.1.5 Hostel for boys and girls separately and some residential quarters are desirable.

5.2 Instructional

5.2.1 The institution must have at least 8 acres of land which shall provide enough space for institutional building and open space for organizing games & sports keeping in view future expansion. Built up area consisting of class rooms etc. shall not be less than 12000 sq.ft. This must be ensured even in Hilly Regions where the total land may be less than the required 8 acres.

5.2.2 The institution shall have easy access to sufficient number (5-10) recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. A list of such schools should be prepared. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

5.2.3 There shall be a library-cum-reading room, equipped with minimum 2000 titles and reference books related to the prescribed course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD Roms) and minimum five journals on physical education and related subjects. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student- teachers.

5.2.4 The institution shall have equipments & facilities for indoor sports, outdoor sports and physical activities, sports medicine laboratory, Educational Technology laboratory, Sports Psychology laboratory, Anatomy, Physiology and Health Education laboratory as suggested below.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

4939 GI/07—23

928

5.2.4.1 Laboratories

Sports Medicine Lab equipment:- Diagnostic table, Infra-red lamp, Sterilizing unit, First Aid box, B.P. apparatus, Stethoscope, Goniometer, Stopwatch, Oral thermometer, Icebox, Vibrators-2, Exerciser (bicycle), Ultrasound therapy unit, Shortwave therapy unit, Wheel chair, a pair of Crutches, Weighing machine, Electronic bicycle ergometer (for measuring oxygen uptake capacity), peakflow meter, Wax Bath, Dry spirometer.

5.2.4.2 Education Technology lab equipment

Hardware for projection and duplication and educational Software including the following:

Public address system, Slide projection, Tape recorder, T.V. Set, Overhead projector, one Epidiascope, Display Boards (three) and Video cassette recorder, Video Camera, One Cinematic projector, Movie Camera.

5.2.4.3 Anatomy, Physiology and Health Education Laboratory

Essential :-

- Human Skeleton - 1
- A lever weighing machine - 1
- An anthropometric kit - 1 Set
- Body System Charts and Growth Charts - At least 10
- Models of Body organs and systems - 1 set each
- Sphygmomanometer - 6
- Desirable weight and height tables - 2
- Skinfold calipers - 2
- Respirometer -2
- Haemoglobino meter - 1
- Vision Test (Snellon's) - 1

5.2.4.4 Sports Psychology laboratory

- Different Verbal and non-verbal tests to measure I.Q., E.Q., Personality, Motivation, Attitudes, Anxiety, Interests and Stress.

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

929

IndiaCode

- Different equipment to measure – Reaction Time, Maze learning, Depth Perception, Eye-Hand Coordination and Pain Tolerance.

Note: A maximum variation of 10% in apparatus/equipment may be tolerated keeping serviceability and administrative consideration in mind.

5.2.5 Sports and field equipment

5.2.5.1 Athletics

- Hurdles - 30
- Starting Clapper - 2
- Measuring tape (steel) 15 meter - 1
- Measuring tape (steel) 30 meter - 2
- Measuring tape (steel) 50 meter - 1
- Measuring tape (steel) 100 meter - 1
- Wire for marking the track (50 meter) - 1
- Stop watches - 6
- Starting block - 6
- High jump stands (one pair & six cross bars) - 1 pair
- Vaulting box - 1
- Discuss – Men & Women - 6 each
- Shotput – Men & Women - 6 each
- Hammers (for men & women) - 3 each
- Stop board - 2
- Stands, for judges at finish - 2
- Flag pole - 6
- Javelin – Men & Women (including two aluminum) - 6 each
- Take off board - 2
- Mattress - 10
- Weight Training Set (Mats) - 1
- Landing for High Jump - 1

5.2.5.2 Games

- Badminton posts - 2 set
- Badminton net - 6
- Shuttle Cock - 10 barrels
- Basketball Stand and board - 2 set
- Basketball balls - 1 dozen
- Basketball net - 4 pairs
- Cricket batting pad - 3 sets
- Cricket Batting Gloves - 3 sets
- Abdominal Guard - 3
- Helmet - 3

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

930

IndiaCode

➢ Wicket Keeping Gloves	- 2 pairs
➢ Wicket Keepers leg guard	- 2 pairs
➢ Stumps	- 12 nos.
➢ Bails	- 10 nos.
➢ Ball	- 10 dozens
➢ Football post	- 2 set,
➢ Football balls	- 1 dozen
➢ Football Net	- 4 sets
➢ Posts with flags	- 8
➢ Gymnastics Apparatus (Men)	- 1 set
➢ Vaulting Table/Horse	- 1
➢ Beat Board	- 2
➢ Parallel Bar	- 1
➢ Horizontal Bar	- 1 set
➢ Roman Rings	- 1 pair
➢ Pummeled Horse	- 1
➢ Gymnastics Apparatus (Women)	- 1 set
➢ Uneven Bar	- 1 set
➢ Balance Beam (Adjustable)	- 1
➢ Gymnastics Mattresses	- 24
➢ Handball posts	- 2 set
➢ Handball - Balls	- 1 dozen
➢ Handball - Net	- 4 pairs
➢ Hockey posts	- 2 set
➢ Hockey- balls	- 10 doz.
➢ Hockey Stick	- 30
➢ Hockey Goal keeping kit	- 1
➢ Kho-Kho Pole	- 2 set
➢ Lawn Tennis Posts	- 2
➢ Balls	- 10 dozens
➢ *Softball clubs*	- *6*
➢ *Balls*	- *1 dozen*
➢ *Table Tennis table*	- *4*
➢ *Racket*	- *12*
➢ *Balls*	- *10 dozen*
➢ *Volleyball Posts*	- *2 set*
➢ *Balls*	- *20*
➢ *Net*	- *4*
➢ *Antenna*	- *4*
➢ *Weight Training Rods*	- *10*
➢ *Weight Plates 2.5 Kg., 5 Kg., 10 Kg., 15 Kg., 20 Kg.*	-10each
➢ *Collars*	- *20*
➢ *Benches*	- *4*
➢ *Weight stand*	- *2*
➢ *One Multi-gym or separate station wise (at least 10* station)	

IndiaCode

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-5

931

5.2.5.3 Equipment for indigenous activities/Mass Demonstration

- Lezium - 50 pair
- Dumbbells - 50 pairs
- Indian Clubs - 50 pairs
- Flags, hoops, Wands, Balls, Umbrella, Skipping Ropes etc. Physical Activities/Demonstration/ Display - 50 each
- Equipment for marshal arts

Note: A maximum variation of 10% in items/equipment may be tolerated keeping serviceability and administrative consideration in mind.

5.2.6 Cultural activities

Suitable and adequate instruments should be provided as and when needed for various activities.

5.2.7 Miscellaneous

Other equipment required for minor games, recreational games, relays and combatives.

5.3 Amenities

5.3.1 Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

5.3.2. The institution shall provide *separate* common rooms for male and female teacher educators/students-teachers.

5.3.3. Sufficient number of toilets, separate for male and female, shall be made available for staff and students.

5.3.4. Arrangement may be made for parking of vehicles.

5.3.5 Safe drinking water be provided in the institution.

5.3.6 Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

932

6.0 General

In case, one or more courses in teacher education are run by the same institution in the same building, the facilities of multipurpose hall, playground, library and laboratory with proportionate addition of books, equipments and instructional space may be shared.

IndiaCode

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

933

ANNEXURE 11

Norms and Standards for Elementary Teacher Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in Education (D.Ed)

1. PREAMBLE

The elementary teacher education programme through Open and Distance Learning System is intended primarily for upgrading the professional competence of working teachers in the elementary schools (primary and upper primary/middle). It also envisages bringing into its fold those teachers who have entered the profession without formal teacher training.

1.1 The NCTE accepts open and distance learning (ODL) system as a useful and viable mode for the training of teachers presently serving in the elementary schools. This mode is useful for providing additional education support to the teachers and several other educational functionaries working in the school system.

2. DURATION

The duration for the completion of Diploma in Education (D.Ed.) course through distance mode will be a minimum of two years and a maximum of four years. In each year, two Contact Programmes (CP) shall be conducted for a duration of one month, ensuring 180 hours of interaction (6hours of interactive sessions and practical work each day). The contact programmes shall consist of course transaction in theory, micro level simulated skill acquisition sessions, community-based practicum, field experiences and closely supported intensive teaching sessions.

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

934

IndiaCode

3. INTAKE, ELIGIBILITY AND ADMISSION PROCEDURE

3.1 INTAKE

There shall be intake of hundred per study center.

3.2 ELIGIBILITY

Those untrained teachers who have passed class XII Examination or its equivalent examination and also put in two years of teaching experience at the elementary stage or in the elementary session of a recognized secondary school shall be eligible for admission.

3.2 ADMISSION PROCEDURE

3.3.1 The State Government shall develop a suitable procedure for the selection of candidates.

3.3.2 The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

4. FACULTY AT THE HEADQUARTERS AND STUDY CENTRE LEVEL

4.1 The details of staff at the Headquarters of the Institution conducting the programme and for the study center shall be as under:

- Director/Head/Principal - 01
- Reader/Senior lecturer - 02
- Lecturer - 05

The Headquarter of D.Ed.(DE) shall be located either at a national /State Open University or Directorate of Distance Education of conventional universities, SCERT or any state level apex organization working for the upgradation of elementary

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

935

education. The HQ of the concerned institution shall establish a number of Study Centres at the level of DIETs/BTIs/Higher Secondary Schools etc. for arranging contact programmes and other need-based counseling services to be rendered to the trainees.

4.2 The details of staff required at a Study Centre level shall be as follows:

- Coordinator - 01
- Assistant Coordinator - 01
- Part time Academic counsellors - Resource persons to be engaged as per need of the programme which may preferably be in the ratio of 1:50

5. QUALIFICATIONS OF TEACHING AND ADMINISTRATIVE STAFF

5.1 Teaching Staff

(a) **Director/Head/Principal**

(i) Academic and professional qualifications shall be as prescribed for the post of a Lecturer.

(ii) At least five year's teaching experience at Elementary Teacher Education Institute, Secondary College of Teacher Education, or different stages of school education.

(b) **Reader/Senior Lecturer**

(i) Academic and professional qualifications shall be the same as prescribed for the post of Lecturer .

IndiaCode

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

936

(ii) At least three years' teaching experience as lecturer in an elementary teacher education or in any other capacity at the school level.

(iii) Ph.D. in Education or in a school subject or equivalent published research work or professional papers will be a desirable requirement.

(c) **Lecturer and other Academic Staff**

(i) Good academic record with M.Ed./M.A (Education) preferably with specialization in elementary education. Candidates with M.Ed.(Elementary Education) degree with 55% marks shall also be eligible.

(ii) Qualifications for other academic staff for teaching the specialist subjects of Physical Education, Art, Work Experience/SUPW, Information Technology. Literacy Work etc. shall be as prescribed by the NCTE or concerned State Govt.

(iii) Desirable qualifications: Experience in Distance Education/Multimedia Education/ICT modes.

5.2 **Non –Teaching/Support Staff/Administrative Staff for H.Q.**

The administrative and other support staff may be provided as per the norms outlines below:

- Software Specialist/Professional - 01
- Incharge Assessment and Evaluation - 01
- Computer Operator for Maintaining Database - 01

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

437

- Office Assistant - 01
- Helper for the dispatch of study material. - 01

6.0 Terms and conditions of service

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

938

IndiaCode

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

7. PHYSICAL INFRASTRUCTURE

7.1 At Headquarter Level: Adequate number of classrooms and cubical for faculty members, an office room with photocopiers, a large room for computer operators for maintaining database of students, another room for production/processing of learning materials, a store for the storing and dispatch of learning materials and equipped with an audio-video studio for recording of lessons and production of CDs and a large Conference Room for conducting meetings/teleconferencing.

7.2 AT Study Center Level: Science and psychology laboratories, workshop for practical work, sufficient number of rooms for individual guidance of trainees in methodology subjects, availability of an elementary practicing school, sufficient number of rooms for organizing contact classes.

8. LIBRARY

8.1 **Headquarter Library:** There shall be a well-equipped library with adequate number of textbooks and reference books of school and elementary teacher education. Educational Technology Library, ICT Library, Psychological Equipment, CDs Encyclopedias, Journals of Elementary Teacher Education and Distance

IndiaCode

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

939

Education. In addition, Self-instructional material in sufficient quantity shall be available in English/Hindi/Regional Language.

8.2 **Study Centre Library:** The libraries, laboratories and workshops of the institutions where study centers are located shall be used by the trainees during contact sessions.

9. EVALUATION

Evaluation shall be done on a continuous and comprehensive basis. The internal evaluation shall consist of assignments, quiz sessions, practical skill acquisition and tests based on the Blocks/Units of theory papers. The weightage for internal and external evaluation shall be in the ration of 30.:70. The external evaluation shall encompass questions on all the Units of syllabus and shall be assessed through Objective Type/Short Answer Type/Long Answer Type question. These questions will be decided/finalized by a Board of Examiners appointed by the examining body.

10. STUDENT SUPPORT AND MONITORING

Student support will mainly consist of human and technological infrastructure required to complete the course. Monitoring the support provided to the trainees at each study center shall be an essential requirement of D.ED. (DE) programme.

11. FEE STRUCTURE

The fees to be charged from each trainee student will be as per the decision of the University/State Government.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

940

IndiaCode

12. SYLLABUS AND SELF-LEARNING MATERIALS

12.1 Syllabus: Syllabus of D.Ed for regular classes shall be transformed into distance mode consisting of Blocks/Units. The Self-learning materials developed by the institution shall be approved by the DEC.

12.2 Audio Video Programme: Available uplinking facility of the State Resource Centres and IGNOU shall be used.

13. PRACTICE TEACHING IN CURRICULUM ARES

The Headquarter staff shall develop curriculum, self-learning materials, model lesson plans and A.V. materials for use at the Study Centres. At the end of First and Second years, External examinations will be conducted by a Board of Examiners to be appointed by the Examining Body. Study Centres located in the Teacher Education Institutions (TEIs) shall-conduct examination of practice teaching and work experience components by appointing examiners – internal and external.

IndiaCode

Attested

10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

941

APPENDIX -12

Norms and Standards for Secondary Teacher Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Bachelor of Education (B.Ed.)

1.0 Preamble

The aim of B.Ed Programme through Open and Distance Learning System is to provide an opportunity to serving teachers to pursue B.Ed course for professional development.

2.0 Condition of offering the course

The course will be offered only by the National and State Universities and Directorates of Distance Education of the Universities offering distance education programmes.

3.0 Duration

4.1 24 months from the date of admission including the time taken for examination. This period shall be counted from the date of closing of admissions.

4.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

4.1 Intake

The basic unit of B.Ed. through distance mode shall comprise 500 seats. However, a university may have additional seats in multiples of 100 subject to the maximum intake restricted to 1000 seats, provided that the above ceiling in intake capacity may be relaxed on merit by the NCTE, for Central Universities having jurisdiction over more than one State.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

942

IndiaCode

4.2 **Eligibility**

4.2.1 Teachers with a Bachelor's Degree serving in a recognized Primary/Elementary/Secondary/Sr. Secondary school and having at least two years' experience of school teaching at any of the above level are eligible for admission to the course.

4.2.2. A State University will admit only those candidates who are working in schools located in the territorial jurisdiction assigned to it by the University Act.

4.3 **Admission Procedure**

4.3.1 The University/Institute shall develop a suitable procedure for the selection of candidates.

4.3.2 The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

IndiaCode

5.0 Headquarters Level

5.1 **Academic Staff at Headquarters**

The minimum core faculty for the course/programme at the Headquarters shall comprise of minimum one Professor, one Reader and four Lecturers to cater to the activities like course designing, course development, checking students assignments, monitoring, updating learning material, organizing contact programmes, monitoring student teaching learning, orientation of the family and staff at study centre etc.

5.2 **Qualifications of teaching staff**

5.2.1 **Professor/Principal/Head(In a multi faculty institution) :-**

Qualification:- (i) As given for lecturer below with five years experience of teaching in a Secondary Level Teacher Training Institution preferably in the field of Distance Education.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

943

5.2.2 **Reader:-**

Qualification:- (i) As given for lecturer below with five years experience of teaching in a Secondary Level Teacher Training Institution preferably in the field of Distance Education.

Note:- (i) PhD. M.Phil/PhD in Distance Education/ Educational Planning and Management shall be given special Weightage.

(ii) In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Reader in Education , preferably in Distance Education, on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

5.2.3 **Lecturer**

M.Ed.

OR

Master's Degree with B.Ed.(having 55% marks)

5.3 **Technical Staff, Administrative Staff**

5.3.1. Administrative and other non-teaching staff essential for smooth running of the course considering the size of the intake shall be provided at the Headquarters.

5.3.2. The qualifications of administrative and other non-teaching staff essential for a smooth running of the course shall be as prescribed by the concerned University.

6. **Terms and conditions of service**

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

IndiaCode

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

944

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

7.0 Zonal /Cluster level

For monitoring purposes Zonal/Cluster Coordinators shall be appointed on full time basis. One Zonal/cluster Coordinator would be in-charge of ten study centers. Zonal/Cluster Coordinator should have the qualifications prescribed for Professor/Reader/Lecturer. He or she may be a retired person. Retired Principals of senior secondary/secondary schools could also be appointed as Zonal/cluster Coordinators.

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

8.0 Study Centre Level

8.1 Study Centres shall be located only in teacher education institutions offering regular B.Ed. programme which have been recognized by the NCTE. No institution shall be a Study Centre of more than one University .

8.2 The Study Centres could be spread over different teacher education institutions/colleges within the area of jurisdiction of University. Adequate space and facilities should be available for organizing tutorials, counselling, group discussions, individual studies and storing of assignments and response materials, etc. of students.

8.3 Maximum number of students enrolled at a Study Centre shall not exceed 100 .

8.4 The Principal or a senior member of the institution shall be appointed as the Coordinator. One faculty member of the institution shall be appointed as the Assistant Coordinator. One full time or two part time academic counselors shall be pointed for basic unit of 100.

8.5 Engagement of academic counsellors shall be such as to ensure the availability of expertise for teaching all foundation and methodology courses.

8.6 Supporting staff (one assistant and one helper) required for smooth running of the programme will be provided in the Study Centre.

8.7 The remuneration to be paid to the Co-ordinator/Assistant Co-ordinator/Academic Counsellors and the supporting staff shalll be as laid down by the University.

9 Infrastructure

The infrastructure of B.Ed(face to face) mode shall be shared by B.Ed(ODLS) programme also with exclusive facilities.

10/5/17

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

946

IndiaCode

10. Field Practicum Centres

TheField Practicum Centres shall be created in selected schools where student teachers will be assigned for the practice teaching, work experience, action research studies, and innovative curricular practices. For a unit of 500 student teachers of first year and 500 student teachers of second year, 50 such centers shall be created.

11. Student Support System

- At each study centers, interactive contact class facility shall be available of at least 60 hours duration in a course approved by the Universityt.
- Full use of library of the University/Zonal/Cluster/institutuionl Study Centre/ shall be made available to the students of the course, as available to all regular face-to-face students.
- Facilities for accessing non-print learning materials such as internet/television/VCR/OHP etc. shall be made available at the Study Centres.
- Mentoring support to the students shall be provided at the Study Centres.

IndiaCode

12. Monitoring and Supervision

12.1 In order to ensure smooth transaction of learning activities and proper functioning of Study Centres regular internal monitoring will be conducted by the core faculty at the Headquarters. The University shall design and operate a detailed rigorous system of regular monitoring of different parts of the programme- conduct of contest programme, supervision of practice teaching, submission, assessment and feedback to students, of their written assignments promptly, according to the prescribed schedule, counselling and guidance etc.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-

947

12.2 The system of monitoring shall be carefully prepared and implemented by the Headquarters at all levels.

13 Fee Structure

The fee shall be charged as prescribed by the University.

14. Pre-requisites for applying for grant of recognition of the programme

Before applying to the NCTE for recognition for starting B.Ed. (Distance Education Mode), the University shall have accomplished the following tasks :

1. Preparation of curriculum and syllabi including scheme of examination.
2. Preparation of print and non-print courseware.
3. Certificate of NCTE/DEC to the effect that the study materials are designed and developed as per norms.
4. Identification of Study Centres.
5. An MOU shall have to be entered into between the University and the host/collaborative institution indicating the requirements of additional facilities and infrastructual support necessary to conduct the course.

IndiaCode

Attested
18/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

4939 GI/07—26

948

Appendix - 13

Norms and Standards for Master of Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Master of Education (M.Ed.)

1.0 Preamble

The aim of the M.Ed. programme through Open and Distance Learning System is to provide an opportunity to serving teachers, teacher educators, policy makers, educational administrators, educational researchers, curriculum and material developers and others in educational system to pursue M.Ed. course for professional development.

2.0 Course Title

Master of Education (M.Ed.)

3.0 Types of Institutions and their Jurisdiction

3.1 Institution

3.2.1 The course will be offered only by the National and State Universities and Directorates of Distance Education of the Universities offering distance education programmes

3.2 Jurisdiction

3.2.1 Jurisdiction for the course shall be determined as per the provisions contained in the University Act. Considering the non-availability of qualified teacher educators in the North-Eastern States and Sikkim the universities in this region intending to offer M.Ed. (Distance Education Mode) course may enrol students from all the North Eastern States and Sikkim.

3.2.2 Institutions set up and fully funded by the Government of India or State Governments/UT Administrations to cater to the need of trained manpower for specific language(s) will also be permitted to offer the course.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

949

IndiaCode

4.0 Duration

i) 24 months from the date of admission including the time taken for examination. This period shall be counted from the date of closing of admissions.

5.0 Intake, Eligibility and Admission Procedure

5.1 Intake

The basic unit for conducting M.Ed. (Distance Education Mode) shall be 150 seats without any provision for additional intake.

5.2 Eligibility

Eligibility for admission to the course shall be B.Ed. or equivalent degree with 55% marks and in-service as mentioned in para 1.0 above.

5.3 Admission Procedure

i) The Institution/University shall develop a suitable procedure for selection of the candidates.

ii) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable. There shall be relaxation of 5% marks in favour of SC/ST/OBC and other categories of candidates.

6.0 Facilities in the Headquarters

The M.Ed. programme through Distance Education mode includes a number of activities like course designing, counseling, dissertation guidance, course development, checking students' assignments, monitoring self corrective learning materials, organizing contact programmes, orientation of the staff at study centers, etc. The faculty at the Headquarters/Nodal centers will ensure proper implementation in respect of all these. It is essential that facilities and expertise be made available both at the university head-quarters as well as study centres. The

Attested
10/5
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

IndiaCode

9570

Headquarters/Nodal centre would not only act as an administrative body but also act as active resource centre. It is essential to appoint full-time well qualified staff at Headquarters/nodal centre. Additional part-time faculty should also be made available as per the needs of the students.

6.2 **Staff**

(I) The Core Faculty shall comprise four teachers at the Headquarters/Nodal Centre – 1 Professor, 1 Reader and two full time or four part time Lecturers.

6.3 **Qualifications of Teaching Staff: -**

Professor/HOD:-

Qualifications:-

(i) As per Lecturer given below with ten years of experience of teaching at Post Graduate Level preferably in distance education

Reader:-

Qualifications:-

(i) As per Lecturer given below with five years of experience of teaching at Post Graduate Level and ten years at Graduate level preferably in distance education

Note:-

In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Professor/Reader as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/Readers in Education ,preferably in distance education ,on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

Lecturer:-

(i) Master's Degree with minimum 50% marks and M.Ed

(ii) Ph.D in any discipline.

Attested
10/5/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

951

IndiaCode

(PhD in education /education planning and management shall be given special weightage.)

6.4 **Physical Infrastructure**

Rooms/cabins for faculty members, computer room, material production centre, store, office rooms, conference room, hardware and software and facilities such as audio-video studio for courseware development should be provided.

6.5 **Instructional Infrastructure**

6.5.1 Library

There shall be a library equipped with text and reference books on teacher education, educational encyclopedias, year-books, electronic publications, CD ROMs and research journals on teacher education, distance education etc.

7. **Terms and conditions of service**

(a) The appointment shall be made on the basis of recommendations of the Selection Committee constituted as per the policy of the Central/concerned State Government/Board whichever is applicable.

(b) All appointments are to be made on full-time and regular basis excepting those specified as part-time.

(c) Appointment of part-time instructors and other supporting staff shall be made as per norms of the concerned Government.

(d) The academic and other staff of the institutions shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned Government by account payee cheque or as per advice into the bank account of the employee, specially opened for the purpose.

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

952

IndiaCode

(e) The management of the institution shall discharge the statutory duties relating to pension, gratuity, provident fund, etc. for its employees.

(f) The age of superannuation of staff shall be determined by the policy of concerned Government.

(g) The reservation for SC/ST/OBC and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government.

8.0 Study Centres

8.1 Study Centres shall be located in the NCTE recognized teacher education institutions offering preferably at post graduate level . However, NCTE recognized teacher training programme B.Ed colleges with necessary facilities and required number of qualified staff will also be considered.

8.2 Maximum number of students enrolled through a Study Centre shall not exceed 25 in a batch.

8.3 A Principal or a senior member of the institution shall be appointed as the Coordinator. One faculty member of the institution shall be appointed as the Assistant Coordinator.

8.4 Other faculty members of the University/College education departments/Training institutions shall be engaged in teaching and research guidance.

8.5 The Study Centre shall have five part time academic counselors including one coordinator.

9.0 Academic Inputs

9.1 Materials

Self-learning print and non print courseware will be made available to the study centres for use of the students. Distance Education institutions produce and use training, teaching, learning and evaluation materials. The strength of the programme lies in the quality, quantity and variety of these materials, made available at the Centres.

Attested
10/5/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

953

IndiaCode

Laboratories for conducting instructional activities should be available at the study centres.

9.2 Contact Programme

A minimum of 300 contact hours, including contact programmes and field based dissertation work evenly spread throughout the course shall be arranged by the Study Centres for each student. The contact programmes and supervision of the dissertation work will be conducted by teacher educators from the University/College education departments/Training colleges. Internship shall be arranged by the study centre.

9.3 Evaluation

Regular feedback based on evaluation of assignments, practicals and other assessments will be given to students at the centers.

9.4 Student Support Services

i) Use of library of the University and its affiliated teacher education institutions will be made available to the students of the course.

ii) Facilities for accessing non-print learning materials such as Internet/television/VCR/CD PLAYER/OHP etc. shall be made available at the Study Centres.

iii) Mentoring support to the students shall be provided at the Study Centres.

9.5 Monitoring and Supervision

In order to ensure smooth transaction of learning activities including dissertation work and proper functioning of Study Centres regular monitoring will be conducted by the Core faculty at the Headquarters.

The university shall design and operate a detailed system of regular monitoring of different parts of the programme- contact programme,

Attested
सहायक नियंत्रक (प्रशासन) 16/5/11
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

954

IndiaCode

internship, dissertation and field work, submission and assessment feed back of assignments promptly and regularly, according to the prescribed schedule, counseling and guidance etc.

10.0 Fee Structure

The fee shall be charged as prescribed by the University.

11.0 Pre-requisites for applying for grant of recognition of the programme.

Before applying to the NCTE for grant for recognition for starting M.Ed. (Open and Distance Education Mode) the University/Institutions should have accomplished the following tasks.

1. Preparation of curriculum and syllabi including scheme of examination.
2. Preparation of print and non-print courseware.
3. Identification of study centres.
4. Certificate of DEC to the effect that the study materials are designed and developed as per norms.
5. An MOU shall have to be entered into between the University and the study centres indicating the requirements of additional facilities and infrastructual support necessary to conduct the course.

National Council for Teacher
Education, New Delhi.
Registration Number G-856
Date
NCTE

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

955